खण्ड-160, अंक-1
सोमवार, 30 कार्तिक, शक संवत् 1877
(21 नवम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 160 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–१६
सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा कम्युनिस्टों पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१६–१७
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१७
संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर नियम, १९४९ में कृत संशोधन (मेज पर रखा गया)	१७–१८
१९५१–५२ के विनियोग लेखे तथा १९५३ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन (उपस्थित किये गये)	१८–१९
वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापित किया गया)	१९
यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापित किया गया)	१९
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ (पुरः स्थापित किया गया)	१९
कार्यक्रम में परिवर्तन का सुझाव	१९–२०
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक विचारोपरान्त पारित)	२०–३९
राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद संबंधी प्रस्ताव की सूचना ..	३९
जौनसार–बावर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था विधेयक, १९५५ को कार्य परामर्शदात्री समिति में विचारार्थ भेजने की प्रार्थना ..	३९
बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक विचारोपरान्त पारित) ..	३९–५१
जौनसार–बावर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव स्वीकृत) ..	५१–६८
नत्थियां	६९–१२०

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	१२१–१२४
प्रश्नोत्तर	१२५–१४०
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ का प्रथम पूरक) विधेयक (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर विवादार्थ अधिक समय की मांग	१४१-१४२
सदन का भावी कार्य-क्रम	१४२
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ..	१४३-१८७
नत्थी	१८८

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	१८९-१९२
प्रश्नोत्तर	१९३-२१४
जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आंदोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	२१४
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२१४
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (विवाद जारी)	२१५-२५८
नत्थियां	२१९-२७९

बृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	२८१-२८५
प्रश्नोत्तर	२८५-३००
सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव का समाचार-पत्रों में गलत प्रकाशन	३०१
जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आंदोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	३०१-३०२
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर विवाद सम्बन्धी भाषणों का समय कम करने की मांग	३०२

विषय	पृष्ठ संख्या
सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य—स्थगन प्रस्ताव के समाचार—पत्रों में गलत प्रकाशन पर तथा बाराबंकी के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा उसके खंडन पर आपत्ति	३०३—३०४
'नेशनल हेरल्ड' में कार्य—स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी कार्यवाही को ठीक ढंग से न छापने पर आपत्ति	३०४
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३०४
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (विवाद जारी)	३०५—३५९
सत्थियां	३६०—३६९

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	३७१—३७५
प्रश्नोत्तर	३७५—३९१
लाल डिग्गी व मलानी बांध जांच समिति के प्रतिवेदन पर विवादार्थ प्रार्थना	३९१
बैठक के समय बढ़ाने की मांग	३९२
उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	३९२
राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (विवाद समाप्त—प्रस्ताव स्वीकृत)	३९३—४५०
सत्थियां	४५१—४५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ।

मंत्रि–परिषद

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन, तथा मादक कर मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री ।

श्री हरगोविंद सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मंत्री ।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज–कल्याण मंत्री ।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल०बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस उपमंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री ।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर सीता राम, एम० एस-सी० (बिस), पी०एच० डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य ।

२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य ।

कृषि मंत्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य ।

सूचना मंत्री के सभा सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद् सदस्य ।

Digitized by eGangotri

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन–क्षेत्र

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२	—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण–पूर्व)
३	—अजीज़ इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४	—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५	—अनन्त स्वरूप सिंह श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
६	—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७	—अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)–खागा (उत्तर)
८	—अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९	—अमृत नाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०	—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११	—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)
१२	—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१३	—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१४	—आत्मा राम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१५	—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम–निर्देशित आंग्ल भारतीय
१६	—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१७	—इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर –पश्चिम)
१८	—इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद–फतेहाबाद
१९	—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२०	—उदय भान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२१	—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२	—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण–पश्चिम)–रामनगर
२३	—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)–हैदरगढ़–रामसनेहीघाट
२४	—उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर–पूर्व)
२५	—उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर–आगरा (पूर्व)
२६	—ऐजाज़ रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७	—ओंकारसिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२८	—कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर–पश्चिम)
२९	—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०	—कमलासिंह, श्री	..	सैदपुर
३१	—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)
३२	—करणसिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३	—करनसिंह, श्री	..	निघासन–लखीमपुर (उत्तर)
३४	—कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३५	—कल्याण राय, श्री	..	हुजूर मिलक (उत्तर)
३६	—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३७	—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३८	—कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
३९	—काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४०—	किन्दर लाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४१—	किशन स्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४२—	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३—	कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
४४—	कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण–पूर्व)
४५—	कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४६—	कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)–शाहाबाद
४७—	केदार नाथ श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४८—	केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४९—	केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५०—	केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५१—	केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर पूर्व)
५२—	केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५३—	कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५४—	खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५५—	खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़–चम्पावत
५६—	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर–पूर्व)–नगीना (पूर्व)
५७—	गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद–फतेहाबाद
५८—	गंगाधर मैठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)–पौड़ी (उत्तर)
५९—	गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६०—	गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण–पूर्व) गोंडा—(दक्षिण)
६१—	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६२—	गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधूना (पूर्व)
६३—	गज्जूराम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६४—	गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)–भोगांव (उत्तर)
६५—	गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६—	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
६७—	गिरजा रमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६८—	गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर–पूर्व)–नगीना (पूर्व)
६९—	गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण–पश्चिम)
७०—	गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७१—	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)–अमेठी (पश्चिम)
७२—	गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर (उत्तर)
७३—	गैंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७४—	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७५—	गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६—	गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७—	घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)–हैदरगढ़–रामसनेहीघाट
७८—	घासी राम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
७९—	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई–जालौन (दक्षिण)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
८०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८१	चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
८३	चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८४	चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८५	चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८६	चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर–एटा (उत्तर)
८७	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)–कन्नौज (दक्षिण)
८८	चुन्नी लाल सगर, श्री	..	बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
८९	छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर–पश्चिम)
९०	छेदालाल चौधरी श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९१	जगत नारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९२	जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)–सम्भल (पश्चिम)
९३	जगदीश सरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९४	जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भलपुर (पूर्व)
९५	जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९६	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन–लखीमपुर (उत्तर)
९७	जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९८	जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९९	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर–पूर्व)–बांसडीह (दक्षिण–पश्चिम)
१००	जगपति सिंह, श्री	..	मऊ–करवी–बबेरू (पूर्व)
१०१	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०२	जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
१०३	जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम) –सहारनपुर (उत्तर)
१०४	जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५	जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन–टेहरी (उत्तर)
१०६	जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
१०७	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८	जुगलकिशोर, आचार्य	..	मथुरा (दक्षिण)
१०९	जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
११०	ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
१११	झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११२	टीका राम, श्री	..	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
११३	डल्ला राम, श्री	..	मिश्रिख
११४	डालचन्द, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
११५	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११६	तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११७	तुलाराम, श्री	..	औरैया–भरथना (दक्षिण)
११८	तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
११९	तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२०	तेज बहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२१	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर–पश्चिम)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१२२	त्रिलोकी नाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२३	दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
१२४	दर्शन राम, श्री	..	मऊ–करवी–बबेरू (पूर्व)
१२५	दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२६	दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२७	दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२८	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१२९	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३०	दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३१	देवकी नन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३२	देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३३	देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१३४	देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३५	देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३६	देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३७	देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१३८	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१३९	द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मरियाहूं (उत्तर)
१४०	द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४१	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४२	धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१४३	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण–पश्चिम)–बरेली (पश्चिम)
१४४	नत्थूसिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)–फरीदपुर
१४५	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४६	नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१४७	नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़–चम्पावत
१४८	नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)–बदायूं (दक्षिण–पूर्व)
१४९	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम)
१५०	नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५१	नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर (उत्तर)
१५२	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५३	नारायणदत्त दास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५४	नारायणदीन, श्री	..	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१५५	निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)–बीसलपुर (पश्चिम)
१५६	नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५७	नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)–कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५८	नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१५९	पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद–गोहना (दक्षिण)
१६०	परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोराव (दक्षिण)
१६१	परमेश्वरी दयाल, श्री	..	केराकट–जौनपुर (दक्षिण)
१६२	परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६३	पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६४	पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१६५	—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६६	—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६७	—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६८	—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१६९	—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७०	—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर—पश्चिम)
१७१	—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७२	—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७३	—फज़लुलहक, श्री	..	रामपुर नगर
१७४	—फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७५	—फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७६	—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७७	—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१७८	—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१७९	—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८०	—बलवीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८१	—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला, (उत्तर)
१८२	—बलवन्त सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८३	—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८४	—बसन्त लाल, श्री	..	कालपी—जालौन (उत्तर)
१८५	—बसन्त लाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८६	—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८७	—बाबूराम गुप्त, श्री	..	काशगंज (पश्चिम)
१८८	—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१८९	—बाबू लाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९०	—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९१	—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९२	—बेचन राम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९३	—बेचन राम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९४	—बेनी सिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९५	—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९६	—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९७	—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
१९८	—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
१९९	—भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२००	—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०१	—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०२	—भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०३	—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०४	—भुवर जी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर—पश्चिम)
२०५	—भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०६	—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांस (दक्षिण—पूर्व)
२०७	—भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण—पश्चिम)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२०८	मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२०९	मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा –करछना (दक्षिण)
२१०	मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)–छिबरामऊ
२११	मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१३	मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१४	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़–चरखारी
२१५	मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१६	महमूद अली खां, श्री	..	सुमर–टांडा–बिलासपुर
२१७	महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२१८	महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२१९	महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२०	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२१	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज
२२२	महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)–देवरिया
२२३	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२४	मानधाता सिंह श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२२५	मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२२६	मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–(इटावा उत्तर)
२२७	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२२८	मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२२९	मुन्नू लाल, श्री	..	बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३०	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर–अकबरपुर
२३१	मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३२	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३३	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२३४	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३५	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण–पश्चिम)–धामपुर (उत्तर–पूर्व)
२३६	मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३७	मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२३८	मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२३९	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४०	मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४१	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण)
२४२	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४३	मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४४	मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२४५	मोहन लाल, श्री	..	सफीपुर–उन्नाव (उत्तर)
२४६	मोहन लाल गौतम, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२४७	मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२४८	मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२४६	यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५०	यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५१	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
२५२	रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा–करछना (दक्षिण)
२५३	रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५४	रघुवीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५५	रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२५६	रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२५७	रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२५८	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२५९	रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६०	राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौरा (दक्षिण–पश्चिम)
२६१	राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६२	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६३	राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६४	राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६५	राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण–पश्चिम) – देवरिया दक्षिण–पूर्व)
२६६	राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)–कोइल (पूर्व)
२६७	राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)–कुन्डा (उत्तर)
२६८	राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२६९	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७०	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७१	राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण–पश्चिम)
२७२	राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७३	राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७४	राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७५	रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७६	राम अनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२७७	राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२७८	राम किंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७९	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८०	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८१	रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८२	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८३	रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८४	रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८५	रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण–पश्चिम)–हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८६	रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८७	रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२८८	राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२८९	राम नरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९०	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९१	रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
२९२	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९३	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९४	रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९५	रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९६	रामभजन, श्री	..	मोहम्मदी (पश्चिम)
२९७	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
२९८	रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२९९	रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३००	रामलखन, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०१	रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०२	रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०३	रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०४	रमाशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०५	रामशंकर रविदास, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०६	रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरू (पश्चिम)
३०७	रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३०८	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३०९	रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद, (दक्षिण)
३१०	रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३११	रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१२	रामस्वरूप, श्री	..	दूधी–राबर्ट्सगंज
३१३	रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१४	रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
३१५	रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१६	रामहरख यादव, श्री	..	बाराबंकी (पश्चिम)
३१७	रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३१८	रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९	रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२०	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२१	लक्ष्मण राव कदम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
३२२	लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	सांडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
३२३	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
३२४	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२५	लतीफत हुसेन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२६	लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट–जौनपुर (दक्षिण)
३२७	लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३२८	लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३२९	लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३०	लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३१	वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३२	वंशदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३३	वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३४	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३५	वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३६	वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३७	विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३३८	विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३३९	विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४०	विश्राम राय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४१	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४२	विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४३	विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४४	वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४५	वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४६	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३४७	वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३४८	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३४९	व्रज भूषण मिश्र, श्री	..	दूधी राबर्ट्सगंज
३५०	व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५१	व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५२	व्रजबिहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५३	व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५४	शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५५	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५६	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३५७	शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३५८	शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३५९	शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६०	शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६१	शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६२	शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६३	शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६४	शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६५	शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३६६	शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७	शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३६८	शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३६९	शिवराम राम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३७०	शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७१	शिवबचन राव, श्री	..	सलोमपुर (उत्तर)
३७२	शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७३	शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७४	शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७५	शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३७६	श्यामसनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम)
३७७	श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३७८	श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३७९	श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८०	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८१	श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८२	श्रीनिवास, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८३	श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८४	सईद जहां मलफी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८५	संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३८६	सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलोमपुर (पूर्व)
३८७	सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३८८	सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)
३८९	सत्य सिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९०	सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९१	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९२	सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर एटा (उत्तर)
३९३	सालिगराम जायसवाल, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
३९४	सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९५	सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९६	सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
३९७	सीता राम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण—पश्चिम)—हाडा (दक्षिण-पश्चिम)
३९८	सीता राम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण—पश्चिम)
३९९	सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
४००	सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
४०१	सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०२	सुरजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०३	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०४	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०५	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०६	सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०७	सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४०८	सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४०९	हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
४१०	हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४११	हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४१२	हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य–पूर्व)
४१३	हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१४	हरगोविंद पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१५	हरगोविंद सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१६	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१७	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४१८	हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४१९	हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२०	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर–पश्चिम)
४२१	हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२२	हरि सिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२३	हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२४	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
४२५	होती लाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२६	(रिक्त)	..	फतेहपुर (उत्तर)
४२७	(रिक्त)	..	तरबगंज (दक्षिण–पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)
४२८	(रिक्त)	..	फतेहपुर (दक्षिण)
४२९	(रिक्त)	..	आगरा नगर (पश्चिम)
४३०	(रिक्त)	..	बिलग्राम (पश्चिम)
४३१	(रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Draft

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री मिट्ठनलाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री रावेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

विशेष कार्याधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।
श्री ओंकारदत्त उपाध्याय ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहोर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा,श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भुवरजी, श्री

भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी ,श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने वालों को छात्रवृत्ति

**१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कितने कार्यकर्त्ता ग्रामस्तरीय शिक्षा पूरे राज्य में पा रहे हैं और उन्हें कितनी कितनी रकमें छात्रवृत्ति में दी जा रही हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—राज्य में इस समय ७३१ कार्यकर्त्ता ग्रामस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति १ अक्टूबर से देने के आदेश हो रहे हैं। गोकि उन्हें छात्रवृत्ति देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

**२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इसकी सूचना भी सरकार को है कि शिक्षार्थियों की एक बड़ी संख्या छात्रवृत्ति न पाने के कारण ट्रेनिंग छोड़ कर चली गई है ? जो लोग बीच में ट्रेनिंग छोड़ कर गये हैं, उनकी संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। केवल ३० ग्राम सेवकों ने प्रशिक्षण केंद्रों को छोड़ा है। जिन्होंने प्रशिक्षण केन्द्रों को छोड़ा है उनके केंद्र छोड़ने का कारण स्पष्ट नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि शिक्षार्थी जो ग्रामस्तरीय कार्यकर्त्ता हैं उनको पिछले वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती थी लेकिन वह इस वर्ष बन्द कर दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस वर्ष के बजट में इसका कोई प्राविजन नहीं रखा गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छात्रवृत्ति के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, इसलिये मैं नहीं बतला सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जो ३० रु० माहवार छात्रवृत्ति दिये जाने का आदेश दिया गया है वह इसी वर्ष के लिये लागू होगा या भविष्य के लिये भी लागू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जो आदेश दिया गया है वह इसी वर्ष के लिये है। आगामी वर्ष जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी है उसके तहत में शिक्षण के लिए कुछ योजनायें रखी जा रही हैं और उनको मंजूर कर लेने के बाद शायद अगले वर्ष उस योजना के तहत में कुछ धनराशि का प्रबन्ध उसके लिये रहेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये शिक्षार्थी प्रदेश के किसी एक स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विभिन्न स्थानों में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये शिक्षार्थी ११ स्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक अक्टूबर से ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति देने की आज्ञा किस तारीख को प्रसारित की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सितम्बर के आखिर में।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में ओला से क्षति

*१---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या माल मंत्री को पता है कि जौनपुर जिले के बहुत से गांवों में इस वर्ष बहुत ही भीषण ओला गिरा है जिससे सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---जिला जौनपुर में गत रबी की फसल के समय २६० गांवों में ओला गिरा था जिससे २१५ गांवों में फसल को बहुत हानि पहुंची थी।

*२---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या सरकार उन गांवों की एक सूची मेज पर रखेगी?

*३---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने ओलापीड़ित किसानों को किस रूप में किन-किन गांवों में क्या सहायता दी है?

श्री चरणसिंह---जौनपुर जिले में ओला से क्षतिग्रस्त ग्रामों में हानि की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :---

नाम तहसील	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या				
	हानि कुल	हानि रु० में १२ आना	हानि रु० में १० आना	हानि रु० में ८ आना	हानि रु० में ६ आना
१---मड़ियाहू	..	१४९	..	२	२
२---केराकत	४८	..	९	७	४३

ओला पीड़ित किसानों की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यवाही की गई:---

			रु०	आ०	पा०
क---स्थगित मालगुजारी	..	..	४३,५०७	६	५
ख---मालगुजारी में छूट	..	..	१,१०,३१९	७	०
ग---स्थगित तकावी	..	..	१,४४४	१३	०
घ---तकावी जो दी गई	..	..	२५,०००	०	०
ङ---अहेतुक सहायता	..	..	४,०००	०	०

ग्रामवार विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ४३,५०७ रु० ६ आना ५ पाई की मालगुजारी जो स्थगित की गई थी, उसकी छूट की माफी कर दी गई या नहीं?

श्री चरण सिंह---वह माफ कर दी गई।

नदियों में बाढ़ के कारण आजमगढ़ जिले को क्षति

*४---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन नदियों में सन् ५५ की जुलाई के तृतीय सप्ताह में बाढ़ आई और कितने एकड़ फसल, कितने घर तथा कितने आदमी एवं पशु बरबाद हुए?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर)

आजमगढ़ जिले के बाढ़पीड़ितों के लिए नावें

*५—श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन गांवों के बाढ़पीड़ितों के रक्षार्थ नावें प्रदान की गई हैं ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले के निम्नलिखित गांवों तथा कस्बों में नावें प्रदान की गईं।

गांवों के नाम			नावों की संख्या
१—दुर्वागा	..	..	१
२—पकड़ी बुजुर्ग	..	..	१
३—सूरजपुर	..	..	१
४—हरैया	..	..	१
५—आजगरा मशरकी	..	..	१
६—आजगरा देवारा नैनीजोर	..	..	१
७—मेड़कुल सुल्तानपुर	..	..	१
८—गजियापुर भूसाडोही दुवारा	..	..	२
९—महुला	..	..	१
१०—गांगेपुर	..	..	१
११—आजमगढ़	..	..	३
			१४

इसके अतिरिक्त २८ नावें जुलाई में और खरीदी गई थीं जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया गया। १६२ स्थानीय नावें भी बाढ़ के समय कार्य में लाई गईं। ५३ नावों का बनारस तथा गाजीपुर से प्रबन्ध किया गया। ३ मोटर बोट पी० डब्लू०डी० तथा ८ मोटर लांच मिलिट्री से प्रबन्ध करके कार्य में लाई गई।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*७-९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ३८-४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१७ अक्टूबर १९५५ को प्रश्न ४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*११-१२—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४२-४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१३-१४—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१५—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१६-१८—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१९-२१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ५०-५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सचिवालय के पुनर्वासन विभाग में अवकाश प्राप्त लिपिकों को पुनर्नियुक्ति

*२२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के पुनर्वासन विभाग में कुछ रिटायर्ड क्लर्कों को पिछले कुछ वर्षों से पुन : नियुक्त किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह) --जी हां ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि नवीन और अधिक योग्य व्यक्तियों को यह अवसर क्यों प्रदान नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह--जो काम उन लोगों के सुपुर्द हैं उसमें उनको काफी योग्यता है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी होगी ?

श्री हुकुम सिंह--दो ।

*२३--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--[१९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में मेहदावल-कछार रोड की खराब हालत

*२४--श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल मेहदावल कछार जिला बस्ती में जो सड़क टेस्ट वर्क से बनाई गई है उस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री चरण सिंह--गत वर्ष मेहदावल कछार जिला बस्ती में टेस्ट वर्क से दो सड़कें बनाई गई थीं जिन पर कुल १,८९,८०४ रु० ८ आ० व्यय हुआ था ।

*२५--श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सड़क बाढ़ से जगह-जगह कट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करवा कर जहां पुल की आवश्यकता हो पुल बनवायेगी ?

श्री चरण सिंह--जी हां, दोनों सड़कें इस वर्ष बाढ़ से जगह-जगह कट गई हैं इनकी मरम्मत इस वर्ष टेस्ट वर्क से की जायेगी। ये दोनों सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बस्ती की हैं इसलिये बोर्ड के अध्यक्ष को इन सड़कों पर आवश्यकतानुसार पुलियां बनवाने के लिए लिखा गया है ।

गाजीपुर जिले में खरौना, कुसही व तेतार पुर ग्रामों को गोमती से क्षति

*२६--श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में खरौना, कुसही और तेतारपुर नाम के गांव गोमती नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

*२७--श्री कमलासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गांवों की कितनी जमीन बह गई है ?

श्री चरण सिंह--अभी परताल पूरी नहीं हुई है इसलिये अपेक्षित सूचना इस समय नहीं दी जा सकती ।

*२८--श्री कमला सिंह--क्या सरकार इन गांवों के निवासियों को अन्यत्र बसाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २४-२५ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछे ।

श्री चरणसिंह---कुसही गांव में कोई आबादी नहीं है इसलिये आबादी को हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। शेष दोनों गांवों के निवासी मजरूआ जमीन का मुआवजा देने को तैयार नहीं हैं।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार को मालूम है कि तेतारपुर मौजे में जो प्राइमरी स्कूल था वह भी ध्वस्त हो गया है ?

श्री चरणसिंह---यह नहीं मालूम है।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पड़ताल जो सरकार ने शुरू कराई है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चरणसिंह---ठीक तारीख तो नहीं बताई जा सकती लेकिन शायद वह अब तक परी हो गई होगी।

श्री कमलासिंह---अगर पूरा हो गया है तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन कट कर दूसरे जिले में चली गई है ?

श्री चरणसिंह---मैंने जवाब दिया है कि पूरी हो गई होगी।

श्री कमलासिंह---क्या यह सही है कि कुसही गांव की आबादी इसलिये नहीं दिखाई गई क्योंकि पूरी आबादी कट कर नदी से दूसरे जिले में चली गई है ?

श्री चरणसिंह---आबादी तो कट कर नहीं गई होगी।

श्री कमलासिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसका पता लगाने की कृपा करेंगे कि पूरी आबादी नदी से कट कर चली गई है ?

श्री अध्यक्ष---आप आबादी का कटना पूछते हैं या जमीन का ?

श्री कमलासिंह---जमीन के ऊपर जो आबादी थी उसका।

श्री चरणसिंह---जमीन तो कटी है, और जहां जमीन कटी है वहां मकान जरूर कटे होंगे।

श्री कमलासिंह---तो क्या विशेष परिस्थिति में जहां गांव और जमीन सब कट कर चली गई वहां वे नया गांव बसा कर सहायता देंगे ?

श्री चरणसिंह---जैसा मैंने अर्ज किया कि गैर मजरुआ जमीन तो वहां के लिये नाकाफी है और उस पर वह बसना नहीं चाहते हैं। मजरुआ जमीन उनको चाहिये नहीं और साथ ही कहते हैं कि उसकी कीमत नहीं देंगे। अब कानून के मुताबिक गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर सकती है तो उस सिलसिले में क्या कानून बना है उसको देखने की कोशिश की लेकिन उसके लिये समय नहीं मिल सका। अगर कुछ मुमकिन है तो वह सहायता दी जायगी। लेकिन यह भी देखने की बात है कि अगर एक जगह के लिये यह चीज मान ली जाती है तो सब जगह इसको देना पड़ेगा और इससे बजट पर क्या असर पड़ेगा। यह सब गौर करना है।

सुल्तानपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में बाढ़ से हानि

*२९---**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिला की किस तहसील में बाढ़ से कितने घर गिरे हैं तथा फसल को कितनी हानि हुई है और उस तहसील को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न २९-३० श्री रामबली मिश्र ने पूछे।

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर)

अमेठी तहसील में 'राजा का बांध' टूटने से क्षति

*३०---**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह सूचित करेगी कि अमेठी तहसील में उजैनी स्थित "राजा का बांध" टूट जाने से कितने ग्रामों को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह---राजा का बांध टूट जाने से अमेठी तहसील के १४ ग्रामों को क्षति पहुंची है।

सिसोलर ग्राम सभा, जिला हमीरपुर का अग्निपीड़ितों के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*३१---**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में सिसोलर ग्राम सभा (जिला हमीरपुर) की ओर से उनके पास कोई ऐसी दरख्वास्त आई है जिसमें ग्राम में हुये भयंकर अग्निकांड से पीड़ित किसानों की माल-गुजारी की माफी की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या करने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह---कुछ प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, सदस्य विधान सभा के जरिये सरकार को मिले थे जिन्हें जिलाधीश हमीरपुर के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था। ग्राम सिसोलर में अग्निकांड के कारण १,३२७ रु० ५ आ० की मलगुजारी की वसूली खरीफ १३६३ फसली तक के लिये स्थगित कर दी गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि ग्राम सभा की ओर से क्या ऐसी कोई दरख्वास्त आई है माननीय मंत्री जी के पास जिसमें मालगुजारी की छूट की दरख्वास्त की गई है लेकिन उसका कोई जिक्र उत्तर में नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस दरख्वास्त का जिक्र उत्तर में क्यों नहीं है ?

श्री चरणसिंह---जी, जवाब मैंने इसलिये दिया है कि गांव सभा से नहीं आई लेकिन एम० एल० ए० की तरफ से आई।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस गांव में जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उनकी मालगुजारी माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---विचार कर चुके हैं और इरादा माफ करने का नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस गांव के क्षतिग्रस्त लोगों की माल-गुजारी माफ करने का इरादा सरकार क्यों नहीं रखती ?

श्री चरणसिंह---दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इनकी फसल की क्षति तब हुई जब गल्ला मकान पर जा चुका था यानी जब वह फसल खलिहान में थी तब नहीं क्षति हुई। तो नियम के मुताबिक इस तरह की माफी नहीं दी जा सकती। दूसरा कारण यह है कि अपवाद इस केस में यों नहीं किया जा सकता कि उनकी हालत अगर पहली फसल से खराब हो गई होती और उनको नुकसान बहुत हो गया होता तो एक्सटेनेशन केस कर दिया जाता लेकिन वह भी नहीं है। इन दो कारणों से माफी देना मुनासिब नहीं समझा जाता।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन किसानों का गल्ला जिनको बहुत थोड़ा ही समय खलिहान से लाये हुए हुआ था और वह सारा का सारा गल्ला जल गया तो क्या ऐसी विशेष परिस्थिति में उनकी माल गुजारी माफी देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---मैं तो जवाब दे चुका हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके जिन लोगों के मकान जल गये हैं उनके मकान बनवाने में कुछ सहायता देगी ?

श्री चरणसिंह---यह सवाल दूसरा है । इसके लिये तो गालिबन उनको कुछ सहायता दी गई है । मैं इस वक्त इसको ठीक नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिये सवाल नहीं था ।

टनकपुर, जिला नैनीताल में कृषि तथा भवन निर्माणार्थ प्राप्त की गई भूमि

*३२---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर, जिला नैनीताल में जंगल विभाग की कितनी भूमि खेती करने और मकान बनाने के लिये साफ कराई गई थी ?

श्री चरणसिंह---११०१ एकड़ भूमि ।

*३३---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मकान बनाने के लिये जो भूमि उठाई गई उससे कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ और ऐसी भूमि का सालाना लगान किस दर से निर्धारित किया गया ?

श्री चरणसिंह---मकानों तथा दुकानों के लिए नीलाम किये गये प्लाटों से कुल १,०६,८६० रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ । उक्त प्लाटों का वार्षिक लगान क्रमशः ३ आने तथा ४ आने प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित किया गया है ।

*३४---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या मकान बनाने के लिये जो भूमि उठाई गई उस पर मकान बने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---अभी तक केवल दो प्लाटों पर मकान निर्मित हुए हैं । मकान बनाने में प्रगति न होने का मुख्य कारण जल तथा भवन-निर्माण सामग्री इत्यादि का अभाव है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह नीलाम कब हुआ था ?

श्री चरणसिंह---कई वर्ष हुए ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने ये प्लाट नीलाम में लिये थे और मकान नहीं बनाते हैं उनकी तरफ से मालगुजारी माफ करने के लिये सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र आया है ?

श्री चरण सिंह---मुझे याद नहीं है लेकिन अगर इस तरह का आवेदन-पत्र मिला होगा तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें कोई माकूलियत नहीं है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब टनकपुर के विस्तार की योजना बनाई गई है तो वहां जल आदि और निर्माण सामग्री की सहूलियत अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह---अब वहां टाउन एरिया कमेटी मुकर्रर हो गई है । यह सब भूमि जिसमें मकान बनाने का विचार है और जो मकान बनाने के लिये एलाट भी कर दी गई है और नीलाम भी कर दी गई है इसको नजूल लैन्ड की शरायत के मातहत गवर्नमेंट ने टाउन एरिया कमेटी को इन्तजाम के लिये देने का निश्चय किया है और टाउन एरिया कमेटी उनकी मदद करेगी जितनी कर सकती है ।

अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म के संबंध में पूछताछ

*३५—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म में जब से सरकार ने इसको खरीदा है क्या लाभ हुआ ? यदि हानि हुई, तो क्या हुई है ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने सेन्ट्रल डेरी फार्म को नवम्बर, सन् १९४८ में खरीदा था। हर साल का लाभ तथा हानि का ब्योरा संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*३६—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डेयरी फार्म में इस वक्त कितने जानवर हैं ? और सरकारी फार्म होने के पहिले कितने थे ?

श्री हुकुम सिंह—इस समय सेन्ट्रल डेरी फार्म में २६ जानवर हैं। सरकारी फार्म होने के पहिले १०९ जानवर थे।

परगनाधीश, तहसील खलीलाबाद की अदालत में गांव समाजों की जमीन की वापसी के मुकदमे

*३७—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील के परगनाधीश के अदालत में कितने मुकदमे सन् १९५४ व सन् १९५५ के आज तक दफा २३२ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार गांव समाज के जमीनों की वापसी के सम्बन्ध में दाखिल हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद के परगनाधीश महोदय की अदालत में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २३२ के अन्तर्गत जमीनों की वापसी के बारे में सन् १९५४ में ५८ व सन् १९५५ के प्रारम्भ से २६ सितम्बर, १९५५ तक १० मुकदमें दयार हुये थे। उक्त धारा के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमे गांव समाजों की भूमि से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमे दाखिल हुए थे वे किससे सम्बन्धित हैं ?

श्री चरण सिंह—व्यक्तियों से हैं, गांव समाज से नहीं।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५८, २६ और १० मुकदमे दाखिल हुए थे उनमें से कितनों को जमीन वापस दिलाई गई ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। सब मिस्लें निकाली जाय कि कितनी डिग्री हुई और कितनी खारिज हुई तब इसका पता चल सकेगा।

उन्नाव जिला अन्तर्गत पुरवा तहसील में गलत इन्दराजों से किसानों को परेशानी

*३८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और हाकिम तहसील (एस० डी० एम०) को इस आशय का आदेश देने की आवश्यकता पर विचार कर रही है कि कागज दुरुस्ती और लगान दुरुस्ती के मामले अधिक से अधिक तीन पेशियों में ही समाप्त कर दिये जायं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५–३६ श्री नेत्रपाल सिंह ने तथा ३८–४० श्री राम दुलारे मिश्र ने पूछे।

श्री चरणसिंह---सरकार का इरादा ऐसा कोई आदेश जारी करने का नहीं है। सरकार के आदेश ये हैं कि यथासम्भव ऐसे मामले मौके पर जल्द से जल्द समाप्त कर दिये जायं। यह मुमकिन नहीं है कि अदालतें मुकदमों को मुकर्रर की हुई पेशियों में समाप्त कर सकें।

*३९---**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत पुरवा तहसील में हो हजारों की तादाद में गरीब किसान तीन साल से ऐसी जमीन का लगान दे रहे हैं जो दूसरों के कब्जे में है ?

श्री चरणसिंह---सरकार को यह ज्ञात है कि न सिर्फ पुरवा तहसील में बल्कि और जगह भी कुछ काश्तकार ऐसे जरूर हैं जिनका नाम कागजात में दर्ज है मगर उनका कब्जा नहीं है। ऐसे काश्तकारों के मुताल्लिक वसूली करने वाले अमीन भी रिपोर्ट देते हैं और उन काश्तकारों को भी हक है कि प्रार्थना-पत्र दे कर इन्दराज ठीक करा लें। पिछले दो सालों में बहुत से इन्दराज ठीक कर दिये गये। मुमकिन है कि अभी ऐसे बहुत से गलत इन्दराज बाकी हों।

*४०---**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मौके पर जाकर एस० डी० ओ०, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार द्वारा की गयी कागज दुरुस्ती से सम्बन्धित पड़तालों के रजिस्टर पुरवा तहसील से गायब कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

मेहदावल कछार, जिला बस्ती में टेस्ट वर्क पर व्यय

*४१---**श्री राजाराम शर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पछिले साल मेहदावल कछार (जिला बस्ती) में टेस्ट वर्क से जो सड़क पाटी गई थी, वह कितने मील पाटी गई, उसमें कुल कितना रुपया टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों को मिला ?

श्री चरणसिंह---गत वर्ष मेहदावल कछार, जिला बस्ती में दो सड़कें करमैनी से मेहदावल, तथा मेहदावल ठाकुर, घुरापाली क्रमशः ७ तथा ६ मील तक पाटी गईं। इन सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों को लगभग १,७५,००० रु० मजदूरी दी गई।

श्री शिव नारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक लाख ७५ हजार जो रुपया मजदूरी से दिया गया वह कितने घन फुट मिट्टी की खुदाई में दिया गया ?

श्री चरणसिंह---यह सिर्फ खुदाई के लिये नहीं दिया गया वरना घन फुट का हिसाब लगाने की कोशिश करता यह तो ढोने वालों को दिया गया।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार इस वर्ष भी एक आध लाख रुपया देकर उस सड़क को पक्की करवा देगी ?

श्री चरणसिंह---जैसा मैं पहले सवाल नम्बर २४ और २५ के जवाब में अर्ज कर चुका हूं वहां के कलेक्टर ने स्वयं यह लिखा है कि जहां-जहां यह सड़क कट गई है, टेस्ट वर्क के जरिये मरम्मत करायी जायगी। पुलियों के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को पुलियां बनवाने के लिए लिखा गया है।

*४२-४३---**श्री राजाराम शर्मा** (अनुपस्थित)---[हटा दिये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न ४१ श्री शिव नारायण ने पूछा।

तहसील निघासन, जिला खीरी में जूट विकास के लिए तालाबों की खुदाई पर व्यय

*४४—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में जूट विकास योजना के अन्तर्गत कितने तालाब अब तक खुदवाये गये ?

श्री हुकुम सिंह—जिला खीरी के तहसील निघासन में जूट विकास योजना के अन्तर्गत कुल ५८ रेटिंग तालाब सन् १९५४-५५ में खुदवाये गये।

*४५—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इन तालाबों के खुदवाने में कितना खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—उक्त ५८ तालाबों के खुदवाने में कुल १७,४०० रु० व्यय हुआ।

गोशालाओं को सहायता

*४६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितने गोशाले हैं, जो रजिस्टर्ड हैं तथा उनको क्या सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—इस समय प्रदेश में ४२ रजिस्टर्ड गोशालायें हैं जिनमें से ११ गौशालाओं को २४६ गायें आधे मूल्य में दी गई हैं। आवश्यकतानुसार उपयुक्त सांड़ ५० रुपया के अंशदान में भी दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गौशालाओं के पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। हापुड़ तथा बरेली गौशालाओं को १०,००० रुपया की आर्थिक सहायता गोसदन के लिये दी गई थी तथा हापुड़ गौशाला को ट्यूबवेल के लगवाने के लिये १३,६०० रुपया दिये गये थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन गौशालाओं के नाम जिनको गाय और बैल की सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि इलाहाबाद में कीटगंज की गौशाला को बैल और गाय की सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह—सम्भवतः दी गयी है, अगर उन्होंने मांगी होगी और अगर न मांगी हो तो, अब मांगे, उन्हें भी सहायता दी जायगी।

कछपुरा ग्राम, जिला आगरा में मल्लाहों द्वारा हरिजन मार्ग रोकने का कथित प्रयास

*४७—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ग्राम कछपुरा, थाना ताजगंज, जिला आगरा, आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र का अंग है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*४८—**श्री पुत्तूलाल** (अनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि उक्त ग्राम में हरिजनों का रास्ता रोकने के लिये कुछ मल्लाहों ने नजूल की भूमि तथा सार्वजनिक मार्ग पर बिना नजूल अफसर की आज्ञा के मकान बना लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ४७-४९ श्री गंगाधर जाटव ने पूछे।

*४६—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नजूल अफसर, आगरा को नजूल भूमि पर मल्लाहों द्वारा अनधिकृत रूप से मकान बनाने तथा उसी ग्राम में श्रमदान द्वारा तैयार की गयी कच्ची सड़क को जोत कर खेत में मिलाने की सूचना ग्रामवासियों ने दी लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—इस सम्बन्ध में नजूल अधिकारी को सूचना दी गई और जब उसने स्थानीय निरीक्षण किया तथा पैमाइश कराई, तो यह विदित हुआ कि किसी मल्लाह ने अनधिकृत रूप से मकान बना कर किसी पुराने रास्ते पर हस्तक्षेप नहीं किया है।

नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी के कारखाने

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में इन्डस्ट्री के लिये कितनी इमारतें बनी हैं और उन इमारतों में कितने कारखाने खोले गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में १६ इमारतें इन्डस्ट्रीज के लिये बन गई हैं और उनमें से १२ इमारतों में कारखाने खुल गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन कारखानों में कौन-कौन से सामान तैयार होते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—लम्बी सूची है, श्रीमान् जी।

श्री अध्यक्ष—वह चीजों के नाम नहीं पूछना चाहते हैं। किस नाम से वह कारखाने हैं, यह पूछना चाहते हैं।

श्री हुकुमसिंह—मेसर्स इंडियन ट्रेडिंग कम्पनी, ताले बनाने का कारखाना। मेसर्स लिपटन लिमिटेड, चाय के बंडल बनाने का कारखाना। मेसर्स रितमल भगवान दास, चूना बनाने और धान का चावल बनाने का कारखाना। मेसर्स बी० एस० पी० भीर, दवा बनाने का कारखाना। जी० डी० लाल, स्याही बनाने का कारखाना। भगवान हरिदासचन्द, आटा चक्की। श्री मंगल सेन, चाकू बनाने का कारखाना। दीदारसिंह, लकड़ी का काम। बी० एल० धवन, आरा मशीन का कारखाना। भाटिया, लकड़ी के बक्स बनाने का कारखाना।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या यह सही है कि वहां पर केवल लिप्टन के कारखाने को छोड़ कर और कोई कारखाना नहीं चल रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—यह सही नहीं मालूम होता है।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में बाढ़पीड़ित श्रमिकों के लिये कार्य

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये तहसीलवार कौन-कौन से ऐसे कार्य किये जाने वाले हैं जहां बाढ़ पीड़ित श्रम कर के पारिश्रमिक पा सकें ?

श्री चरणसिंह—जिले भर में टूटी तथा क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा रही है उन्हें जहां आवश्यकता है ऊंचा किया जा रहा है। ऐसी सड़कों की तहसीलवार सूची संलग्न है। इन कार्यों पर बाढ़ पीड़ित काम कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जिले भर में इस वर्ष १०० गांवों की सतहों को ऊंचा करने की योजना है। इस कार्य से भी बाढ़ पीड़ितों को काम करके अपनी जीविका कमाने का अवसर मिलेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२ पर)

गाजीपुर जिले में चकबन्दी योजना

२--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में चकबन्दी योजना कब चालू करने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा कम्युनिस्टों पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना यह है कि सिकन्दरपुर में २३ अक्टूबर को एक आम सभा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हो रही थी। उसके ऊपर ६ गांवों के पुराने जमींदारों के २०० हथियारबन्द आदमियों ने आकर ५ कम्युनिस्टों पर हमला किया और उनको घायल कर दिया। इससे आतंक उस स्थान पर फैला हुआ है। इसलिए इस पर विचार करने के लिए सदन का कार्य स्थगित किया जाय क्योंकि वहां के स्थानीय जो शासक हैं वह उसके ऊपर विचार अच्छी तरह से कर नहीं रहे हैं और कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह उनका इस बारे में कहना है। लेकिन, मैं इसमें यह नहीं देखता हूं कि साधारण शासन के प्रबन्ध के अलावा कोई खास ऐसी बात है जिससे कि सरकार से सम्बन्ध हो। सरकार से उन्होंने उसके बारे में कोई लिखापढ़ी की या कोई कार्यवाही की ऐसा इससे मालूम नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष सरकार का सम्बन्ध इसमें मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं माननीय झारखंडे राय जी से कि सरकार से कहां सम्बन्ध इस प्रश्न का आता है? तब मैं इसके ऊपर निर्णय दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का विषय इसलिए गम्भीर है कि बाराबंकी की घटना के बाद...

श्री अध्यक्ष--मैं गम्भीरता के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो, सरकार से उसका क्या सम्बन्ध है, यह जानना चाहता हूं।

†श्री झारखंडे राय--मैं वही स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि उस घटना के बाद एक प्रोत्साहन सब जगह मिला है कि पोलिटिकल वर्कर्स पर घातक हमला किया जाय। इसी घटना में जो सिकन्दरपुर में हुई वह भी एक कम्युनिस्ट साथी रामानन्द जी की हत्या करने के लिए हुई। अगर वह मौजूद रहते तो उनकी हत्या भी हो गई होती। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको सूचना भी दी टेंघंना गांव में मेरी खुद अपनी हत्या करने के लिए पूरा षडयन्त्र बना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का इस नाते इससे सम्बन्ध जुटता है कि सरकार पूरे प्रान्त की जिम्मेदार है। जिलों में ऐसी घटनायें होती हों और सरकार उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाये, यह उचित नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए.....

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं सरकार को आपने कोई इत्तिला दी? माननीय मंत्री जी को, होम मिनिस्टर को आपने कोई इत्तिला इस २३ तारीख से अब तक भेजी, उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित कराया? यह मैं जानना चाहता

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं क्योंकि सरकार से सम्बन्ध यहीं आयेगा। अगर आप चुप बैठ जायं और इस वाकए को कोई महत्व न दें, सिर्फ असेम्बली में आकर इस प्रश्न को उपस्थित करें तो मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दूंगा कि असेम्बली का समय इस प्रकार नष्ट किया जाय। अगर आपने सरकार से लिखापढ़ी नहीं की तो मैं समझता हूं आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री झारखंडे राय---मैं यह कहना चाहता था कि सरकार की जिम्मेदारी इस तरह से होती है कि . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सीधी बात नहीं कह रहे हैं। जो जिम्मेदारी आप उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं वह तब आती जब आप उनको लिखते। लेकिन आप टेढ़ी तरह से इन्डाइरेक्टली बताना चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है. . .

श्री झारखंडे राय---श्रीमन्, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--- ठीक है, मैंने सुन लिया। आप कृपा कर बैठ जायं। मैं वाकयात के विषय में कुछ पूछना नहीं चाहता हूं। सवाल इस बात का था कि इससे सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध आता है या नहीं आता है। शासकीय सम्बन्ध के द्वारा आता है तो सरकार जिम्मेदार है लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं और मैं कई दफा कह चुका हूं कि पहला काम तो माननीय सदस्य का यह होना चाहिए कि वह सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करें, उसके लिए कार्यवाही कराने की कोशिश करें अगर वह महत्व का प्रश्न है। अगर सरकार का ध्यान ही आकर्षित न किया जाय तो इससे मालूम होता है कि जब वह स्वयं ही महत्व का प्रश्न नहीं समझते हैं क्योंकि अगर समझते तो उनको चिट्ठी लिखते, तो ऐसी हालत में प्रशासकीय साधारण व्यवस्था का जो प्रश्न है उसके लिए कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हो।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष--- मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर नियम, १९४९ में कृत संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--- अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४४ (३) के अनुसार माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५०६/१---सी-३२६ सी०-५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५, जिससे संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर नियम, १९४९ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--- श्रीमन्, मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि-आयकर नियम, १९४९ के लिए आप कोई तिथि निर्धारित करें जिससे उस पर विवाद किया जाय।

श्री चरणसिंह — मुझको कोई आपत्ति नहीं है। जो भी दिन निश्चित हो जाय। मैं दिन बतला दूंगा।

१९५१-५२ के विनियोग लेखे तथा १९५३ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

†श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)— अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा* समिति के सभापति की हैसियत से मुझे समिति की प्रथम तथा द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार मिला है। मैं यह प्रथम एवं द्वितीय रिपोर्ट जो १९५१-५२ के विनियोग लेखे तथा १९५३ ई० की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के सम्बन्ध में है, उसे पेश करता हूं।

मुझे एक प्रार्थना करनी है कि जो रिपोर्ट हमने आज पेश की है इसमें सरकार ने हमारी पिछली रिपोर्ट पर क्या कार्यवाहियां की हैं, हम उसे नहीं दे सके क्योंकि जो पहली पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई थी तो वह स्वीकृत हो कर नहीं गयी है। इसके अलावा हमने लिखा था कि अगर आप इजाजत दें तो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सरकारी विभाग कार्यवाही शुरू कर दें और सरकारी विभाग ने क्या कार्यवाहियां की थीं उसको भी हम दे देते लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब तक हाउस से स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक सरकारी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो जब से इस सदन का चुनाव हुआ है तब से हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की किसी भी रिपोर्ट पर सरकार विचार नहीं कर पायी है। कारण यह है कि सदन से हमारी रिपार्ट स्वीकार नहीं की गयी है।

तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो पिछली रिपोर्ट है वह भी सदन से स्वीकृत हो जाय ताकि उस पर भी कार्यवाही हो सके और जो रिपोर्ट हम आज पेश कर रहे हैं उस पर सदन जल्दी ही विचार करके स्वीकृत कर दे ताकि इन कमेटीज की सिफारिशों पर विचार किया जा सके, हम सदन के सामने पेश कर सकें। तो पहली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर सदन अपनी स्वीकृति दे दे।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मुझे यह ख्याल है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि यह सदन में जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर विचार हो सकता है या नहीं, कंसीडरेशन हो सकता है या नहीं, इस विषय में वह कोई अपनी राय सदन के सामने पेश करना चाहते हैं और कौन सा तरीका होना चाहिये उस बारे में वह निर्णय चाहते हैं। तो यह सुनकर ताज्जुब मालूम हुआ कि सरकार ने जवाब यह दिया कि चूंकि सदन का निर्णय नहीं हुआ और सदन का निर्णय होना चाहिये तब हम उसके ऊपर राय कायम करेंगे। तो इसमें और उसमें जरा फर्क मालूम होता है। तो माननीय वित्त मंत्री जी जरा उसका स्पष्टीकरण कर दें तो मैं बताऊं। क्या सरकार ने यह लिखा है कि इस तरह का निर्णय सदन कर दे?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मेरे इल्म में तो यह नहीं है। मैं इसको देखूंगा। अगर किसी ने मुहकमे से अपने आप लिख दिया है तो वह सही नहीं है इसलिये कि मेरी तो मुस्तकिल गुजारिश यह रही है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स को हाउसेज में डिस्कस नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि मुझे ही इस बारे में जल्द निर्णय देना होगा कि कौन सी प्रथा होनी चाहिये। तो यह उचित होगा कि माननीय सभापति जी और वित्त मंत्री जी से मैं बातचीत कर लूं इस बीच में और सदन को सुना दूं कि क्या प्रथा

---

* छापे नहीं गये।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होनी चाहिये। मैं और जगहों का भी करीब करीब अध्ययन कर चुका हूं कि क्या प्रथा रही है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि जरा वित्त मंत्री जी से और सभापति जी से परामर्श कर लूं तब निर्णय दूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--श्रीमन्, मैंने तो इसलिये भी और कहा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट्स इस सदन के सामने पेश होती हैं उनमें जो आखिरी पैरा होता है उसमें यह दिया जाता है कि सरकार ने पिछली कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की। वह इसमें नहीं दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष-- चूंकि उन्होंने फैसला नहीं किया इसके बारे में कि इस पर विचार किया जाय या न किया जाय तो मैं जल्दी से इसी हफ्ते में फैसला कर दूंगा जिससे आगे के लिये भी रास्ता खुल जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन् मैं यह जानना चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दोबारा यह बात सदन के सामने दोहरा दी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस नहीं होनी चाहिये यह किस पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार उन्होंने कहा। कम से कम कारण तो उन्हें प्रकाश में लाने चाहिये जब उन्होंने सदन के सामने एक बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष--तो आपकी यह तजवीज है कि जिस समय मैं फैसला दूं उससे पहले माननीय सभापति जी को या आपको और वित्त मंत्री जी को यह मौका दूं कि वे अपने मत का यहां प्रतिपादन करें और उसके बाद में फैसला तो पहले मुझे बात कर लेने दीजिये। अगर कोई रास्ता ऐसा निकलता है जो सब को उचित प्रतीत होता हो तो कोई आपत्ति उठती नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात हुई कि थोड़ा बहुत सदन को भी इस बारे में अपनी राय पेश करने का मौका मिलना चाहिये तो मैं उसका मौका दूंगा।

वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३-९८ पर)

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९९-१०६ पर)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०७-१२० पर)

कार्यक्रम परिवर्तन का सुझाव

***श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, जो आज का एजेंडा हमारे सामने है इसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट १४वें आइटम पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

दर्ज है और जिस रोज हम उठे थे उस दिन वह चल रही थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि आज किस पर बहस होने वाली है। कल जो अखबारों में पढ़ा उससे यह पता लगा कि ये विषय आने वाले हैं। और फिर भी अध्यक्ष महोदय, दूसरी प्रार्थना मुझे यह करनी थी---यहां पर इस समय हमारे मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं हमारे पास यह भी सूचना आई है कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर २२, २३ और २४ को विधान सदन में होने वाला है। हमारे यहां मार्शल बुलगैनिन परसों आने वाले हैं और हमारे बहुत से भाई इस सिलसिले में तराई जाना चाहेंगे, मुख्य मंत्री जी भी वहां होंगे और बहुत से प्रेस वाले भी होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस रिपोर्ट पर २४, २५ और २६ को विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---२६ को तो सनीचर है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय २४, २५ और २८ को कर दिया जाय तो जो लोग वहां जाना चाहेंगे वह जा सकेंगे और जो आइटम्स हैं....

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि दूसरा प्रस्ताव भी आपने साथ ही साथ कर दिया है, आप चाहते हैं कि दो तीन दिन की छुट्टी हो जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय की स्पीच भी सुन लेंगे, कोई खास बात नहीं है लेकिन हम यही कहना है कि इस तरह से ऐबरप्टली प्रोग्राम आने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। एक दो दिन कार्यवाही होकर इस पर बाद को बहस हो जाय तो बड़ी कृपा होगी।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज के एजेंडे की बात है, मैं समझता हूं कि उपाध्याय जी अपने साथ अन्याय करते हैं क्योंकि जो भी बिल रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन पर विचार करने के लिये और राय देने के लिये वह तैयार हैं मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। जहां तक स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बहस स्थगित करने की बात है उसमें दो तीन कठिनाइयां हैं। यह एक ऐसा विषय है और सभी लोगों की ऐसी राय होगी कि इस सदन में इस पर विचार होने के बाद ही दूसरे सदन में इस पर विचार होना चाहिये ऐसा ही और जगह भी रखा गया है और हमने भी यही समझकर रखा था।

अभी दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स हुई थी और जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें यह तय हुआ था कि जहाँ एक सदन है वहां एक और जहां दो सदन हैं वहां दोनों की रिपोर्ट पूरी की पूरी छपकर ३० तारीख से पहले वहां पहुंच जानी चाहिये। सदन में इस पर दो तीन दिन लगेंगे और काफी लम्बी बहस होगी, चाहे निश्चय कुछ भी हो, लेकिन हर सदन की राय पहुंचनी चाहिये। २९ तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और बहुत से माननीय सदस्य वहां जाना चाहेंगे तो इन सब कठिनाइयों को देख कर हमने सोचा और यह तय किया। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि हम मजबूर हैं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५†

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २७ सितम्बर, १९५५ को कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है। यह सर्वप्रथम १९५१ में पारित हुआ था और इसका मूल अधिनियम १५ अगस्त, १९५२ से प्रचलित हुआ था। इस दौरान में इस विधेयक के तहत में जो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड बना है उस बोर्ड ने पर्याप्त कार्य किया है और इसने जो कार्य किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बहुत महत्व मिला है। इसको अधिक प्रोत्साहन देने के लिये और इसमें प्रगति लाने के लिये यह आवश्यक है कि जो मूल अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन किये जायं। इसी उद्देश्य से यह बिल सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। मूल अधिनियम के अनुसार जो होम्योपैथिक बोर्ड बना है, उसमें जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे अपने में से एक चेयरमैन, यानी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। काम को अधिक प्रगति देने के उद्देश्य से और इस चिकित्सा पद्धति का अधिक प्रसार हो, इसलिये विचार कर यह निश्चय किया गया है कि अब अध्यक्ष का नामिनेशन सरकार द्वारा उन सदस्यों में से किया जाय जिनको कि सरकार मनोनीत करती है और जो चुन कर आते हैं। प्रथम संशोधन यह धारा ५ के उपखंड (१) में किया गया है।

दूसरा उपाध्यक्ष का चुनाव है, जो कि सदस्य अपने में से ही किसी एक को निर्वाचित करेंगे। मूल अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (९) में होम्योपैथिक दवाओं के वितरण के लिये, निर्माण के लिये और उनके लाइसेंसों के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि इस धारा ४१ की उपधारा (९) के मुताबिक आइन्दा से परमिट या लाइसेंस सिस्टम चालू कर दिया जाय और सरकार की अनुमति से जो होम्योपैथिक बोर्ड है, वह ऐसे निरीक्षक नियुक्त कर सकता है जो कि समय समय पर जाकर जो होम्योपैथिक कालेजों, स्कूलों और चिकित्सालय हों, उनका निरीक्षण कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था इस धारा में की गई है। धारा ५६ की उपधारा (२) में इतना और बढ़ा दिया गया है कि लाइसेंस या परमिट देने के लिये जो आवेदन-पत्र दिये जायंगे या नवीनीकरण या रिन्यूअल के लिये, उसका एक फार्म होगा और उस फार्म पर जो भी उस होम्योपैथिक चिकित्सा के कार्य को करेगा उसको प्रार्थना-पत्र देना होगा। उसकी फीस होगी, रिन्यूअल की फीस होगी और लाइसेंस की फीस होगी। इस तरह से धारा ६३ में संशोधन किया गया है कि इस मूल अधिनियम के भाग दो के चालू होने के एक साल के बाद वह व्यक्ति, या डाक्टर रजिस्टर्ड किया जायगा जो कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन द्वारा पास किया हुआ हो जिसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—बिल बहुत संक्षिप्त सा है। इस समय आप सारी धाराओं को न लें। संक्षेप में ही कहें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस चिकित्सा पद्धति में हमारे प्रदेश में जो प्रगति हुई है उसका भी संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। इस समय तक हमारे प्रदेश में १३ होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। बोर्ड आफ होम्योपैथी में सितम्बर, ५५ तक ३८२८ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन के लिये दरख्वास्तें दीं जिनमें से ३२२० दरख्वास्तों पर विचार करके उन्हें रजिस्टर्ड किया गया। इससे ६४,४०० रुपये की कुल आय हुई और इस तरह से हमारे प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रगति हुई। अभी तक इस मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस चिकित्सा को करता था, अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेता था। लेकिन अब इस विधेयक के द्वारा कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह डिप्लोमा हासिल न कर ले और साथ ही लगातार पूर्णकालिक ५ वर्ष तक उसकी प्रैक्टिस न हो, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

यह संक्षिप्त सा संशोधन है, जो कि मैंने हाउस के सम्मुख विचारार्थ पेश किया है।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं पर मुझे दुःख इस बात का है कि आज तक माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री जी को कोई होम्योपैथिक का डोज लग गया है जिससे उनको फायदा हुआ है और तभी यह बिल हमारे सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुल्तान आलम खां इस समय यहां नहीं हैं नहीं तो वह बेचारे रोज होम्योपैथिक के लिये करीब करीब सभी माननीय सदस्यों के पास हो आये हैं। उनको यह कहते हुये सुना गया है कि होम्योपैथी के लिये हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

जहां तक उसके लिये अनुदान का संबंध है होम्योपैथी के लिये, हमारी सरकार ने इतने बड़े उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी के लिये ५ हजार रुपये का अनुदान दिया है। होम्योपैथी वालों के लिये इतनी सहायता हमारी सरकार कर रही है तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि आज एकदम हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान इस होम्योपैथी के इलाज की ओर चला गया। हम तो यह चाहते थे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर अधिक जाता। हम यह जानते हैं कि गांवों के अन्दर होम्योपैथी से ज्यादा फायदा हो सकता है। यह मैं नहीं मानता कि होम्योपैथी के डाक्टर ऐसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं लेकिन कम से कम होम्योपैथी की दवाई से नुकसान बहुत कम होता है। बच्चे भी बहुत शौक से इसकी दवाई को खाते हैं और ये दवायें सस्ती भी बहुत होती हैं। वैद्यों का चूर्ण भी ज्यादा महंगा होता है इन गोलियों से कभी कभी इसकी दवाइयों का इतना अच्छा असर होता है कि लोग इसी को पसन्द करने लगते हैं। खास कर बच्चों के इलाज के लिये हमारे यहां इसकी दवाइयों का बहुत प्रचार हो रहा है। यह सब होते हुये भी अफसोस की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बिल तो बहुत अच्छा है। रजिस्ट्रेशन होगा और फिर क्या होगा? जो फैसिलिटी आप वैद्य लोगों को देते हैं, जो उनके रजिस्ट्रेशन के लिये फैसिलिटी हैं क्या वह फैसिलिटी हमारे इन होम्योपैथी के डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये दी जायगी? तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमको कुछ साफ साफ बतायें कि उनकी क्या मन्शा है। माननीय बलदेव सिंह जी ने बताया कि होम्योपैथी के लिये सभापति होगा लेकिन हम गवर्नमेंट की नीति जानना चाहते हैं कि आज उसका ध्यान इसकी ओर कैसा है....

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके लिये एक अधिनियम बना हुआ है। वह कृपया उसको पढ़ लें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह उसी अधिनियम का एक संशोधन विधेयक है लेकिन यह संशोधन बहुत दिनों के बाद विचार के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाता। मैं सरकार का ध्यान होम्योपैथी के डाक्टरों की दशा की ओर भी ले जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय इस बिल के लिये नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी होम्योपैथी की चिकित्सा की ओर कुछ ज्यादा ध्यान देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्तुत संशोधन विधेयक सन् १९५२ के विधेयक के संशोधन रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब इस विधेयक के द्वारा सरकार जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है यह आवश्यक समझती है कि ऐसे होम्योपैथिक डाक्टरों को जो कि पूरा समय होम्योपैथिक चिकित्सा में लगाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अब सरकार इस सिलसिले में स्पष्ट नहीं है कि जिन होम्योपैथिक डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन आज तक हो चुका है उनका भविष्य में क्या होगा। आखिर होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की कोई रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हुई है। ३,४ साल हुये इस मेडिसिन बोर्ड का निर्माण हुआ था। हम यह आशा कर रहे थे कि होम्योपैथी के बारे में वह कोई रिपोर्ट सालाना या तीन साल में इस सदन के सामने आयेगी या सरकार के पास भेजी जायगी और सरकार के लिये यह वांछनीय होगा कि वह इस सदन को बतलायेगी कि इस सदन के द्वारा पास किये गये विधेयक के द्वारा जो बोर्ड बना है उस बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है। उसका एक समीचीन रूप हमारे सामने आना चाहिये। ऐसी रिपोर्ट के माप दंड से हम इस विधेयक की समालोचना अच्छी तरह कर सकते हैं। समाचार पत्रों से कुछ पढ़ने को मिला कि ३,१०० के लगभग डाक्टरों को रजिस्टर कर लिया गया है। आज तक जितनी भी संस्थायें होम्योपैथी की शिक्षा देने के लिये बनी हैं उनके द्वारा दिये हुये डिप्लोमाओं की जांच अभी तक नहीं हुई। होम्योपैथिक बोर्ड के कुछ नियम बने हैं और विधान भी बना है कि होम्योपैथी क्वैकरी न हो और झूठे सार्टीफिकेटों के आधार पर रजिस्ट्रेशन न हो। लेकिन ३,००० से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बात को सिद्ध करते हैं कि बोर्ड की ओर से जांच की ठीक व्यवस्था नहीं हुई। आखिर हमको रजिस्ट्रेशन के सिद्धान्त के लागू होने पर भी कुछ सोचना चाहिये।

सन ४९ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने होम्योपैथी के भविष्य के बारे में एक कमेटी बैठाई जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उस पर राज्य सरकारों की भी राय मांगी गई है। उसमें कहा गया है कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वालों को ३ श्रेणियों में बांटना चाहिये। एक तो जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं की डिग्री लिये हों या जिनको काफी अनुभव हो या विदेशी डिग्री रखते हों। दूसरे एक लिस्ट का सुझाव है कि जो १० साल से प्रैक्टिस करते हों उनकी हो। कौउन्सिल की रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार ऐसे लोगों की लिस्ट बननी आवश्यक थी जो ७ साल से प्रैक्टिस करते हों। तीसरे वे लोग हों जो न सात साल से प्रैक्टिस करते हों और न डिग्री रखते हैं लेकिन जो देहातों में प्रैक्टिस करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिये कमेटी का सुझाव था कि उनको तीन साल का मौका देना चाहिये और साल में दो बार बोर्ड उनकी परीक्षा ले और पास होने वालों के नाम लिस्ट में दर्ज हो जावें। परीक्षा में फेल होने वाले लोगों को बोर्ड प्रैक्टिस करने से मना कर दे और यदि वे फिर भी न मानें तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाय। मैं जानता हूं कि आज तक ऐसे कितने नक्कालों पर कार्यवाही की गई है इस पर कार्य करने की शक्ति बोर्ड के हाथ में न होकर राज्य सरकार के साथ में है तो राज्य सरकार बतलावे कि यह क्वैकरी कब बन्द होगी जिसके लिये २०० रुपये जुर्माने की व्यवस्था रखी है। यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि कोई इन्सपेक्टर्स भी रखे गये हैं या नहीं। संशोधन विधेयक में भी इन्सपेक्टरों का जिक्र है उपखंड ५ में। इसमें लिखा है कि "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्से तैयार करने के कार्यों का नियमन करना और राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के निमित्त इन्सपेक्टरों की नियुक्ति करना।" जब तक ये बातें साफ न हों तब तक यह संशोधन विधेयक भी बेकार है। मान लिया जाय कि हमने रजिस्ट्रेशन के विधान को और कड़ा कर दिया और पास भी कर दिया कि जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं या जो ७ या १० साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या जो पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

समय होम्योपैथी को नहीं देते हैं उनके विरूद्ध यह कार्यवाही की जाय तो आपके पास कौन-सा ढांचा है जिससे आप उसे लागू करेंगे ? मैं होम्योपैथी के प्रख्यात प्रैक्टिस करने वालों से मिला हूं और उनको आश्चर्य हुआ कि इतने अधिक तीन हजार रजिस्ट्रेशन अभी तक कैसे हो गये। लिस्ट में तो नहीं मालूम कितने हजार नाम होंगे। मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमें कुछ संख्या बतलाते कि कितने प्रैक्टीशनर्स लिस्ट और रजिस्टर में धारा ६१ के अनुसार दर्ज हैं। इसी में उल्लिखित धारा ५९ में इस कार्य को करने वालों की सूची का जिक्र है। इसी के आधार पर यह संशोधन होने जा रहा है। संशोधन का तरीका भी मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता है। खंड ५ को आप लें जिसमें मूल अधिनियम की धारा ४१ के उपखंड (९) का संशोधन होने जा रहा है। इसे मैं अभी पढ़ चुका हूं। इसमें कुछ नये शब्द आये हैं। इस में औषधियों के बारे में लिखा है कि औषधियों के निर्माण तथा नुस्से तैयार करने के कार्यों का नियमन करना। साथ ही लिखा है कि राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होमियोपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के हेतु इन्सपैक्टरों की नियुक्ति करना। तो औषधियों का बनाना और इन्सपैक्टरों की नियुक्ति करना अलग-अलग दो विषय हैं। इन पृथक दो विषयों को इस एक ही उपखंड में जोड़ना मेरी समझ में किसी प्रकार से उचित नहीं है। उचित तो यह होता कि औषधियों के निर्माण के सम्बन्ध में अलहदा उपखंड बनाया जाता और इन्सपैक्टरों का मामला, यानी उनकी नियुक्ति का विषय, अलहदा ही रखा जाता।

आगे चल कर आप संशोधन विधेयक की धारा ७ को देखें। इसके द्वारा वर्तमान धारा ६३ को संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन के द्वारा बोर्ड के अधिकारों को कम किया जा रहा है। हमने एक बोर्ड बनाया है और वह जैसा भी है उसे कुछ अधिकार या ताकत दी है। उसके अधिकारों को कम करने से लाभ नहीं है। बोर्ड में काफी गणमान्य लोग हैं, तो उसके अधिकारों को कम करने की चेष्टा पर पुनर्विचार होना चाहिये। नक्कालों पर नियंत्रण का संशोधन तो आना चाहिये और साथ ही यह भी कि ऐसे लोगों पर नियंत्रण का अधिकार बोर्ड को हो। अगर आप ऐसे अधिकार अपने हाथ में रखेंगे या ऐसी बात रखेंगे कि अधिकारों को न बोर्ड और न सरकार प्रयोग कर सके तो विधान में जो व्यवस्था है उसका सदुपयोग नहीं होगा। मिसाल के लिये अनुभव की बात है। अनुभव के बारे में बोर्ड के हाथ में सारी बात है। अगर बोर्ड समझता है कि किसी व्यक्ति को काफी अनुभव नहीं है तो उसका नाम रजिस्टर नहीं होने देगा। तो सब कुछ बोर्ड के हाथ में है जो एक मात्र अथारिटी है। बोर्ड जोकि एक एक्सपर्ट बाडी है उसके हाथ की ताकत को हम इस धारा ६३ के द्वारा छीन रहे हैं न कि उसको कुछ ताकत देकर उसकी शक्ति बढ़ाते। मान लिया कि यह धारा न रही फिर भी कुछ शक्ति बोर्ड के पास रहती ही है। जब हमें एक ऐसा संगठन बनाना है जिसके द्वारा हम होम्योपैथी की चिकित्सा को बल देना चाहते हैं तो फिर हमें उसके हाथ में कुछ शक्ति तो अवश्य देनी होगी लेकिन इसके द्वारा आप उसकी शक्ति को छीन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें।

इसके साथ ही साथ जो परिशिष्ट में संशोधन दिया हुआ है उस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। आप देखें कि अन्तिम खंड ८ के द्वारा और इसके संशोधन नम्बर २ के द्वारा पैरा ४ को निकाला जा रहा है। आप उसको पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार है—

"वे होम्योपैथ, जो बोर्ड की राय में पर्याप्त ख्याति प्राप्त, प्रशंसित और योग्य हों और व्यवसाय में अपनी कार्य निपुणता के लिये सुविख्यात हों।"

उसका अंग्रेजी में तर्जुमा और भी स्पष्ट है—

"Homoeopaths who, in the opinion of the Board, are of sufficient standing, reputation and ability and are well known for their skill in their profession."

अब यह सरकार चाहती है कि यह पैरा निकाल दिया जाय, इसका क्या कारण है, यह स्पष्ट नहीं है। इतने विशेषण इसमें निहित हैं कि वह योग्य हो, ख्याति प्राप्त हो, प्रशंसनीय हो आदि और तब किसी होम्योपैथ को बोर्ड अपने अनुभव के द्वारा यह समझता हो कि उसक रजिस्ट्रेशन में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तो इस प्रकार का डिस्क्रीशन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इतने योग्य व्यक्ति राज्य में केवल दो चार ही हो सकते हैं जो ऐसे सुविख्यात हों और ३०–४० साल की उनकी प्रेक्टिस हो। इसलिये इस पैरा ग्राफ ४ के निकाले जाने का मैं समर्थन नहीं करता और मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में पुनर्विचार करें।

इसके साथ ही साथ जो स्पष्टीकरण है उसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय अधिकारी या वाणिज्य उपक्रम के कर्मचारी हैं वे पूर्णकालिक होम्योपैथ नहीं समझे जायेंगे। इसकी परिभाषा में यह कहा गया है कि जो लोग अपना पूरा समय होम्योपैथी में देते हैं उन्हीं को रजिस्टर किया जायगा इसमें सरकार की इच्छा इस प्रकार की है लेकिन यह स्पष्टीकरण अपने अर्थ को पूरा नहीं करता है। मान लीजिये कोई आदमी होम्योपैथी का कार्य भी करता है और साथ ही दूसरा रोजगार भी करता है, छोटी जगह है, होम्योपैथिक की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है इसलिये कोई रिटेल बिजनेस भी करता है, २–४ चीजें और रख लेता है तो क्या वह पूरे समय काम करने वाला हुआ या नहीं? स्पष्टीकरण से यह भी पता नहीं चलता कि यह विधेयक बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुआ है या उसने इसकी सिफारिश भी की थी अथवा नहीं। जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वे यहां होंगे, आशा है इस विषय में वे अपनी राय प्रकट करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बोर्ड से राय ली गयी या नहीं और यदि ली गयी तो आया उसने और भी सुझाव दिये अथवा नहीं। ऐसे सुझाव बहुत से हो सकते हैं। मिसाल के लिये मैं ही एक सुझाव देता हूं कि इस संशोधन में आप और जोड़ दें। जहां पर बोर्ड को आपने होम्योपैथिक-पत्र प्रकाशित करने का अधिकार दिया है वहां पर होम्योपैथिक–पत्र के बाद "और पुस्तकें" और जोड़ दें। समाचार पत्रों के छापने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन किताबें छापने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह चीज इस संशोधन विधेयक के अन्दर रह गयी है जिसका होना बहुत जरूरी है। तो क्या-क्या सुझाव होम्योपैथिक बोर्ड ने दिया है अगर माननीय मंत्री जी इसको उद्देश्य और कारणों में प्रस्तुत कर देते तो बहुत ही उचित होता क्योंकि जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है इस स्पष्टी–करण को इस विधेयक की जड़ और जान माना जा सकता है कि कौन होल टाइम होम्योपैथिक प्रैक्टिश्नर माना जायगा और कौन नहीं माना जायगा। इस संशोधन विधेयक में यह स्पष्टी-करण स्पष्ट नहीं है। जैसा मैं स्वयं आपसे जानकारी प्राप्त करूं....

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि अंग्रेजी को आप और पढ़ लेते तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने समझने में कुछ गलती की है। इसमें सेलरीड सर्वेंट्स है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अंग्रेजी का संशोधन तो मिला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी में इस तरह से है:—

"EXPLANATION—A person shall not be deemed to be practising Homoeopathy whole-time if he is a salaried servant (otherwise than as a Homoeopath) of the State Government, the Central Government, a local authority or a commercial or industrial undertaking or other establishment."

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आपके इस स्पष्टीकरण के लिये मैं आपका आभारी हूं लेकिन अंग्रेजी में और हिन्दी अनुवाद में कुछ फर्क हो जाता है। लेकिन जो सैलरीड सर्वेंट्स आया है, मैं समझता हूं कि उसमें आनरेरी सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, को-पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यह स्थिति आ सकती

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है कि जहां पर यह स्पष्टीकरण लागू न हो और फिर बाद को सरकार को तथा बोर्ड को बड़ी दिक्कत पड़े क्योंकि यह स्पष्टीकरण भविष्य के लिये तो कोई लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक बोर्ड के प्रेक्टिशनर लिस्ट में जो होंगे उनके लिये कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिशनर न हों, कोई कम्पाउंडर ही हो तो मैं बाद को चाहूंगा कि इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जायगा कि होम्योपैथिक बोर्ड की क्या राय आयी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों का समर्थन करता हूं और जहां तक भाषान्तर का प्रश्न है और शाब्दिक कुछ महत्व के संशोधन जो मैंने उपस्थित किये हैं मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री जी जरा अधिक उदार मनोवृत्ति के होकर इस संशोधन पर विचार करेंगे और इसको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। लिख कर देने का समय कुछ ऐसा ही है, नहीं तो मैं लिखकर भी प्रस्तुत करता लेकिन फिलहाल जबानी ही जो मांग मैंने की है उसे ही वे स्वीकार कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में मैं दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ ही साथ इसके दो चार गुण और दोषों के प्रति माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने इसके संबंध में जो सुझाव उपस्थित किये हैं उनमें कुछ के संबंध में तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि संभवतः उनको होम्योपैथिक डाक्टरों के एसोसिएशनों और सम्मेलनों की मांगों की जानकारी नहीं है। पिछले वर्षों में, दो तीन वर्षों में होम्योपैथिक डाक्टरों के कई महत्वपूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं, कई बार वे अनेकों मांगें कर चुके। कुछ मांगों की पूर्ति माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के इस विधेयक द्वारा अवश्य हो जाती है। विशेष तौर से आपने जो सैलरीड सरवेंट्स की बात कही, साथ ही साथ यदि हिन्दी विधेयक की भाषा ही सत्य है तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के संबंध में होम्योपैथिक डाक्टरों की यह बार बार मांग रही है कि अगर कोई डाक्टर कोई दूसरा भी रोजगार कर ले तो उसे डाक्टरी करने की अनुमति न दी जाय और वह हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जिन लोगों ने होम्योपैथी को एक साइड प्रोफेशन बनाया है उनका रजिस्ट्रेशन न किया जाय और वह इस चीज के हो जाने पर समझेंगे कि होम्योपैथिक डाक्टरों का संरक्षण हो जायगा और इस मांग को कई बार वह अपने प्रस्तावों में दोहरा चुके हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा गौरव प्राप्त है कि अनेक होम्योपैथिक सस्थाओं से मेरा संबंध है और उनमें से एकाध बड़ी संस्थाओं का मैं पैटर्न भी हूं और मुझे उनके अधिवेशनों में सम्मिलित होने का अवसर मिला है लेकिन मैं देखता हूं कि उनकी जो मांगें हैं उनमें से कुछ तो जरूर इससे पूरी होती हैं लेकिन उनकी दो चार मांगें ऐसी हैं कि जो इस विधेयक से भी पूरी नहीं होती हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनके विषय में जो समिति है यदि वह कह दे तो उनको मान लिया जाय इसको होम्योपैथिक डाक्टर नहीं मानते और वह इस चीज को अनुचित समझेंगे और खास तौर पर जो एलोपैथ होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं या घर बैठकर ही कहीं से डिप्लोमा प्राप्त करके प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं उनके प्रति होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, वह उनको अपने मार्ग में बाधक समझते हैं और उनका कहना है कि इस तरह से अगर एलोपैथ आता है तो वह केवल प्रोफेशन के नाते आता है न कि इस विज्ञान के प्रति श्रद्धा लेकर। इस प्रश्न पर भी विचार करना है। दूसरा प्रश्न मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक शिक्षण तथा संगठन संस्थाओं का है। कुछ संस्थायें तो ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मान्य हैं लेकिन बहुत सी ऐसी भी संस्थायें हैं जो यहां की सरकार द्वारा मान्य न होकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही मान्य हैं और उसका परिणाम यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्य संस्थायें उनके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं करतीं और कुछ संस्थायें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बार बार शिकायतें आती हैं और जिन्होंने किसी प्रकार मान्यता प्राप्त कर ली है। यदि माननीय मंत्री जी पता लगावें तो उनमें आज भी किसी न किसी तरह से डिग्रीज का क्रय-विक्रय होता है और

ऐसी संस्थाओं की शिकायतें होते हुये भी सरकार ने मान्यता वापस नहीं ली है और जिसके विषय में सेंट्रल होम्योपैथिक एसोसियेशन बार बार मांग कर चुका है। एक बड़ा झगड़ा आज होम्योपैथिक संस्थाओं के बीच में है, आज होम्योपैथिक के बारे में दो बड़े झगड़े हैं। इस ओर मंत्री जी को अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रोफेशन में जो मतभेद पैदा हो रहा है वह इस प्रकार का है कि एक तो वे डाक्टर हैं कि जो बाकायदा तीन चार साल तक कालेज में रहकर विशेष अध्ययन प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करते हैं और दूसरे वह हैं कि जिनको ड्यूरेशन आफ प्रैक्टिस के कारण मान्यता दे दी जाती है, तो वह कह देते हैं कि हमारी इतने साल की प्रैक्टिस है, शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को निगाह में ऐसे भी केस आये हों, जैसा कि हमारे प्रदेश का एक मशहूर केस है। मैं उसके मैरिट पर नहीं जाता, पता नहीं दूसरे प्रदेश के हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ हो। केस यह था कि एक डाक्टर जो इस प्रदेश के नहीं थे दूसरे प्रदेश के थे उन्होंने यहां प्रैक्टिस शुरू की थी और उनको लोकल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया कि उनको इतने दिनों की प्रैक्टिस है। दूसरे प्रदेश में एक मर्डर के सिलसिले में अभियोग लगा कि आया उस साल वह आदमी यहां प्रेक्टिस कर रहा था या नहीं तो उस झगड़े में बोर्ड के मेम्बर्स वहां इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे में बुलाये गये और उनसे पूछा गया कि क्या आपको इन की उन सालों में प्रैक्टिस की जानकारी थी या नहीं। कुछ डाक्टरों ने कहा कि हम से कहा गया कि इतने दिनों की प्रेक्टिस थी इसीलिये हम ने मान लिया। इसलिये मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह ड्यूरेशन आफ प्रैक्टिस वाली चीज बड़ी खतरनाक हो रही है। इससे पता नहीं चलता कि कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी एम० एल० ए० से या किसी से सर्टिफिकेट ले कर उस ड्यूरेशन को सही मानना कहां तक उचित है इस पर गौर करना है। दूसरे हमें ड्यूरेशन आफ ट्रेनिंग भी माननी पड़ेगी कि कितने दिन तक शिक्षा हुई। शिकायत यह है कि तीन, चार और पांच पांच साल का कोर्स है। कुछ तो कहते हैं कि हम इतने साल का कोर्स रखते हैं। कुछ कालेज कहते हैं कि हमने दो साल में डिग्री दे दी। कोई कहता है कि हम एक साल में ही पढ़ा देते हैं। तो ड्यूरेशन आफ स्टडी को कम से कम कितने दिनों तक होम्योपैथी पढ़नी पड़ेगी इसका ड्यूरेशन हम यदि निश्चित नहीं कर देंगे तब तक जो भी नियम बनेंगे उनमें एक लैकुना रह जायगा और फिर बहुत गड़बड़ी होती रहेगी।

तीसरी चीज श्रीमन् शायद स्वास्थ्य मंत्री जी ने देखी होगी कि इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक आल इंडिया एलेक्ट्रो होम्योपैथी कांफ्रेंस हुई थी। अब होम्योपैथी अपने क्रूड फार्म की वह चीज नहीं रह गई बल्कि वह अब बहुत आगे बढ़ गई है। जिस विज्ञान में केवल मदर टिंक्चर्स से दवायें बना सकती थीं उसमें अब पेटेंट मेडिसिन्स भी बनने लगीं, उसके अन्दर इंजेक्शन भी तैयार होने लगे, उसमें मरहम पट्टी भी होने लगी, उसमें अब चीरफाड़ का भी इंतजाम हो गया तो जिस साइन्स में सरजरी इतना एडवांस कर गई, जहां इंजेक्शंस तैयार होने लगे, जहां पेटेंट मेडिसन्स बनने लगीं, जहां यह सब चीजें आ गई हैं तो उसके बारे में ख्याल हमको करना ही पड़ेगा। एलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक बड़ा स्थान है। एलेक्ट्रो होम्योपैथी के डाक्टरों की यह दवा है कि कैंसर ऐसी चीज को यदि कोई चिकित्सा प्रणाली ठीक कर सकती है या कुछ कर सकने की चेष्टा कर सकती है तो वह एलेक्ट्रो होम्योपैथी ही है। लेकिन हमने और हमारे बोर्ड ने उस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। एक बहुत बड़े एलेक्ट्रो होम्योपैथ बम्बई से कानपुर आये थे उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार होम्योपैथी के बारे में काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने यह प्रशंसा की कि इतनी एडवांस स्टेट होने पर भी बम्बई में होम्योपैथस की जो दुर्दशा है उसके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कहीं अच्छा व्यवहार होता है। वैसा भारतवर्ष के किसी प्रदेश में नहीं होता। लेकिन उनका भी कहना था कि ऐलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में प्रदेश सरकार को या तो कोई जानकारी नहीं है या फिर वह उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है।

चौथी चीज है कि होम्योपैथी की दवायें मदर टिंक्चर्स से बनती हैं और यह ऐसी चीज है जो भारतवर्ष में नहीं तैयार होती। अमेरिकन और जर्मन मदर टिंक्चर्स हमारे देश में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

ज्यादातर प्रचलित हैं। अतः यदि हम मदर टिंक्चर्स भी साथ ही साथ बनाना नहीं शुरू करेंगे तो होम्योपैथी का जो डेवलपमेंट है वह दूसरी ओर चला जायगा क्योंकि स्प्रिट से दवायें तैयार होती हैं और उसकी वजह से अगर गलत चीज हो जाय तो काफी नुकसान हो सकता है। यह माना जाता है कि किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली का बिगाड़ा हुआ केस तो होम्योपैथी से ठीक हो जाता है लेकिन जो सबसे निर्दोष प्रणाली है जिसमें अच्छा हो या न हो जल्दी दवायें उसको नुकसान नहीं करतीं लेकिन उस प्रणाली का, होम्योपैथी का बिगाड़ा हुआ केस जल्दी किसी चिकित्सा प्रणाली से अच्छा नहीं हो सकता। अगर होम्योपैथिक डाक्टर से अच्छा नहीं हुआ तो फिर एलोपैथी या किसी भी साइन्स से शायद ही हम उस केस को अच्छा कर सकें। इसलिये जब तक इन औषधियों के बारे में जानकारी नहीं की जायगी और जब तक इन औषधियों पर विशेष कंट्रोल नहीं रखा जायगा तब तक इस विज्ञान से हम वास्तविक लाभ नहीं उठा सकेंगे।

बोर्ड के बारे में जो बात कही जाती है उसमें एक दो खराबियां भी हैं। उसमें मैलप्रैक्टिसेज की बहुत सी रिपोर्ट्स भी आती हैं। आयुर्वेद में यदि ऐसी औषधियां हैं जिनको कहा जाता है कि वे शायद बहुत जल्द लाभ कर देती हैं। खराब और गलत कामों में भी उसी तरीके से होम्योपैथी के पास भी ऐसी बहुत सी औषधियां हैं। यदि वे औषधियां खराब ढंग से बनीं तो इनसे बड़ी हानि हो सकती है। जब कोई शिकायत आती है तो उनकी छानबीन करने के लिये हमें आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मैशीनरी की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे बहुत से काम हैं जिनके कारण वे उधर ध्यान नहीं दे सकते इस वक्त तो बोर्ड के प्रेसीडेंट मौजूद नहीं हैं। वे ज्यादा बतलाते। लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है और शायद वे भी इसको स्वीकार करेंगे कि अधिकांश शिकायतों के मामले जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो न तो वे कुछ ध्यान देते हैं और न उसकी जरूरत ही महसूस करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि श्रीमन्, होम्योपैथ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता और उसके अभाव में माननीय मंत्री जी चाहे जितने भी नियम बनावें कुछ नहीं होगा हमें उसके लिये कोई मशीनरी और बनानी पड़ेगी।

अंतिम बात मैं निवेदन कर दूं, श्रीमन्, कि इस प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली शायद बहुत ही जरूरी है। आबोहवा के लिहाज से नहीं बल्कि अपने सस्तेपन के लिहाज से भी बड़ा कल्याण इससे होगा। हम लोगों ने खुद जिन्होंने होम्योपैथिक मुफ्त चिकित्सालय चालू कर रखे हैं जो कि हजारों आदमियों को हर महीने में मुफ्त होम्योपैथी की दवायें बंटवाते हैं। हम लोगों ने इस बात का निजी अनुभव प्राप्त किया है चिकित्सा के विचार से, सस्तेपन के विचार से और लाभ के विचार से शायद यह प्रणाली बहुत ही अच्छी है। यही नहीं हर साल सरकार को काफी रुपया इंजेक्शंस लगवाने में खर्च करना पड़ता है। बहुत से लोग तो इंजेक्शंस लगाने की प्रथा के विरुद्ध भी हैं। वे समझते हैं कि हैजा, प्लेग इत्यादि के लिये इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिये। यदि इन लोगों के लिये किसी चीज में रोकथाम है तो वह होम्योपैथी में है। चाहे शीतला हो, चाहे प्लेग हो, चाहे हैजा हो अगर होम्योपैथी की उचित मात्रा पहुंचा दी जाय तो ९५ परसेंट केसेज में अनुभव किया जा चुका है कि इन बीमारियों का प्रकोप नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को ग्रांट के विषय में पुनः ध्यान देना होगा ताकि इन डाक्टरों को थोड़ा सा सहारा मिले। प्रदेश में जो अनेक संस्थायें पनप रही हैं उन सबको एक में मिला दिया जाय और डाक्टरों की छानबीन की जाय कि उनसे कल्याण होता है या नहीं या वे नाम के खातिर डाक्टर हो गये हैं। स्कूल और कालेज में जहां दांत और आंख की बीमारी काफी बढ़ी हुई है वहां खास तौर से होम्योपैथी के डाक्टरों का प्रबन्ध होना चाहिये। अगर होम्योपैथी डाक्टरों को हम यहां अटैच कर देंगे तो प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि प्रांत और केंद्र का जो मतभेद है, रिकगनीशन के संबंध में जो उलझनें पैदा होती हैं, इलेक्ट्रो-होम्योपैथ्स का जो रिकगनीशन नहीं है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के संबंध में जो मतभेद है इन सब मतभेदों को दूर किया जाय इन विषयों पर ध्यान दिया जाय तभी होम्योपैथी से देश का अधिक से अधिक कल्याण हो सकेगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी को राजकीय मान्यता प्राप्त हुई है। इसके लिये बोर्ड कायम है जिनके द्वारा उस चिकित्सा पद्धति की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। मुझे यह कहते हुये बड़ा हर्ष होता है कि होम्योपैथी अपने देश के गरीब आदमियों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। जिस तरह की हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति है उसको देखते हुये होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। आजकल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत के संबंध में बड़ा विवाद चल रहा है। जहां तक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत का प्रश्न है आम तौर से दुनिया में ऐसी धारणा है कि उसका जन्म हिन्दुस्तान से बाहर हनीमेन साहब के जरिये से हुआ लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत और उसका (law of reaction) ला आफ रिएक्शन इन दोनों का आविष्कार गौतम बुद्ध के बहुत पहले हिंदुस्तान के अन्दर आयुर्वेद शास्त्र के अंदर हुआ था। होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत की वैज्ञानिकता के संबंध में आज भी लोग एक विवाद करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन चिकित्सा के जो सर्वमान्य और सारभौम सिद्धान्त हैं और मौलिक सिद्धांत हैं उनमें दुनियां में कहीं भी मतभेद नहीं है। दुनिया के अन्दर चिकित्साओं के अन्दर जितने मौलिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के पीछे होम्योपैथिक चिकित्सा का भी एक सिद्धांत है। हमारे ऋषियों ने कारण और कार्य को सामने रखते हुये चिकित्साओं के ६ सिद्धांत बतलाये थे और उन ६ सिद्धांतों में एक होम्योपैथी का सिद्धांत है और हम उसका सहर्ष समर्थन करते हैं कि वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यहां कोई अवसर तो नहीं है कि उसकी वैज्ञानिकता शास्त्र के द्वारा सिद्ध की जाय लेकिन यह कहने में गर्व मालूम होता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत और उसके law of reaction का सिद्धांत ईसा के कई हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तान के लोगों ने आविष्कार किया और उसका प्रयोग उस वक्त केवल चिकित्सा में ही नहीं बल्कि आहार विहार में भी होता था।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके सिद्धांतों के संबंध में संक्षेप में कह लें क्योंकि सिद्धांतों का सवाल अब रहा नहीं। एक अधिनियम इस संबंध में बन चुका है।

श्री मदन गोपाल वैद्य---यह जो होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत है यह इतना वैज्ञानिक और उपयोगी है कि उसको अपने प्रदेश में मान्यता मिलने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, कई वर्षों से, काम कर रहा है और उसके इस जीवन काल में जो कठिनाइयां सामने आती रही उनके संबंध में आज एक संशोधन हमारे सामने उपस्थित है। जहां तक होम्योपैथिक बोर्ड के संगठन का संबंध है, उसके सदस्यों की संख्या, उनका रजिस्ट्रेशन और दूसरी बातों का संबंध है, उन पर इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, जितनी कि इस बात की आवश्यकता है कि वह एक टेक्निकल संस्था है, इसलिये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का जो रजिस्ट्रार है, और उसका जो अध्यक्ष हो उनको कम से कम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान होना चाहिये। जब तक यह नहीं होता तब तक उस बोर्ड की अच्छी उन्नति नहीं हो सकती। मेम्बर कोई भी हो सकते हैं लेकिन बोर्ड के जो यह दो पदाधिकारी हैं जब तक यह टेक्निकल नहीं होते हैं तब तक इस बोर्ड की उन्नति नहीं हो सकती।

जहां तक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसके संबंध में लोगों को नाना प्रकार के अनुभव हैं। लेकिन कोई भी नियम बनता है वह नियम सम्पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। सभी नियमों में पक्ष और विपक्ष की बातें कहीं जा सकती हैं। लेकिन जो कदम सरकार ने उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात की कोशिश की गयी है कि जो लोग इस चिकित्सा में पूरा समय लगाते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। जो लोग साइड बिजिनेस की तरह करते हैं उन्हें इस संशोधन के जरिये प्रोत्साहन नहीं मिला। इस तरह से चिकित्सकों के व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिये अच्छे तरीके से काम लिया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां तक इस चिकित्सा की दवाओं को तैयार करने और उनके नियंत्रण का संबंध है उसका अच्छा तरीका नहीं निकाला गया है और उसके विषय में भी सोचने की बातें हैं।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

होम्योपैथिक चिकित्सकों की अब तक जितनी रजिस्ट्री हुई है उसके संबंध में नानाप्रकार की शिकायतें हैं। लेकिन बहुत सी शिकायतों को शायद जांच होने पर वे रफा हो सकेंगी। बहुत से ऐसे भी चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री इसलिये नहीं हो पाती क्योंकि वह उनका साइड बिजनेस है या वे गवर्नमेंट सरवेंट हैं। लेकिन वे बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और जनता की सेवा उनके द्वारा हो रही है। मैं समझता हूं कि उनकी भी रजिस्ट्री हो जानी चाहिये। क्योंकि रजिस्टर में रोगियों की संख्या आया करती है। रोगियों की संख्या के आधार पर उनकी रजिस्ट्री की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में होम्योपैथी की अच्छी उन्नति प्रदेश में होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार आज जितना रुपया मेडिकल कालेज और बड़े-बड़े अस्पतालों में खर्च कर रही है अगर उसमें से थोड़ा रुपया होम्योपैथिक डाक्टरों को अनुदान स्वरूप दे दें तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जिले में या और जिलों में ऐसे होम्योपैथिक डाक्टर हैं जो बड़े-बड़े रोगों को दूर कर देते हैं, जिनको कि हमारे बड़े चीड़फाड़ करने वाले डाक्टर ठीक नहीं कर पाते।

इस देश की जनता गरीब है कम से कम गरीब हरिजनों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े-बड़े डाक्टरों के पास जायं। मैं स्वयं मरीज हूं। लेकिन मेडिकल कालेज में पहुंचने की हिम्मत आजतक नहीं की। इतना पैसा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पांच हजार के स्थान पर एक करोड़ रुपया इस मद में दें ताकि दो लाख रुपया हर जिले को मिल जायं जिससे यह चिकित्सा पद्धति उत्तरोत्तर बढ़ सके और इससे गरीबों का लाभ हो सके। लाखों किसानों, भुखमरों का इससे कल्याण हो सकता है। जो आदमी बीमार पड़ते हैं, उनके न तन पर वस्त्र है न पैसा है। यह दवा सस्ती और साथ ही लाभदायक है। यह हमारी कमिंग जनरेशन के लिये बहुत लाभप्रद है। यह बच्चों के लिये सबसे उत्तम है। यह मीठी होती है इसलिये बच्चे इसे खुशी से खा लेते हैं। कम पैसे में आने वाली इन दवाओं से कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं बहुत से बड़े लोग हैं जो गांवों में मुफ्त इसकी दवा लेते हैं। तो सरकार अगर उन डाक्टरों को जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, कुछ रुपया दे दें तो उससे उनका काम ज्यादा अच्छी तरह चलेगा। हमारे कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया। मैं कहता हूं कि इसमें एतराज करने की कोई बात नहीं है। जिनको हमने रजिस्टर्ड कर लिया, जिनको मान्यता दे दी, वह तो रहेंगे ही। जिनको मान्यता मिल चुकी है उनकी मान्यता हम छीनने थोड़े ही जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात नहीं सोची जा रही है। लेकिन जो घपलेबाजी हो रही है उसको रोकने के लिये वह कदम उठाया जा रहा है। और सरकार वह बिलकुल ठीक कर रही है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने जो यह स्टेप लिया वह बिलकुल ठीक है। जो लोग कई-कई काम एक साथ करते हैं, नौकरी भी करते हैं, दूकान भी खोले हुये हैं। दवा भी बांटते हैं। उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही होनी चाहिये। सरकार जो इंसपेक्टर्स इसके लिये मुकर्रर कर रही है वह बिलकुल ठीक कर रही है। एक आदमी को एक ही काम करना चाहिये जिससे उसका ध्यान उसमें केंद्रित हो सके। अगर उसका ध्यान कई कामों में लगा रहेगा तो वह केंद्रित नहीं हो सकता। अन्त में मैं यही सरकार से और कहूंगा कि कुछ रुपया अनुदान स्वरूप उन लोगों को वह दे जो इसमें काम अच्छा कर रहे हैं जिससे गरीबों का भला हो।

***नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं जिन्होंने कि इस विधेयक का स्वागत किया। मैं कुछ सुझावों से जो कि माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों ने सदन में विचारार्थ उपस्थित किये, उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि दो माननीय सदस्यों ने तो जो सुझाव रखे वह मेरी समझ में स्वयं आये नहीं। वे चाहते हैं कि क्वैकरी के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय। क्वैकरी हमेशा के लिये जहां तक होम्योपैथ्स का संबंध है या होम्योपैथी का संबंध है बन्द कर दी जावे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का मंशा क्वैकरी को बिल्कुल बन्द करने का तो है नहीं परन्तु उसके ऊपर ऐसे प्रतिबन्ध अवश्य लगाने का है जिससे कि क्वैकरी उत्तरोत्तर हमारे बीच से हट जाय या घट जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब होम्योपैथिक अधिनियम बना था, वह विधेयक के रूप में एक नान-आफिशियल ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया था और उस समय सदन ने उस विधेयक पर विचार करके उचित प्रकार के संशोधन करके उसे स्वीकृति प्रदान की थी। उस समय भी जिन माननीय सदस्य ने विधेयक को सदन में विचारार्थ उपस्थित किया था उन्होंने ऐसे होम्योपैथ्स जिन्हें कि क्वैक्स समझा जाय उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करने से मना करने की न तो स्वयं नीति अपनायी थी और न उन्होंने कोई इस तरह का सुझाव उस समय रखा था और सुझाव क्यों नहीं रखा था उसके पीछे भी एक नीति छिपी हुई थी और वह यह थी कि होम्योपैथी के विषय में बहुत से व्यक्तियों का ऐसा मत था कि जो उसे साइंटिफिक नहीं मानते थे। स्वयं लोगों में विवाद था, बहस थी और बहुत से व्यक्ति उसे उस रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये तैयार नहीं थे जिस तरह से कि होम्योपैथ्स उसे मान्यता प्रदान कराना चाहते थे। साथ ही में यह बात भी थी कि अपने प्रदेश में डाक्टरों की काफी कमी थी वैद्यों की भी कमी थी। तो ऐसे व्यक्ति जो कि काफी मात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये थे और जनता की सेवा कर रहे थे यदि प्रारम्भ में ही उन पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाता तो बहुत से व्यक्ति होशियार थे, तजुरबेकार थे, अनुभवी थे वह भी उससे वंचित हो जाते क्योंकि जब हमारे पास मापदंड कोई मान्यता प्रदान करने के लिये था नहीं, कोई पैमाना लोगों की काबलियत के जांच करने का था नहीं सिवाय इसके कि उनका तजुरबा, तो यदि कोई प्रतिबन्ध सरकार लगा देती तो इस विज्ञान के प्रति शायद वह न्याय नहीं करती। सदन भी कोई न्याय नहीं करता? तो मैं यहां यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक हमारे विचारार्थ उपस्थित है उसमें हमने कोई पहले अधिनियम में ऐसी तब्दीली रखने की चेष्टा नहीं की कि जो इस अधिनियम के बनाने का मंशा था उसके बिल्कुल विरुद्ध ही जाय। हां, जो अब नये प्रतिबन्ध भी हम लगा रहे हैं उनका भी एक ही मंशा है और वह यह है कि उत्तरोत्तर क्वैकरी हट जाय और हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें जो अपना सारा समय इस विज्ञान के अध्ययन में, इस विज्ञान का अनुभव प्राप्त करने में लगायें।

मुझे अभी मेरे सहयोगी ने बतलाया कि कई साथी क्वैकरी के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं इस सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्वैकरी के असली मानी या यदि हम इस तरह से कहें कि जो "नीम हकीम" हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में घूमा करते हैं उनसे यदि उनका मुकाबला किया जाय तो कदाचित क्वैकरी के मानी लोग ठीक तरह से समझ सकेंगे। ऐसे जो नीम हकीम हमारे प्रदेश में होम्योपैथी के नाम से तिजारत करते हैं और क्वैकरी करते हैं उनको प्रैक्टिस से हटाने का इस पुराने अधिनियम में बिल्कुल मंशा नहीं था। जो संशोधन इस विधेयक के द्वारा हम उपस्थित कर रहे हैं उनमें भी जैसा मैंने अभी बतलाया, प्रतिबन्ध लगाने की नीति है। नियंत्रण अधिक मात्रा में लगाने की नीति रखी गयी है। तभी जो संशोधन होम्योपैथ्स के होल टाइम होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के संबंध में रखा गया है वह हमें उस ओर ले जाने वाला है जो नीति हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस के संबंध में बरतना चाहते हैं। मैं माननीय नारायण दत्त जी के उन सुझावों को समझ नहीं पाया। वह चाहते हैं कि बोर्ड को पूरा अधिकार रहना चाहिये और वह यह भी चाहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति हैं तजुरबेकार व्यक्ति हैं उन्हें चाहे जब रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाजत मिल जानी चाहिये। ये दोनों बातें तो ठीक बातें नहीं हैं और यह कोई संतुलित ढंग से समझने वाली भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि क्वैकरी हमारे प्रदेश से हटें तो उसके लिये हम उचित कार्यवाही तभी कर सकते हैं जब कि हम उचित प्रतिबन्ध इस होम्योपैथी की प्रैक्टिस के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

संबंध में लगाये। हमने जो संशोधन सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है वह हम अवश्य ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जिस से हम ऐसे प्रतिबन्ध लगाकर क्वैकरी रोक सकें, नीम हकीम को रोक सकें।

उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया कि हमने बोर्ड से इस विधेयक के संबंध में सलाह ली है या नहीं। तो अवश्य हमारे पास बोर्ड की सलाह आई है। बोर्ड ने स्वयं सुझाव हमारे सामने उपस्थित किया था कि जो लोग दवाई इत्यादि होम्योपैथी की बनाते हैं उनको लाइसेंस देने का कोई अधिकार बोर्ड के पास होना चाहिये और वह अधिकार हम इस विधेयक के द्वारा बोर्ड को प्रदान करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी जानकारी हमसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि क्या बोर्ड ने इन तीन वर्षों में जो कार्य किया है उसकी प्रगति की रिपोर्ट सरकार के पास आई है या नहीं? मैं यहां निवेदन कर देना चाहता हूं कि बोर्ड ने सिवाय रजिस्ट्रेशन के और कुछ संस्थाओं को धनराशि अनुदान के रूप में देने के कोई ऐसा कार्य अभी नहीं किया जिसके विषय में वह सरकार के पास रिपोर्ट भेजता। अभी किन-किन संस्थाओं को मान्यता मिलनी चाहिये, किन-किन संस्थाओं को रिकागनीशन मिलना चाहिये, किन-किन संस्थाओं के पढ़े लिखे व्यक्ति होम्योपैथी में शिक्षा प्राप्त किये हुये व्यक्ति रजिस्टर्ड किये जायं इस पर बोर्ड ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बोर्ड को जैसा कि हम सब जानते हैं इस प्रकार के अधिकार पहले अधिनियम में मिल चुके हैं और हम आशा करते हैं कि वे वह उन अधिकारों को बरतेगा। जहां तक उत्तर प्रदेशीय सरकार का संबंध है होम्योपैथी के प्रसार के संबंध में है मैं यहां यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार उत्तरोत्तर इस इलाज की प्रणाली को प्रदेश में विकसित होने का अवसर प्रदान करती जा रही है। यह सत्य है कि अभी जो बजट हम इस ओर रखते हैं वह उचित मात्रा में उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा कि इस सदन के सदस्य स्वयं जानते हैं, होम्योपैथी के विषय में जहां तक उन व्यक्तियों का संबंध है जो अपने को वैज्ञानिक कहते हैं वे तो उसकी कटु आलोचना करते हैं और विरोध भी करते हैं और कभी-कभी अपने विरोध में यह भी कह जाते हैं कि यह सरकार प्रतिक्रियावादी नीति बरत रही है जो इस तरह के अनसाइंटिफिक तरीके को प्रदेश में संचालित करने का प्रयास कर रही है। खैर, जहां तक सरकार का संबंध है उसने उन आलोचनाओं के ऊपर ध्यान न देते हुये होम्योपैथी को भी उत्तरोत्तर विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। तभी तो उसने एक कानून बना कर होम्योपैथ्स को कानूनी रेकगनीशन दिलाने का प्रयास किया है। वे होम्योपैथ्स जो रजिस्टर हो जाते हैं उन्हें पुराने अधिनियम के मुताबिक कुछ वे अधिकार मिल जाते हैं जो अधिकार अन्य तरीके के इलाज रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर्स को प्राप्त हैं। अगर हम दफा ४६ पुराने अधिनियम की अध्ययन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वे होमियोपैथ्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है सार्टीफिकेट इत्यादि देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, लोगों को कचहरी इत्यादि में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है उसकी इलनेस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो वे रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर्स के वे सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं जिनको कानून इजाजत देते हैं। तजुरबेकार व्यक्तियों को आइन्दा भी रजिस्टर करने की पद्धति यदि चलाई जाय तो फिर उस तजुरबे का कोई मापदंड हमारे पास नहीं रहता है। इसलिये एक मापदंड रखने के लिये अब यह निर्णय किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे प्रतिबन्ध लगा कर हम अपने बीच में ऐसे होमियोपैथ्स पैदा करें जो कि योग्य हों, तजुरबेकार हों और जिनके पास वे क्वालिफिकेशंस हों जो कि एक पढ़े लिखे तजुरबेकार डाक्टर के पास होने चाहिये। इसीलिये जिस अधिकार की बात माननीय नारायण दत्त जी ने सदन के सामने कही, कोई माने नहीं रखती है यदि वे क्वैकरी को दूर करना चाहते हैं तो जो प्रतिबन्ध हमने लगाने के प्रयत्न किये हैं उन्होंने उन प्रतिबन्धों की आवश्यकता भी माना है, ताहम उनका वह सुझाव कि बोर्ड के पास तजुरबेकार व्यक्तियों को रजिस्टर करने का अधिकार अब भी कायम रहे यह बेमानी है। जहां तक बहुत से तजुरबेकार होमियोपैथ्स का संबंध था, मैं समझता हूं वे तो सब अब तक रजिस्टर हो गये होंगे और वे सब उसी श्रेणी में आ गये होंगे जिन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार है। जो लोग आगे

प्रैक्टिस की बुनियाद पर आना चाहेंगे उनके ऊपर वे प्रतिबन्ध लगायेंगे जो कि इस संशोधन में व्यक्त किये गये हैं।

मैंने अभी आपसे बताया कि प्रदेश की सरकार उत्तरोत्तर इस प्रयास में रही है कि होम्योपैथिक डाक्टरों को होमियोपैथी पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने होमियोपैथी का जो कालेज लखनऊ में चल रहा है उसको काफी अनुदान देने का निर्णय किया है और इस वर्ष भी जैसा कि बजट के आंकड़े बतलाते हैं हमने ४० हजार रुपये की धनराशि इस संस्था के विकसित होने के लिये और निर्मित होने के लिये इस साल के बजट में रखी है। कदाचित वह कालेज शीघ्र ही एक ऐसी रूपरेखा में परिवर्तित हो जायगा जहां होम्योपैथी की उच्चकोटि की शिक्षा दी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ होम्योपैथी के अस्पताल खोलने के लिये भी जितनी अब तक धनराशि व्यय होती रही है उससे कई गुनी ज्यादा व्यय करने की योजना बनाई है। हम आशा करते हैं कि जब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य प्रारम्भ होगा और इस कालेज की स्थापना हम ठीक ढंग से कर लेंगे तो इस कालेज से निकले हुये विद्यार्थी अवश्य ऐसी योग्यता प्राप्त लेंगे जो होम्योपैथी के प्रति श्रद्धा और आदर उन व्यक्तियों में पैदा कर सकें जो अपने को वैज्ञानिक समझते हैं और जो विज्ञान की तह में ही प्रत्येक चीज को जांचते हैं और जो वैज्ञानिक प्रथा को प्रदेश तथा देश में रखना चाहते हैं।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने सदन के सम्मुख कुछ ऐसी बातें रखी हैं जिनको मैं समझ नहीं पाया हूं। उन्होंने सदन में जानकारी के रूप में बतलाया कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनको केन्द्रीय सरकार तो मान्यता प्रदान करती है और प्रदेशीय सरकार मान्यता नहीं देती है। कम से कम प्रदेशीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि कोई ऐसी बात है तो उसकी सूचना प्रदेशीय सरकार के पास आनी चाहिये अभी मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि कोई ऐसी संस्था हो जो केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुकी हो और हमारे यहां मान्यता पाने की चेष्टा की हो और उसको मान्यता न मिली हो।

श्री परिपूर्णानन्द जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी जिक्र किया और उन्होंने सदन के सामने सुझाव रखा कि उसको मान्यता मिलनी चाहिये। मैं इन विषयों का पंडित नहीं हूं परन्तु जो लोग इन विषयों की जानकारी रखते हैं कदाचित पिछले या पूर्व वर्ष में इस पर विचार हुआ था और बोर्ड इस राय का नहीं हो पाया कि इस इलैक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जाय। वैसे हर प्रकार से बोर्ड को अधिकार है और वह इस विषय में विचार कर सकता है और विचार करके निर्णय दे सकता है।

जो मौजूदा विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसका मंशा जहां तक चेयरमैन की नियुक्ति का है वह यह है कि होम्योपैथी बोर्ड आफ मैडिसिन का चेयरमैन उसी प्रकार से नामजद किया जाय जिस तरह से एलोपैथी सिस्टम के लिये जो कौंसिल निर्मित होती है। हम यह चाहते हैं और ऐसा ही विचार अन्य व्यक्तियों का भी है कि जहां तक प्रोफेशनल एजूकेशन और प्रोफेशन के कंवेन्शन्स इत्यादि की बातें हैं उनको ठीक तरह से संचालित करने का सवाल है तो वह उन व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये जो उस प्रोफेशन से संबंध रखते हों और जो उसमें काम करते हों। अब तक कानून की तहत में यह रखा गया था कि होम्योपैथिक बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड की नियुक्ति के बाद चुना जायगा। चुनने की प्रथा प्रोफेशनल आदमियों में गड़बड़ पैदा करती है और यह प्रथा, जैसा कि मैंने बतलाया, एलोपैथिक सिस्टम की जो मेडिकल कौंसिल है उसके लिये भी प्रचलित नहीं है। इसलिये सरकार ने यह उचित समझा कि जो तीनों तरीके के इलाज प्रदेश में चल रहे हैं उनकी कौंसिल बनी हुई है उनका ढंग और उनका कांस्टीट्यूशन करीब-करीब एक प्रकार का हो। इसलिये जहां प्रेसीडेंट के चुनने का विषय था उसमें संशोधित बिल द्वारा परिवर्तन करके यह ढंग निकाला है कि वह उसी प्रकार से नियुक्त किया जाय जिस प्रकार कि

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मेडिकल कौंसिल का सभापति सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। श्री परिपूर्णानन्द जी ने हमारा ध्यान इस ओर भी दिलाया था कि होम्योपैथ्स के बीच में बहुत से एसोसियेशन्स बने हुये हैं और उनमें आपस में काफी लड़ाई झगड़ा है और वह कभी-कभी एक मत नहीं हो पाते हैं। उन से मेरा निवेदन यह है कि इसी वजह से तो हमने शेड्यूल में वह परिवर्तन किया है कि जिससे वह एसोसियेशन्स जिनको कि पहले तजुर्बे की बुनियाद पर डाक्टरों को रजिस्टर्ड करने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार था वह उनसे छीन लिया जाय और नये नियमों के अनुसार वह डाक्टर जो तजुर्बे की बुनियाद पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं रजिस्टर्ड किये जायं। पहले जैसा कि पुराने अधिनियम में दिया हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसियेशन था, उसके द्वारा जब सिफारिश होती थी तभी कोई रजिस्टर्ड हो पाता था, किन्तु अब हमने इस संशोधित बिल द्वारा वह बात अलाहिदा कर दी है। जो बातें अभी हमारे विचारार्थ रखी गई थीं उनमें से मोटे तौर से जितनी बातों का उत्तर मुझे देना चाहिये था उनका मैंने उत्तर दे दिया है। मैं फिर सदस्यों को उनके उत्साह के लिए, जो उन्होंने इस संशोधन बिल के लिये दिखाया है, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास संशोधन नहीं आये हैं, सिर्फ नारायणदत्त जी ने मेरे पास एक संशोधन भेजा है। जिस वक्त वह खंड आयेगा उस वक्त मैं उनको बुलाऊंगा।

खंड २, ३ और ४

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"५—(१) बोर्ड का एक अध्यक्ष (Chairman) होगा जिसे राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों में से नियुक्त करेगी।

(२) बोर्ड का एक उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) भी होगा जो बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जायगा।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में :

(क) शब्द "चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन के रूप में चुना गया मेम्बर" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष (Chairman) के पद पर नियुक्त अथवा उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के पद पर निर्वाचित कोई सदस्य" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "निर्वाचित किये जाने या नामजद" के स्थान पर शब्द "नियुक्त किये जाने या नामजद" रख दिये जायं।

४--मूल अधिनियम की धारा ९ में : उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ९ का संशोधन ।

(क) खंड (१) में शब्द "नये निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "नयी नियुक्ति" रख दिये जायं ।

(ख) खंड (२) तथा उसके प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद में जहां शब्द "निर्वाचित" आया है इसके स्थान पर शब्द "नियुक्त" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ४१ के खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ४१ का संशोधन ।

"(९) लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों (permits) द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना और राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के निमित्त इन्सपैक्टरों को नियुक्त करना जो होम्योपैथी के अर्हित (qualified) डाक्टर हों ।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ५ के द्वारा संशोधित धारा ४१ के खंड ९ में शब्द "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों" से शब्द "नियमन करना और" तक निकाल दिये जायं ।

मेरा एक दूसरा संशोधन भी है जो मैं आपकी आज्ञा से अभी ही प्रस्तुत किये देता हूं ।

एक नया उपखंड (९)--क--जोड़ दिया जाय जो इस प्रकार हो :--

"(९) क--लाइसेंस अथवा अनुज्ञा पत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्से तैयार करने के कार्यों का नियमन करना।"

बजाय इसके इसका अर्थ संक्षेप में यह है कि इसके भावार्थ में यह परिवर्तन नहीं करता इसमें केवल एक शाब्दिक शोभा प्रदान करता है ।

मैं इसको और स्पष्ट कर दूं । मूल अधिनियम में यह है कि "राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये इंस्पैक्टरों को नियुक्त करना" यह शब्द खंड ९ में मौजूद हैं। अब सरकार की यह इच्छा हुई कि खंड ९ में इतना और जोड़ दें कि "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना" यह जोड़ने की आवश्यकता हुई तो सरकार ने इसी खंड ९ में ऊपर बताये हुये को जोड़ कर यह नियमन की विधि प्रस्तुत कर दी । मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि प्रथम अधिनियम के खंड ९ में बढ़ाये ९--क के द्वारा इसको बढ़ा दिया जाय और "लाइसेंस" से लेकर "नियमन करना" तक इसमें जोड़ दिया जाय तो उचित होगा । मैं समझता हूं मेरा तात्पर्य माननीय मंत्री जी समझ गये होंगे । केवल इतनी बात है कि ९ खंड के बजाय ९।क बना कर इसको जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह साफ हो गया है। यह खंड ५ में जो तीसरी पंक्ति "राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं" तक जो शब्द हैं यह पहली धारा ४१ के खंड (९) में आ चुके हैं। तो यह पहले तीन पंक्तियों के जो शब्द हैं उनको अगर (९) क---के स्वरुप में जोड़ दिया जाय तो अधिक ठीक होगा नहीं तो जो शब्द पहले से अधिनियम में मौजूद हैं वह हैं ही केवल उनको वह दो टुकड़ों में रखना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं तो स्वयं इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। आखिर जो यह नियमन थे वह ला डिपार्टमेंट के पास गये। उनकी सलाह और रजामन्दी से इसमें परिवर्तन किया गया है। अब यहां इनका कोई दूसरा मतलब भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। वही भाव इन शब्दों से व्यक्त है और कानूनी दृष्टिकोण से भी इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से कौंसिल से इन नियमों का परिवर्तन स्वीकार किया है उसकी मंजूरी उनको प्रदान करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---वह कौंसिल का कारण बताते हैं कि यदि कोई भी संशोधन यहां स्वीकृत हुआ तो फिर उनको वहां जाना पड़ेगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ५ के द्वारा संशोधित धारा ४१ के खंड (९) में शब्द "लाइसेंस" से लेकर "नियमन करना और" शब्द तक निकाल दिये जायं और खंड ५ की मूल धारा ४१ में उपखंड (९) क इस प्रकार जोड़ दिया जाय।

"(९) क---लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ और ७

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५६ का संशोधन।

६---मूल अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा (२) में खंड (थ) के पश्चात् (थ थ) तथा (थ थ थ) को निम्नलिखित नये खंडों के रूप में रखा जाय:

"(थ थ) धारा ४१ के खंड (९) के अधीन लाइसेंस या अनुज्ञापत्र (permit) देने के लिये प्रार्थना-पत्र का (form) तथा उस में भरे जाने वाले ब्योरे;

(थ थ थ) लाइसेंस देने की शर्तें, लाइसेन्स का नवीकरण तथा उसके लिये देय शुल्क";

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६३ का संशोधन।

७---मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"६३---इस अधिनियम की अन्य किसी भी धारा में किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के भाग २ अथवा

रजिस्ट्रेशन पूर्व परीक्षा।

उसकी किसी धारा के लागू हो जाने के दिनांक से एक वर्ष के पूरा होने पर अथवा उसके पश्चात् तब तक रजिस्टर में रजिस्टर्ड चिकित्सक के रूप में न लिखा जायगा जब तक वह बोर्ड द्वारा स्वीकृत परीक्षा नहीं पास कर लेगा।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की अनुसूची में संशोधन।

८—मूल अधिनियम की सूची में:

(१) तीसरे अनुच्छेद (paragraph) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"३—वे होम्योपैथ जो प्रार्थना-पत्र देने के समय पिछले पांच वर्षों से पूर्णकालिक (whole time) होमियोपैथों की हैसियत से चिकित्सा कर रहे हों, और जिनका रजिस्टर्ड होमियोपैथ होने के लिये योग्य होना विहित रीति से प्रमाणित किया गया हो।

स्पष्टीकरण—यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी (local authority) अथवा किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (undertaking) अथवा अन्य किसी अधिष्ठान (establishment) का सवैतनिक कर्मचारी (होमियोपैथ के रूप में काम करने से भिन्न दशा में) हो तो उसे पूर्ण कालिक होमियोपैथ के रूप में चिकित्सा करने वाला व्यक्ति न समझा जायगा।"

(२) अनुच्छेद (paragraph) ४ निकाल दिया जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, परिशिष्ट में जो उपखंड (४) है उसकी आवश्यकता अभी बनी हुई है। वह उपखंड (४) इस प्रकार है—

"वे होमियोपैथ, जो बोर्ड की राय में पर्याप्त ख्याति प्राप्त, प्रशंसित और योग्य हों और व्यवसाय में अपनी कार्य निपुणता के लिये सुविख्यात हों।"

मैं समझता हूं कि बोर्ड को अभी इस प्रकार के अधिकार रहने चाहिये कि जो आउटस्टैंडिंग क्वालीफिकेशन के आदमी हों और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, उनको रजिस्ट्र करने का अधिकार बोर्ड को अभी रहना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि जो ऐसे ख्याति प्राप्त होमियोपैथ हैं वे अपना नाम रजिस्टर करा चुके होंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस न होगी किन्तु कई बार सरकार ने ऐसी बात कही है कि कोई प्रोवीजन रिडंडेंट होते हुए भी विधेयक में प्रीकाशनरी मेजर के रूप में रहने में कोई हर्ज नहीं है। जो दलील हम लोग दिया करते थे वह दलील माननीय मंत्री जी ने आज दी और एक प्रकार से माननीय मंत्री जी ने हमारी दलील को स्वीकार कर लिया लेकिन अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार इस अधिकार को बोर्ड के पास रहने दे तो इससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है। क्योंकि यह हो सकता है कि बम्बई में एक डाक्टर रहता है और वह यू० पी० में आ जाता है वह क्योंकि यहां की डाक्टरी पास नहीं है इस लिये वह यहां पर रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड में ऐसा अधिकार कोई निहित नहीं रह गया कि वह बाम्बे वाले डाक्टर को रजिस्टर उसके तजुरबे की बिना पर कर सके। इसलिये कोई ऐसा अधिकार बोर्ड के पास रहना चाहिये कि इमरजेंसी के समय वह ऐसा कर सके। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई असंगत बात न होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस बात की चर्चा माननीय नारायणदत्त जी ने की उसका उत्तर मैं अपने पूर्व भाषण में ही दे चुका हूं और इसलिये वह चर्चा अनावश्यक थी। मैंने यह बताया था कि जिनको अनुभव था वे अब तक रजिस्टर हो चुके होंगे और अनुभव की बुनियाद पर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर होने से न रह गया होगा जो अपने आपको रजिस्टर कराना चाहता था या है। जहां तक भविष्य में क्या प्रणाली बरती जाय, इसका प्रश्न है वह उद्देश्य और कारणों में ही हमने बता दिया है कि भविष्य में हमारी नीति केवल ऐसे ही व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने की है जो ड्यूली क्वालीफाइड होंगे और जिन्होंने तमाम प्रतिबंधों के तहत योग्यता प्राप्त कर ली होगी जिनका वर्णन हमने इस संशोधन में किया है जो इस विधेयक के द्वारा उपस्थित किये जा रहे हैं। जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिसकी चर्चा माननीय नारायण दत्त जी ने की कि वह बंबई में डाक्टरी में विशेष योग्यता प्राप्त किए हुये है और वह यहां आ जाता है, तो उसके बारे में होमियोपैथिक बोर्ड जब अपने नियम बनायेगा तो उन नियमों के तहत उनको मान्यता देने में कोई कठिनाई न होगी और उसको अवश्य रजिस्टर कर लिया जायगा और ऐसी कोई हालत कभी पैदा नहीं हो सकती कि कोई उचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त न कर सके। इसलिये जो कुछ उन्होंने काल्पनिक आपत्ति की है वह मौजूदा हालत में कुछ मानी नहीं रखती है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

यह इष्टकर है कि आगे उल्लिखित प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ का संशोधन किया जाय:

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षक नाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि कल जो राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद होगा उसके प्रारम्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखेंगे और उसके अनुसार यह प्रस्ताव आने पर उसके ऊपर विवाद जारी होगा।

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे सन्धान (Adjustments) को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये ।"

जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ को कार्य परामर्शदात्री समिति में विचारार्थ भेजने की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं एक बात जरा निवेदन करना चाहता हूं एजेंडे को देखने से मालूम होता है कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ विधेयकों के क्रम में तीसरे नम्बर पर लिया जाने वाला है । मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इस लिये बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी इस पर विचार करे । यह हमारी दिक्कत है जो मैंने आपके सम्मुख रख दिया ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन माननीय मंत्री जी जो इसको उपस्थित करेंगे इस वक्त यहां मौजूद नहीं है । जिस वक्त यह पेश हो उसी वक्त आप इस प्रश्न को उठावें तो ठीक होगा ।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस गरज से आया है कि हमारे सूबे में पहले दो अलग-अलग हाई कोर्ट थे, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा चीफ कोर्ट लखनऊ। सन् ४८ में यह दोनों मिल कर एक हो गए लेकिन इसके बावजूद जो मातहत

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, २७ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री सैयद अली जहीर]

अदालतें थीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की थीं वह बंगाल आगरा एन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के मातहत रहीं और जो अवध में थीं वह अवध कोर्ट ऐक्ट्स, २५ था, उसके मातहत रहीं। इसकी वजह से यह होता था कि जब कभी कोई हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट को जारी करना होता था तो दोनों कानूनों में अलग-अलग हुक्म जारी करना होता था और एक जहमत होती थी। जिसकी वजह से कोई खास फायदा नहीं था लेकिन एक तारीख चली आती थी और ऐसा चलता था। नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन हुए इसी सदन ने एक बिल पास किया था जिसके जरिए से यह फैसला हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट जजेज को यह अधिकार होगा कि वह बजाय ५,००० तक के दस हजार तक के मामले सुन सकेंगे। वह कानून पास हो गया और लागू कर दिया गया। लेकिन उस कानून की वजह से जो तरमीम की गई वह केवल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट में की गई क्योंकि ज्यादातर वही लागू था और उसी को सामने रख कर तरमीम की गई थी और वह अवध कोर्ट ऐक्ट में नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि अवध की अदालतों का जूरिसडिक्शन ५ हजार तक की ही रह गया और आगरा के कोर्ट्स का बढ़ कर १० हजार तक हो गया। जब इस एनामली को देखा गया तो जरूरत महसूस हुई कि दोनों कानूनों को मिला कर ऐसा कर दिया जाय कि एक ही कानून गोया दोनों जगहों पर लागू है। चुनांचे इसी गरज से यह कानून आया है। इसमें ५,००० का जुरिसडिक्शन दस हजार तक बढ़ाया गया है और बाकी जो दफात ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा इखतिलाफ था वह तरमीम की गई हैं। मेरे ख्याल में सदन इसको मंजूर करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय जिन उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डाला वह स्पष्ट हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यह विडम्बना आज तक कैसे चलती रही और इस प्रकार की असंगति क्यों इतने दिनों तक रही, यह आश्चर्य का विषय है कि जो दो परस्पर समान दृष्टिकोण रखने वाले ऐक्ट बंगाल, आगरा एन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और अवध कोर्ट्स ऐक्ट जो एक ही प्रकार की व्यवस्था करते थे वह इस सूबे के अलग-अलग न्यायालयों में लागू रहें यह अवश्य एक विडम्बना और एक कानट्रेडिक्शन था। यह संशोधन तो वास्तव में तभी हो जाना चाहिये था जिस दिन कि चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट का अमलगमेशन हुआ था और जितने कोर्टस् के लिये अवध कोर्टस् ऐक्ट लागू नहीं किया गया था उनके लिये भी बंगाल आसाम ऐक्ट लागू किया गया उसी समय यह संशोधन हो जाना चाहिये था। तो खैर, अब देर में ही सही अगर कोई अच्छा विचार सरकार का हो तो उसमें कोई रुकावट डालने का प्रश्न नहीं है। हां, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे अवध कोर्ट्स ऐक्ट रिपील नहीं हुआ है और यदि सबार्डिनेट कोर्ट्स के लिये उस ऐक्ट की धारायें लागू न होकर बंगाल आसाम ऐक्ट की धारायें लागू हो जायेंगी तो फिर यह प्रश्न हो जायगा कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें लागू माननी चाहिये जैसे चैप्टर ६ में सप्लीमेंटल प्रावीजन्स के बारे में है। इस विधेयक में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें अब लागू नहीं रहेंगी। इसमें केवल एक जगह जिक्र है खंड २ जिसमें यह लिखा हुआ है :

"इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की (जो धारायें इसमें दी गई हैं) वह धारायें उन क्षत्रों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के तत्सस्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायंगे।

अब तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार, इतनी बेग लैंगुयेज कानून में लिखना बहुत गलत है। कौन सी धाराएं हैं, कौन से सब सेक्शन्स हैं यह स्पष्ट होना चाहिये। इसमें एक आम बात कही गयी है कि वह धारायें जो सम्बन्ध रखती हैं। कम से कम जब आपने बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स की धारायें जब स्पष्ट की हैं कि कौन कौन-सी लागू होंगी तब उसी प्रकार से यह भी होना चाहिये था कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन-कौन सी धारायें लागू नहीं होंगी। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक यह विधेयक एक प्रकार से अधूरा है और भ्रमात्मक है क्योंकि कल को यह सवाल उठ सकता है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट अभी रिपील नहीं हुआ है तो कौन-कौन सी धारायें उसकी रिपील की गई हैं और कौन सी नहीं की गई हैं। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक अनामली रहेगी, कन्फूजन रहेगा और मिसअन्डरस्टैंडिंग भी होने की गुंजायश है। मैंने इसमें ढूंढ़ने की कोशिश की कि कौन-कौन से उपबन्ध माने जा सकते हैं जो बिल्कुल उसी मतलब में जो बंगाल आसाम ऐक्ट की धारा ३, ४, ६, ८, ९ से ११, १३ से २५, ३८ तथा ३९ से सम्बन्धित है। अगर ध्यान से देखा जाय तो बहुत सी ऐसी धारायें हैं जो मिलती जुलती हैं आसाम बंगाल ऐक्ट की धाराओं से और इसलिये उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर विधान बनाना आवश्यक है। इसलिये ऐसी बात स्पष्ट होनी चाहिये कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें लागू होती हैं और कौन सी नहीं लागू होती हैं और अगर उसकी कुछ धारायें अब भी लागू हैं तो फिर वही अनामली रह जाती है कि दो दो ऐक्ट अभी भी लागू रहते हैं और कुछ के लिये बंगाल आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और कुछ के लिये अब भी अवध कोर्ट्स ऐक्ट लागू रहेगा। इसलिये या तो बिल्कुल अवध कोर्ट्स ऐक्ट को रिपील कर दें और यह घोषित कर दें कि यू० पी० की बाउन्डरी में अवध कोर्ट्स ऐक्ट अब निरस्त किया जाता है और वह यू० पी० में लागू नहीं होगा। उसके स्थान पर दूसरा ऐक्ट बन जायगा चाहे वह बंगाल आसाम ऐक्ट का पूर्णरूपेण संशोधन करके हो या कोई नया ऐक्ट बना करके हो। मैं सरकार की इस मंशा से तो सहमत हूं कि एक ऐक्ट हो लेकिन अवध कोर्ट्स ऐक्ट अब भी लागू हो सप्लीमेंटल हो चाहे और कोई हो इससे हम सहमत नहीं हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि दो चार साल के बाद फिर संशोधन लाना पड़ेगा कि कुछ जगह यह लागू था इसलिये उसको रिपील करते हैं या उसके इस प्राविजन को लागू करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस असंगति को दूर करें। जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी ने इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सिफारिश तो नहीं की लेकिन एक इशारा कर दिया कि जो विधान इस सम्बन्ध में हैं वे एक प्रकार से बनने चाहिये और बहुत से अन्य सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। सरकार ने मेरा खयाल है, जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के कुछ सुझावों के अनुसार विधान बना लिया है, लेकिन बहुत से सबार्डिनेट सिविल कोर्ट्स के मामले में जो सुझाव थे उन पर विधान बनाना अब भी बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब यह ५ हजार रुपये के बजाय जो १० हजार रुपये का अधिकार दिया है इस सुझाव को मान लेने के अलावा कौन से जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के सुझाव को वे मानने जा रहे हैं या मानना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिनको इस संशोधन विधेयक में लाने की गुंजायश थी लेकिन नहीं लाये गये। अगर कोई ऐसी सूरत निकल सकती हो कि जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के सुझावों को सिविल कोर्ट्स के बारे में पूरे माने में मान सकें तो बहुत उपयुक्त होगा।

दूसरी बात जो बंगाल, आगरा एंड आसाम ऐक्ट की धारा ३७ के बारे में है माननीय मंत्री जी ने जो धारायें लागू की हैं वे धारा ३ से लेकर धारा १९ तक, धारा २१ से

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकर धारा २५ तक और धारा ३८ से लेकर धारा ४० तक लागू की हैं, लेकिन धारा ३७ लागू नहीं की। धारा ३७ इस प्रकार है :

"Wherein any suit or other proceeding it is necessary for a Civil Court to decide any question regarding succession, inheritance, marriage or caste, or any religious or institution, the Muhammadan law in cases where the parties are Muhammadans, and the Hindu law in cases where the parties are Hindus, shall form the rule of decision except in so far as such law has by legislative enactment, been altered or abolished."

"जब कभी किसी दावे में, किसी और कार्यवाही में सिविल कोर्ट के लिये यह आवश्यक हो कि वह किसी उत्तराधिकार के सम्बन्ध में, या किसी दावे के सम्बन्ध में, किसी विवाह के सम्बन्ध में, किसी जाति के सम्बन्ध में, किसी धर्म, रीतिरिवाज के सम्बन्ध में या किसी संस्था के सम्बन्ध में मुस्लिम ला जहां पर दावा करने वाला सम्बन्धित व्यक्ति मुसलमान है और जहां हिन्दू है वहां हिन्दू ला को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी और वहां पर यह निश्चय वहां की कस्टमरी लाया जो वहां की नियत परम्परा से चालू हुआ कानून है उसके आधार पर किया जायगा सिवा उन मामलों के जिनमें विधान के अनुसार कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन न हुआ हो।" अब आपने अवध कोर्ट ऐक्ट की धाराओं को निरस्त कर दिया, लेकिन इस धारा को आपने स्थान नहीं दिया तो नतीजा क्या होगा। जहां पर सिविल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं और वहां उत्तराधिकार, जाति, विवाह के प्रश्न पर हिन्दू ला या मुस्लिम ला का प्रश्न आता है तो वहां यह धारा ३७ क्यों नहीं लागू की जा रही है यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है। जब तक धारा ३७ बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को लागू नहीं की जाती तब तक यह कानून एक मानी में अधूरा रहेगा। अगर यह मान लें कि किसी अस्पष्ट या आम तौर पर माने जाने वाले कानून के अनुसार यह विधान या प्रविधान इस ऐक्ट में होगा तब भी मैं समझता हूं कि इस धारा ३७ को लागू करने से कोई बुराई की बात नहीं होगी बल्कि एक स्पष्टता विधेयक में आ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के अर्थ का समर्थन करता हूं, लेकिन मैंने जिन तीन बातों की ओर मुख्यत: ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस ओर अवश्य ध्यान देंगे। अवध कोर्ट्स ऐक्ट में कौन सी ऐसी धारायें लागू होती हैं और कौन सी नहीं यह स्पष्ट किया जाय या अवध कोर्ट पूरे मानी में निरस्त किया जायगा। दूसरी बात, जुडीशल रिफार्म्स कमेटी में बताये गये सिविल कोर्ट सम्बन्धी सुधारों को अत्यावश्यक रूप में लागू करना चाहे वे संशोधन विधेयक की परिधि में आते हों या न आते हों। तीसरी बात यह है कि सिविल कोर्ट हिन्दू ला और मोहम्मदन ला के बारे में जैसा कि वह विधान द्वारा संशोधित किया गया है, उसी प्रकार दावों पर अपना फैसला देंगे, यह अधिकार विधान द्वारा जो उनको दिया गया है, धारा ३७, बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में, इस धारा को कानून के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लागू करना।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह मुनासिब है कि जब सारे प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट है। लखनऊ चीफ कोर्ट खत्म हो गयी। तो सारा प्रोसीडिंगोर एक ही ढंग का हो। पहले लखनऊ चीफ कोर्ट के अन्तर्गत जितना इलाका था उसमें अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अन्तर्गत कार्यवाही होती थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्तर्गत जो इलाका था उसमें बंगाल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होती थी। तो इस बात को दूर करने के लिए कि दोनों क्षेत्रों में जो भिन्न-भिन्न ऐक्ट चल रहे हैं, बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में संशोधन

करके उसको पूरे प्रदेश के लिए लागू करना उचित ही है। लेकिन एक बात की मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी है माननीय मंत्री महोदय से कि जब बंगाल, आगरा आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और अवध कोर्ट्स ऐक्ट के प्राविजन सब करीब करीब एक से हैं और जो उसमें दोनों में अन्तर था उसी को मिटाने के लिए विधेयक लाया गया है। तो फिर क्या कारण है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट को उस इलाके में अभी भी लागू रखा है, जहां कि बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के विरुद्ध वह न पड़ता हो। सीधे-सीधे, बंगाल आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाय और अवध कोर्ट्स ऐक्ट जहां लागू है या जितना उसका अंश लागू करने का इरादा रखा गया है, उसको रिपील कर दिया जाय। बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत ही करने का इरादा है और सारी व्यवस्था एक सी की गयी है तो फिर दोनों ऐक्टों को रखकर के कहीं आपस में क्लैश हो या इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कतें पैदा हों तो यह बात समझ में नहीं आती। जब बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को भी उस इलाके में अप्लाई कर दिया गया पूर्ण रूप से तो फिर अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को रखने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं थी। और विधेयक इसी रूप में आना चाहिये था कि जो अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियां हो चुकी हैं उनको जायज करते हुए, बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। यह क्या जरूरत पड़ी कि अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में कुछ धाराएं सुधार दी गयीं या रिपील कर दी गयीं जो बंगाल, आगरा आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के खिलाफ थीं और जो माफिक हैं उनको रख दिया गया। मैं समझता हूं कि इससे कानून में कोई सुविधा नहीं होती, अड़चन होती है। वैसे जो इसकी मंशा है उद्देश्य है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे जो कठिनाइयां पड़ती थीं और जो दोनों में भिन्नता थी वह दूर हो जायगी और एकरूपता आ जायगी।

श्री सैयद अली जहीर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में तीन सवाल उठाये गये हैं। मैं उनका नम्बरवार जवाब पेश कर देना चाहता हूं। पहली बात यह कही गई कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट को बिल्कुल रिपील क्यों नहीं कर दिया गया और बंगाल आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया। मैं इस सिलसिले में सिर्फ यह कहूंगा कि जैसा कि खुद नाम से जाहिर है, बंगाल आगरा ऐंड सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, कहां बंगाल और आसाम और कहां आगरा और फिर सन् १८८७ का बना हुआ ऐक्ट, लेकिन अभी तक यह चला जा रहा है। बहरहाल वह इस वजह से कि ऐसे जमाने में वह बना था कि एक ही हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन था और उसको जब लागू किया गया तो यह ऐक्ट के आकर के लागू हुआ यहां पर। अवध कोर्ट्स ऐक्ट सन् २५ में बना अब जब चीफ कोर्ट कायम हुआ। जहां तक कि दोनों के जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है उस मामले को तो हमने तय कर दिया कि हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन होगा, लेकिन ऐक्ट में बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं मसलन, मैं एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि जैसे किस किस्म के रजिस्टर्स मेन्टेन किये जावेंगे, किस किस्म के फार्म इश्यू होंगे जिनसे कि गवाह बुलाये जाते हैं या सम्मन इश्यू होते हैं, वह सब चीजें उसी के मातहत बनी हैं। जाहिर है कि अगर हम पूरे ऐक्ट को एबालिश कर देते और पूरा ऐक्ट कहीं और का लागू कर देते तो उसका नतीजा यह होता कि यह सब जितनी कार्यवाही इस ऐक्ट के मातहत हो रही थी वह सब नाजायज हो जाती। और फिर वह इतनी जरूरी चीज भी नहीं थी कि जैसे आज मेन्टेन हो रहे हैं वैसे न होकर दूसरे तरह से रजिस्टर्स मेंटेन हों, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं था कि जिसकी वजह से कोई बात पैदा होती। तो इस वजह से यह मुनासिब समझा गया कि दोनों ऐक्ट अपनी-अपनी जगह पर लागू रहें। लेकिन यह जाहिर है कि जब हाई कोर्ट एक हो गया है तो उसका एक कानून होना चाहिए और अभी माननीय सदस्य जो माननीय

[श्री सैयद अली जहीर]

नारायणदत्त जी बोले उनको मैं यह बतला दूं कि और बातों के अलावा जैसे सिविल कोर्ट्स के रूल्स हैं, आर्डर्स एंड रूल्स जो बने हुए हैं बहुत कुछ अवध में और थे, आगरे में और थे, उसके ऊपर भी हम बराबर गौर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि एक कामन रूल सिविल प्रोसीजर के दोनों जगह बन जाँय और लागू हो जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—कब तक बन जायंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल उस पर काम हो रहा है। मैं तारीख तो नहीं मुहैया कर सकता। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी हो जाय। उसमें एक तजवीज हाई कोर्ट से यहाँ आती है। उस पर यहां गौर होता है। अगर कोई बात हमें मुनासिब नहीं मालूम होती तो फिर हाई कोर्ट को लिखा जाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ देर हो रही है मगर वह हम करने जा रहे हैं। इसी वजह से यह भी नहीं हो सकता कि पूरे ऐक्ट को रिपील कर दिया जाय और उसकी जगह इस ऐक्ट को लागू कर दिया जाय। मगर यह सही है कि एक ऐक्ट हो जाना चाहिए और कभी भी जब मुनासिब समझेंगे और जब ट्रांजीशनल पीरिअड खत्म हो जायगा तो उस वक्त शायद हम एक ऐक्ट सदन के सामने पेश करें।

दूसरा मामला उन्होंने जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की तजवीज का उठाया है। उन्हें शायद याद होगा कि यह तजवीज जिसके मुताल्लिक अवध कोर्ट्स ऐक्ट को हम तरमीम कर रहे हैं, यह भी उन्हीं की थी। उसी के सिलसिले में यह भी आया है। जहां तक कमेटी की तजवीजों का ताल्लुक था कुछ तो उनकी ऐसी रिकमेंडेशंस थीं कि जिसमें कि सिविल लाज के अमेंडमेंट का सवाल था। उनमें से बहुत हद तक जिसको कि गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा उसके लिए हम कानून लाये। वह कानून पास किया गया और वह लागू हो गया और आज उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जहां तक कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट का ताल्लुक है था वह चूंकि कांकरेंट सब्जेक्ट है हमको सेंटर से भी पूछना था। उसके लिये उन्होंने यह कहा कि हम सेंटर में तजवीज लायेंगे और वांचू कमेटी की सिफारिशों पर उस समय गौर करेंगे। लिहाजा उसमें हमें कुछ करने का नहीं था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तजवीज किया था कि हम पूरे हिन्दोस्तान के लिये जिन-जिन तजवीजों को मुनासिब समझेंगे ले लेंगे। चुनांचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जहां तक फौजदारी कानून का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक कोई कानून नहीं पेश किया और न हमने उसके ऊपर ज्यादा खयाल या तवज्जह दी। बाकी और बहुत सी तजवीजें जो जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की थीं उनको रूल्स के जरिये से गवर्नमेंट लागू कर सकती थी या हाई कोर्ट कर सकती थी या दोनों मिल कर जारी कर सकते थे उनमें से बहुत सी तजवीजें जो मुनासिब समझी गयीं उन पर अमल हम कर चुके हैं। और भी तजवीजें हैं रूल्स के सिलसिले में, वह जेर गौर हैं। जब हमारा और हाई कोर्ट का इत्तफाक हो जायगा तो वह लागू कर दी जायेंगी।

तीसरी बात उन्होंने पेश की दफा ३७ की बंगाल, आगरा ऐंड आसाम ऐक्ट के मुताल्लिक कि वहां पर फैसला है कि ला, मुहमदन ला के बेसिस पर होता है और शायद उनका यह खयाल है कि हमारे यहां कोई ऐसा कानून नहीं है। इस सिलसिले में मैं यह बताऊंगा कि असल में इसके मुताल्लिक यह जो कानून है कि पार्टीज के ऊपर जो कोर्ट में जाती है, कौन सा ला अप्लाई करेगा, तो अवध में एक ला पहले से है, "अवध लाज ऐक्ट" जो कि सन् १८७६ में पास हुआ था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—और पहले पास नहीं हुआ ?

श्री सैयदअली जहीर--जिस वक्त अवध के लिए नया कानून बना था सेटिलमेंट के बाद उस वक्त का यह कानून है और उसकी दफा जो ३७ है उसमें भी प्रावीजन था,

"(*a*) The laws for the time being in force regulating the assessment and collection of land revenue :

(*b*) Any questions regarding the succession, special property of females, betrothal, marriage, divorce, dower, adoption, guardianship, minority, bastardy, family relations, wills, legacies, gifts, partitions or any religious usages or institution, the rule of decision shall be:

(1) Any custom applicable to the parties concerned which is not contrary to justice, equality or good conscience, and has not been by this or anyother enactment, altered or abolished, and has not been declared to be void by any competent authority etc. etc."

तो यह उसी किस्म का कानून उसमें बना हुआ है और अवध में इसी तरह से परसनल ला है जैसा कि आगरे में अप्लाई होता है बाई वर्च्यू आफ सेक्शन ३७ आफ दि अवध लाज ऐक्ट, जैसा कि यहां होता है। इसी तरह से दोनों लाज़ गवर्न होते हैं, जोकि आगरे में अभी लागू नहीं हैं उसके मुताल्लिक भी गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया है, जो कि यहां पर इतने अर्से से चला आ रहा है उसको खामख्वाह बदल ही दिया, जाय। वह अपनी जगह पर चल ही रहा है। लेकिन जैसा कि प्रिएम्शन ला का था उसको अबालिश कर दिया गया और हमारा जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास हुआ उस सिलसिले में उसके बाद वह खत्म कर दिया गया। तो रफ्ता-रफ्ता वह खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि एक कलम, बग़ैर सोचे समझे कि इसका असर क्या होगा पूरे ऐक्ट को अबालिश कर दिया जाय, मैं इन वजूहात से यह अर्ज करूंगा कि इस कानून पर विचार किया जाय।

†श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो विधेयक इस समय सामने है उसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन इस मौके पर मैं अपने न्याय मंत्री जी से, जो कानून के पंडित भी हैं उनसे मैं कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं और वह इस विधेयक के सिलसिले में कहना चाहता हूं--अप्रासंगिक बात वह नहीं होगी। अभी विधेयक के सिलसिले में जो माननीय न्याय मंत्री जी या हमारे दोस्त नारायण दत्त जी ने जो बात कही, या मौर्य जी ने जो कहा, उसको मैं बहुत गौर से सुनता रहा। तीनों साहबान की बात सुनने से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कानून हमारे सूबे में ऐसे हैं, कोई १८७६ का है कोई १८८७ का है, यानी हमारी और माननीय न्याय मंत्री जी की जिन्दगी के पहले के सब कानून हैं। हिन्दुस्तान की हुकूमत हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में आयी, इस हुकूमत की जिन्दगी के भी पहले के कानून हैं। तो क्या माननीय कानून मंत्री जी और यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस बात को सोच सकेंगे कि हम सारे भारतवर्ष के अगुआ बनें। कम से कम ऐसे कानूनों से पिंड छुड़ा कर हम अपनी आजादी के बाद के कानून मानें। हमारी मंशा कभी यह नहीं है कि उन सारी किताबों को हम उठा करके फेंक दें या उन किताबों से मदद न लें, लेकिन फिर यह हो कि सन् ४७ के बाद के कानून माने जायं। ऐसी भी कानून की किताबें हैं जिनको मैं समझता हूं, इस बदली हुई परिस्थिति में कतई जरूरत नहीं है। ऐसे कानूनों को कानून की फेहरिस्त में रखने का कभी-कभी हमारी हुकूमत को अच्छा सबक सीखने का भी मौका मिला है। अंधेरी कोठरी में उन्होंने कानून की किताब ढूंढ़ी और कोई किताब मिल गयी उनको। उसमें कुछ लिखा था और उसके मुताबिक सारे सूबे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया तो सारे सूबे में एक बवंडर खड़ा हो गया, हजार

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

दो हजार आदमी जेलखाने चले गये। थोड़े दिनों के बाद उस कानून के खिलाफ उन लोगों के सामने बात आ गयी जो उस मसले पर निर्णय देने का हक रखते हैं। फैसला सरकार के खिलाफ हो गया और ऐसा खिलाफ़ हुआ कि फिर सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर भी जा सके। स्पेशल पावर्स ऐक्ट का उदाहरण हमारे सामने बड़ा प्रत्यक्ष है। अगर कहीं उस कानून की किताब न होती तो ऐसे कानून के जरिये काम करने की गलती यह हुकूमत न करती और जो न्याय करने वाले लोग हैं उनको सरकार के विरुद्ध फैसला देने की जरूरत न पड़ती। तो इस तरह से पीसमील जो ले आने का तरीका है कि कभी एक वाक्य बदल दिया, कभी एक पन्ना बदल दिया, कभी दो-चार सेक्शन्स बदल दिये यह छोड़ा जाय और मैं इस मौके पर अपने न्याय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी बुद्धि का सारा देश लाभ उठाना चाहता है। उन सारी किताबों को देख लिया जाय और उनमें से जितनी किताबें ऐसी हैं जिनकी इस बदली हुई परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है उनको किनारे किया जाय और जिनकी आवश्यकता आज की परिस्थिति में हो उतने ही हिस्से पर मोहर लगाई जाय कि उसकी जरूरत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विवाद प्रारम्भ हुआ है और इस पर श्री नारायण दत्त जी बोले, द्वारका प्रसाद मौर्य बोले और मिनिस्टर साहब उत्तर भी दे चुके तो क्या यह भाषण मिनिस्टर साहब के उत्तर दे देने के बाद भी हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं ऐतराज एक प्रकार से सही समझता हूं लेकिन मैंने खासतौर से विरोधी दल के नेता को मौका दिया था जिससे वह कोई खास बात पेश करते हों।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने इस तरह की रूलिंग दी लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि मैंने यह समझा था कि न्याय मंत्री जी को दो बार बोलने का किसी विधेयक पर हक है।

श्री उपाध्यक्ष---न्याय मंत्री दो बार बोल चुके हैं। एक तो प्रारम्भ में बोले और दूसरे उन्होंने उत्तर दिया।

श्री गेंदा सिंह---दो बार उन्हें बोलने का अधिकार है एक तो उन्होंने प्रस्ताव किया और दूसरी बार बीच में इंटरवीन करने का भी अधिकार है। कुछ बातें ऐसी आयीं जिनकी वजह से मैंने आप से आग्रह किया। खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय व्रजभूषण जी से यह आशा करता हूं कि जितना कानून मैं समझता हूं उतना वह भी समझते होंगे और एक रोज मैं माननीय व्रजभूषण जी से कानून की सारी किताबों का नाम ही पूछने का साहस करूंगा। हमारे मित्र यदि जितनी हमारे सूबे में कानून की किताबें हैं उनके नाम ही रट लें और उनके भीतर क्या उसे छोड़ दें और उनको यदि नाम ही याद हो जायं तो मैं समझता हूं कि हमारा कहना जो कुछ है वह सार्थक हो सकता था लेकिन मैं इस विधेयक के सिलसिले में यह कहना सार्थक समझता हूं कि इसके लिये कानून के विशेषज्ञों की कोई कमेटी मुकर्रर की जाय और वह इस बात की छानबीन करे कि इस समय सूबे में जितने कानून लागू हैं जिनके लिये हमने यह फैसला किया था, अंग्रेजी हुकूमत के बाद जितने कानून लागू थे उनको आंख मूंद कर लागू कर दिया जाय। आंख खोलकर लागू कर दिया या आंख मूंदकर कर दिया लेकिन कर दिया। मैं खास तौर से व्रजभूषण जी से कहूंगा कि इस प्रकार कानूनों पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया जिससे बड़ी तकलीफ हुयी, बड़ा बवंडर और हाईएस्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार ने अन्याय किया। यदि इस प्रकार सरकार अन्याय करती रहे तो मैं समझता हूं कि श्री व्रजभूषण मिश्र ऐतराज नहीं करेंगे। इसलिये मैं इस अवसर से लाभ उठाकर कानून के वजीर साहब से यह कहना चाहता हूं कि आने वाले जमाने में एक-एक सेन्टेन्स को बदलने की जरूरत नहीं है।

लेकिन हां जरूरत पड़ती है जब एक एक शब्द को बदलना पड़ता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जितने कानून लागू हैं उनमें से बहुत सी किताबों को उटाकर रख देना होगा और उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी लागू करने की। १८७६ में और १८७८ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है तो यह कि हम गुलाम थे और सिवाय इसके और कुछ भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं थी इसको हम छोड़ना चाहते हैं और जो अच्छी चीज है उनको ग्रहण करने की हम शक्ति रखते है जो बुरी चीज है उनको हम बेदर्दी के साथ, बेमुरव्वती के साथ छोड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात कहकर उम्मीद करूंगा कि जो मैंने दरख्वास्त की है उस पर जरूर न्याय मंत्री जी विचार करेंगे और अपनी सरकार को ऐसी सलाह देंगे जो कि चार छै महीने में इस पर अमल होना शुरू हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुत अच्छे हैं परन्तु जो विधेयक इस समय पेश है उससे उसका सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता है ताहम न्याय मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहें तो मैं उनको अवसर दे देना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव हमारे विरोधी दल के नेता ने दिया है वह बहुत पहले ही गवर्नमेंट आफ इंडिया मंजूर कर चुकी है और एक ला कमीशन बना दिया गया है जिसका बहुत बड़ा फर्ज यह होगा कि वह जितने कानून इस वक्त हिन्दुस्तान में लागू है और उनमें गालिबन यह दोनों कानून भी आते हैं क्योंकि यह दोनों कानून उस जमाने में पास हुये थे कि जब स्टेट में कोई लेजिस्लेचर नहीं था कि जो सलाह देता कि इस में कौन-कौन सी बात रखी जाय या निकाली जाय, इन सब को देखे। जहां तक अंग्रेजी जमाने के कानून का ताल्लुक है, यह जाहिर है कि जो कानून हिन्दुस्तान में गुलामी का था वह तो हमने पहले ही काट कर फेंक दिया है और अब वह बाकी नहीं है लेकिन उसके साथ बहुत से ऐसे कानून थे, जैसे उनके जमाने की अदालतें थीं या उनका जो मुकदमों का फैसला करने का तरीका था वह सब अभी हम रखे हुये हैं और उनको हमने खत्म नहीं किया। उनके कहने के मुताबिक अगर वह सब कानून और यह सब अदालतें वगैरह खत्म कर दी जायं तो जो मुकदमों का फैसला होगा वह किस तरह पर होगा यह मैं नहीं समझ पाता। या तो वह सारे मुकदमे इस सदन के सामने आयेंगे या और कोई दूसरा तरीका होगा पंचायत वगैरह का, लेकिन उसके लिये फौरन ही कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता और इसलिये जाहिर है कि उन सब कानूनों को फौरन ही खत्म नहीं किया जा सकता।

श्री गेंदासिंह—मैंने यह नहीं कहा था कि सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यही समझा कि सारे कानून खत्म कर दिये जायं और आप ग्रामवासी जी से पूछ कर उन सारी किताबों के खाली नाम याद कर लें और वह किताबें न बाकी रहें।

श्री गेंदासिंह—मेरे कहने का मतलब यह था कि उनमें से जनहित विरोधी बातें निकाल दी जायं जो अच्छी बातें हैं उनको छांट कर रखा जाय।

श्री सैयद अली जहीर—यह सहल काम नहीं है। और इसके अलावा जो आपने हवाला दिया और कहा कि उसकी वजह से गलती हो गयी तो मैं अर्ज कर दूं कि जहां तक हाई कोर्ट की राय है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक जज एक फैसला देता है उसके बाद दो जज बैठ कर उसके खिलाफ दूसरा फैसला देते हैं। तीन जज एक फैसला देते हैं और फिर पांच जजों की बेंच उसको खत्म कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले थे उन के ऊपर फिर से नजरसानी की गयी और वे बदले गये। तो कानून के बारे में यह कह देना कि कोई एक राय बिलकुल सही है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो फैसला हो गया वह हमने मान लिया, लेकिन यह कह देना कि उसके पहले जो कुछ हमने किया वह वैधानिक

[श्री सैयद अली जहीर]

नहीं था, गलत था, अवैधानिक था, मैं समझता हूं कि हमारा इस नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। एक सूरते हाल उस समय थी और उसके लिये एक इमर्जेंसी ऐक्ट बना था और हमको उसके अनुसार ऐक्शन लेना पड़ा। गालिबन कल फिर अगर वही सूरते हाल पैदा हो जाय तो या तो दूसरा कानून हमें पास करना पड़ेगा या कोई वैसा ही ऐक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेट में अपनी हुकूमत चलाना चाहती है और वह इंतजाम को कायम रखना चाहती है तो वह गैरकानूनी बातों को बरदाश्त नहीं कर सकती और उसके लिये उसको ऐक्शन लेना ही पड़ेगा तो यह कहना कि जो ऐक्शन हमने लिया वह सही नहीं था, गलत था, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमें तो वह ऐक्शन लेना था, अगर कानून बना था तो उसके मातहत काम किया और अगर न बना होगा तो उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिये यह कहना कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उसके खिलाफ हो गया वह तो हमको नहीं करना चाहिये था, हमने गलती की, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं और यह नतीजा उससे जाहिर नहीं होता और उसका ताल्लुक भी इससे नहीं है। जिस तरह से यह मौजूदा बिल है इसका तो एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। यह एक वर्ष के लिये पेश किया गया है। मेरे खयाल में सदन के हर जानिब से इसकी ताईद हुयी है और इसको मंजूर करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि यह अवध कोर्टस ऐक्ट तमाम रिपील कर दिया गया है और बंगाल आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट की धारायें लागू की गयी हैं तो कौन सी धारायें अवध कोर्टस ऐक्ट की लागू नहीं रहेंगी। यह मैं जानना चाहता हू।

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास एक लिस्ट है। आप चाहेंगे तो मैं उस लिस्ट को आपके पास भेज दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह लिस्ट मैं चाहता हूं। मुझे कुछ संशोधन पेश करना है, इसलिये उस लिस्ट को कृपया मेरे पास भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आपको इसकी इत्तिला दी जायगी। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्टस (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक वह लिस्ट मिले क्योंकि उस लिस्ट को देखकर मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं तब तक इस दूसरी रीडिंग को स्थगित कर दिया जाय। मैं संशोधन इसी लिस्ट के आधार पर देना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में गवर्नमेंट का यह फर्ज नहीं है कि आपको तरमीम मूव करने के लिये मैटीरियल सप्लाई करे। वह खुद पढ़ ले साथ ही तरमीम का अब वक्त भी नहीं रह गया है, क्योंकि तरमीम अभी तक तो आयी नहीं है। लिहाजा आपको यह इस वक्त मंजूर करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नियमानुसार किसी भी संबंधित कागज को मांगने का अधिकार मुझे इस समय है। इसलिये मैं सरकार से इन कागजात को मांगना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---यह संबंधित कागजात नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---वह कागजात जिनके ऊपर यह बिल आधारित है उनको आप मांग सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—विधेयक से संबंधित कागजात मांगने का मुझको अधिकार है और यह कागजात इस बिल से ही संबंधित हैं। नियम ९६ में यह दिया हुआ है कि जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां यदि कोई हों जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय हों सदन की मेज पर रख दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं बतला चुका हूं कि जो विधेयक पर आधारित हों उन कागजात को मांगने की जरूरत है। यह इस पर आधारित नहीं हैं। जिन बातों के आधार पर संशोधन देंगे वह इसमें नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे लिस्ट दे दी जाय।

श्री सैयद अली जहीर—सेक्शन २ के सब सेक्शन क में ३,४,६,८,९ से ११ तक, १३ से २५ तक और ३८,३९ धारायें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो अवध कोर्ट्स ऐक्ट के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—यह दफा २ में लिखा हुआ है उसको आप उलट कर देख सकते हैं।

खंड २–६

ऐक्ट १२ सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ का : १८८७ का अवध में प्रवृत्त होना।

२—इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल, आगरा ऐंड आसाम

(क) धाराएं ३,४,६,८,९ से ११ तक, १३ से २५ तक, ३८ तथा ३९, और

(ख) धारा ४० [इस संशोधन के साथ कि उपधारा (१) में संख्यायें ३२ और ३७ निकाल दी जायंगी;]

(जैसी कि वे उत्तर प्रदेश में अपने लागू होने के सम्बन्ध में समय-समय पर संशोधित हुयी हैं) उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायेंगे।

यू०पी० ऐक्ट ४, १९२५ के अधीन न्यायालयों आदि की स्थापना।

३—अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन स्थापित अथवा संघटित समस्त न्यायालय और की गयी नियुक्तियां, किये गये नाम निर्देशन तथा बनाये गये नियम और दी गयी आज्ञाएं, एवं प्रदत्त अधिक्षेत्र तथा अधिकार और प्रकाशित सूचियां बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में लागू होगा, के उपबन्धों के अधीन क्रमशः स्थापित, संघटित की गयी, किये गये, बनाये गये, दी गयी, प्रदत्त, तथा प्रकाशित समझे जायेंगे।

विचाराधीन वाद अथवा कार्यवाहियां।

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित (instituted) अथवा आरब्ध सभी वाद और कार्यवाहियां, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के निरस्त हो जाने पर भी, उसी न्यायालय में जारी रखी जायेंगी जहां वे संस्थित अथवा आरब्ध की गयी थीं अथवा जहां वे स्थानान्तरित कर दी गयी थीं, उसी प्रकार मानों वे बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित आरब्ध हुयी हों।

विचाराधीन अपीलें तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध ।

५--उस दशा में जब बंगाल ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २१ के उपबन्धों के अवध में लागू होने के कारण अब कोई अपील हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकती हो तो--

(क) किसी ऐसी अपील की, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व हाई कोर्ट में संस्थित अथवा आरब्ध हो चुकी हो, उक्त उपबन्धों के लागू होते हुये भी, सुनवाई और उस पर निर्णय हाई कोर्ट द्वारा ही होगा ।

(ख) कोई अपील जो इस प्रकार संस्थित अथवा आरब्ध न हुयी हो किन्तु जिसके सम्बन्ध में कालावधि (period of limitation) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संचारित होने लगी हो (begun to run) इस उपबन्ध के होते हुए भी कि अब वह डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकेगी उसी कालावधि से नियमित होती रहेगी जो अपील के हाई कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने की दशा में उपलब्ध होती ।

६--इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्तियां (decrees) तथा दी गयी आज्ञायें निष्पादन के प्रयोजनों के लिये बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में प्रसारित हुआ है, के अधीन संघटित और स्थापित, अथवा संघटित और स्थापित समझे गये, तत्स्थानी न्यायालय द्वारा पारित अथवा दी गयी समझी जायंगी ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २,३,४,५ और ६ इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

बंगाल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के कतिपय उपबन्धों का अवध में प्रसार करने की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उन क्षेत्रों में, जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ लागू होता है बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स, ऐक्ट, १८८७ के कतिपय उपबन्धों का प्रसार करने की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर——मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५*

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार, बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भेज दिया जाय, ताकि वह इसके लिये समय निर्धारित कर सके । श्रीमन्, आपको यह विदित है कि सब पार्टियों को यह अधिकार प्राप्त है कि जिस विधेयक को वह महत्वपूर्ण समझें उसके सम्बन्ध में समय निर्धारण करने के लिये उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भेजें। इसके सम्बन्ध में नियम बने हुये हैं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)——मेरा प्रस्ताव तो आ जाय तभी आप इसको मूव कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि पहले मंत्री जी का प्रस्ताव पेश हो तभी आप अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——नियमों के अनुसार उस समय यह प्रस्ताव नहीं हो सकता । यह पेश करने से पहले ही हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि सदन की सुविधा के अनुसार जो बातें मालूम होंगी उन पर अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी——वैसे आपकी जो व्यवस्था हो, लेकिन नियमों में यही है कि विचार करने का प्रस्ताव आने के पूर्व ही यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये । मैं नियमानुकूल ही चल रहा हूं। श्रीमन्, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रूल्स को देखें, उसका नियम शायद ४ है ।

श्री चरण सिंह——श्रीमन्, यह आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है । जब आप यह कह रहे हैं कि आप संशोधन पेश करना चाहते हैं तो फिर वह संशोधन काहे का ? जब हाउस के सामने कोई चीज ही नहीं है तब संशोधन किस में हो । संसार में ऐसा कौन सा रूल है जिसके अनुसार किसी चीज के आने से पूर्व ही संशोधन पेश हो जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि

श्री उपाध्यक्ष——(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप किस नियम का हवाला देना चाहते हैं ?

---

* २९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिस नियम का मैं हवाला देना चाहता हूं वह नियम ४ है, जो इस प्रकार है--

"The Speaker in consultation with the Leader of the House or on the request of the Leader of Opposition or of any other opposition party may direct for being referred to the Committee."

इसलिये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस पर समय निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष---इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि आपका प्रस्ताव पहले ही पेश होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य यह सुझाव तो कभी भी दे सकता है कि यह विधेयक इतने महत्व का है कि इसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के पास जाना चाहिये था. तो अगर उनकी आपत्ति में कोई सार हो तो उसको सदन वहां भेज सकता है। तो जब पहले पेश हो जाय और उसके महत्व पर विचार हो जाय तो फिर भी आप कह सकते हैं कि उसको बिजनेस कमेटी में जाना चाहिये लेकिन जब पेश ही नहीं हुआ है तो उसकी बाबत इस स्टेज पर इस तरह का प्रस्ताव पेश करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बिल पुरःस्थापित तो हो गया है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय,जौनसार बावर देहरादून जिले का एक हिस्सा है, जिसको चकरौता परगना भी कह सकते हैं। जौनसार का इलाका भी कह सकते हैं। सारे सूबे से इसकी परिस्थितियां कुछ विशेष हैं और कुछ खसूसियत रखती हैं। इसकी आबादी कोई साढ़े ५८ हजार के करीब है लेकिन फिर भी गांव की तादाद बहुत है, गांव इतने छोटे-छोटे हैं कि ३५७ गांव इस इलाके में हैं। यहां बन्दोबस्त हुये बहुत दिन हो गये। सन् १८७३ ई० में यहां बन्दोबस्त हुआ था, आखिरी बार उसका रिवीजन १८८३ और १८८४ में हुआ। ये ३५७ गांव खतों में बंटे हुये हैं। खत वहां के रेवेन्यू यूनिट को कहा गया है। कई-कई गांव एक-एक खत के अन्दर हैं और इनको अगर खतूत कहा जाय या खदहा कहा जाय ये फिर खगों में बंटे हुये हैं श्रीमन् "खग" का माने हिन्दी में कुछ और है लेकिन यह खग का माने क्या है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन खग सब डिवीजन है खत का। ३९ खत हैं जिसमें कई-कई गांव होते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि कई कई खग एक-एक खत के अन्दर हैं। गांव के हुदूद को कई मौके पर साफ पता लगाना मुश्किल है। कंवेंशनल बाउन्डरी है, रेवेन्यू मैनुअल में इसके लिये कोई खासतौर पर लिखा हुआ नहीं है। वहां मालगुजारी जो है वह जमीन के ऊपर ही नहीं है, बल्कि जिस आदमी के पास जितनी जमीन का रकबा है उसके लिहाज से और किसके पास कितने मवेशी हैं उसके ऊपर भी मालगुजारी लगती है। यानी जमीन, जानवर और किसान की माली हालत कैसी है, इन सब के ऊपर मालगुजारी लगती है मालगुजारी हर जमीन के टुकड़े पर, बीघे बिस्वे या एकड़ पर नहीं है, बल्कि खत की इकाई के ऊपर ही सन् १८८३, ८४ में वहां मालगुजारी एसेस की गयी। एक खत में एक सदर सयाना होता है और एक खग में एक सयाना होता है। सदर सयाने का फर्ज यह होता है कि वह हर साल मालगुजारी का विभाजन करता है खगों के ऊपर या गांव के ऊपर कहिये और जो सयाना होता है वह सयाना मालगुजारी का विभाजन करते समय देखता है कि उसके घर में जो किसान है काम करने वाले कितने हैं, मवेशी देखने के अलावा। इस तरह से सदर सयाने को काफी अखितयार उनके सुख दुख के बारे में रहा है और सन् १९ में जो ऐक्ट जौनसार के बारे में यहां पास किया गया था उसमें इन सयानों और सदर सयानों के अधिकारों को काफी कम किया गया, ताकि वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो और वे सयाने अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल न कर सकें। इस इलाके की कुल मालगुजारी २४८७५ रुपया है जो सन् १८८३ से चली आती है।

सन् १८८३ में १६,३०० एकड़ जमीन जेर काश्त थी और जो अब जेर काश्त जमीन है उसका रकबा ४० ५३३ एकड़ है। और उस वक्त मालगुजारी एक रुपया ८ आना ५ पाई फी एकड़ पड़ती थी और इस बिल का उद्देश्य यह है कि मालगुजारी बजाय मवेशियों और आदमियों और हैसियत वगैरा देखकर जमीन का रकबा और उसकी किस्म को देखकर ही तशखीस की जाय कि सूबे के और इलाकों में है, यानी वहां भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को उसी लाइन पर लाया जा रहा है जिस तरह कि वह सारे सूबे में है। साथ ही में इरादा यह है कि मालगुजारी वहां बढ़ाई न जाय, क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं। उस हिसाब से वहां साढ़े ४० हजार एकड़ की मालगुजारी ९ आना ८ पाई फी एकड़ रह जायगी, लेकिन फिर भी गरीबी देखते हुये मालगुजारी बढ़ाने का विचार नहीं है। वहां कुल जमीन जो काश्तकारों के पास है वह ४,८७६ एकड़ है और उस में से ३,५६२ एकड़ ऐसे काश्तकारों पर है जो नकदी लगान देते हैं और १,३१४ एकड़ ऐसे लोगों पर है जो सरविस टिन्योर कहलाती है और जो उस जमीन की एवज में जमीदार को खिदमत अन्जाम देते हैं। इस तरह से यह ४,८७६ एकड़ जमीन दो तरह के काश्तकारों के पास है। अब तक इस परगने में एक तरह की सर्फडम थी गोया एक तरह का बांडेज सा था और एक आदमी दूसरे आदमी से बंधा था और वहां कोलटा और बाजगी दो तरह की बिरादरी है, जिनको वहां की शिड्यूल कास्ट कह सकते हैं। अधिकतर यही लोग हैं। कुछ हाई कास्ट के भी लोग हैं, लेकिन अधिकतर कोलटा और बाजगी ही हैं। परन्तु वह सारा इलाका गरीब है, एक बार किसी ने जमीन काश्त पर ले ली और फिर वह उन्हीं के यहां मुलाजमत करते रहे और अगर एक बार कर्ज ले लिया तो उसके उतरने का तो फिर काम ही नहीं। नस्लन् व नस्लन् वह कर्जा रहता आया था और कभी भी उसके बंधन नहीं कटे। सन् ४९ में गालिबन एक दूसरा रेगुलेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था। वह बिल की शक्ल में तो लेजिस्लेचर के सामने नहीं आया और न पास किया गया। वह रेगुलेशन सन् १८७४ के एक शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत था उसके मातहत इस इलाके में गवर्नर जनरल या गवर्नर रेगुलेशंस जारी कर सकते थे और वह रेगुलेशन जारी किया गया। इसके मातहत वहां के जितने कर्जे थे लोगों पर पिछले तीन साल से ज्यादा पुराने थे, वह सब मंसूख कर दिये गये थे और तीन साल पहले कोई मियाद जिनकी नहीं थी उनके लिये आगे के लिये तीन साल के लिये मियाद लगा दी गयी कि तीन साल से ज्यादा अरसे के जो कर्जे हैं वे सब बेबाक समझे जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां कागजात मालिकाना काबिले एतबार नहीं थे। लिहाजा वहां रिकर्ड आपरेशन किये गये और सन् १९५२ में इसी विधान सभा ने एक बिल पास किया। यानी जो रिकर्ड आपरेशंस किये गये थे वे एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से हुये थे, उनको उस ऐक्ट के मातहत कानूनी जामा पहनाया गया। दूसरी बात यह है कि वह काश्तकारान जो थे उनको तमाम हक हासिल नहीं थे और वह मुस्तौजिब बेदखली थे उनको कहा गया कि तुम्हारी बेदखली नहीं हो सकती सिवाय खास सूरतों के। माननीय सदस्यों को याद होगा कि यहां उस सिलसिले में काफी बहस हुयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, गैरमजरुआ वहां दो किस्म की हैं। एक तो गवर्नमेंट की अपनी बिलकुल है उसमें गांव वालों का किसानों का बिलकुल दखल नहीं है। दूसरी जमीन ऐसी हैं कि जिसमें वे खुदमुख्तयार या पूरे मालिक हैं। तो उस जमीन को लेने का विचार नहीं है। उसको इस के मातहत ऐक्वायर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह जमीन गांव समाज को या गांव सभा को देनी ही है। आज भी उनके अख्तियार है। उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारों की जो खुदकाश्त है उसको भी ऐक्वायर करने का विचार नहीं है। जमींदारी या मौरूसी किसान वह दोनों एक ही कहलाते हैं उनको हके इन्तकाल अपने एरिया में हासिल है और हम उनको जमींदार मानते हैं। उनकी खुदकाश्त को हस्तगत नहीं किया जा रहा है और उसमें जमींदारी अबालिशन नहीं हो रहा है। उनको सीधे अपनी जमीन में बकदर सीर और खुदकाश्त के सीर में तो वहां हक हासिल नहीं था भूमिधर करार दिया जा रहा है। हमने अबालिशन आफ जमींदारी एंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत जो जमीन जिस जमींदारी के जिस कदर जेरकाश्त थी उसमें उसको भूमिधर बना दिया है, लेकिन हमने उस जमीन को ऐक्वायर किया और फिर जमींदार के साथ सेटिल

[श्री चरणसिंह]

किया गया, यह प्रासेस हम यहां नहीं करना चाहते कि पहले ऐक्वायर करें और फिर सेटिल करें, और तब भूमिधर कहें। बल्कि बराहेरास्त उनके पास छोड़ दे रहे हैं। ऐक्वायर करने का सवाल नहीं है और ऐक्वायर करते तो फिर कम्पेंसेशन देते लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। यह प्रोसीजर इसमें बरतने का इरादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर जमीन जैसा मैंने कहा कि ४०,५३६ एकड़ में से ४,८७६ एकड़ को छोड़कर यानी कोई साढ़े पतीस हजार एकड़ जमीन तो उनके खुदकाश्त में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में यह बात नहीं है। यहां साढ़े ८२ फीसदी जमीन ऐसी है जो खुदकाश्त में नहीं है और यहां ९० फीसदी जमीन उनके खुदकाश्त में है। उनकी जमीन लेने का विचार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये से जो बाकी काश्तकार हैं उनको सीरदार बनाया जा रहा है और जो काश्तकार लगान देते हैं वह वही लगान बाकायदा नकदी गवर्नमेंट को देते रहेंगे और जो सरविस टिन्योर होल्डर्स हैं उनका लगान नकदी मुकर्रर किया जायगा। एक तीसरे किस्म के खातेदार जो कि उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में हैं आसामी भी होंगे। ये वे लोग होंगे जो धारा ५७ में असमर्थ गिनाये गये हैं और जो इन असमर्थताओं से प्रभावित होंगे। उनके जो शिकमी हैं वे लोग ये काश्तकार होंगे, वे ये असामी हो जायेंगे। इसी तरह बाग बगीचे का जो काश्तकार है या शिकमी है वह भी शिकमी होगा। चरागाह की जमीन का भी शिकमी रहेगा। इसी तरह फारेस्टेशन में जो दरख्त वगैरह लगाये जाते हैं और वहां थोड़े दिन के लिये काश्त भी जो हो सकती है और किसी काश्कार ने काश्त के लिये जमीन ले ली है तो उस काश्तकार को कोई हक हासिल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन ऐक्वायर कर रहे हैं वह ४,८७६ एकड़ है, मुआविजा तै करने का जो प्रोसीजर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में है उसके बजाय सादा सा प्रोसीजर बनाने के लिये सोचा गया कि जो काश्तकार जितना लगान जमींदार को देता है उसका १६ गुना हर जमींदार को अपनी जमीन का जो काश्तकार के पास है मुआविजा उस से मिल जायगा। उसमें से मालगुजारी घटाने का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि मालगुजारी बहुत थोड़ी है और वक्त बहुत ज्यादा लग जायगा अफसरान का। उपाध्यक्ष महोदय, वहां बहुपति की प्रथा प्रचलित है बजाय बहुपत्नी के। पोलीएंड्री की वजह से जो ला आफ सक्सेशन है अगर उसको तबदील करें तो बड़ी पेचीदगियां पैदा होंगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भी उसे भेजा जायगा। पता नहीं क्या क्या एतराज हों, क्योंकि जो वहां का सोशल सिस्टम है वह सारा उसी पर आधारित है। इसलिये हमारा यह इरादा है कि जो जमींदारी एबोलिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में जो ला आफ सक्सेशन है वह यहां पर एप्लाई न किया जाय, बल्कि जो पोलीएंड्री का ला आफ सक्सेशन है वही जैसा का तैसा रहेगा। उसको हमने अछता छोड़ा है।

एक छोटा सा बिल यह माननीय सदस्यों के सामने है और जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट बहुत बड़ा है। इसलिये एक यह धारा हमने इस में रक्खी है कि जहां बाकी धाराओं की जरूरत होगी उनको जरूरी संशोधनों के साथ उस इलाके में लागू कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं माननीय सदस्यों के विचारार्थ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर दे दे। सदस्यों के नाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में प्रस्तुत किये जायंगे। मेरे इस संशोधन का आशय यह है कि जो मौजूदा विधेयक है इसमें जितने इम्पलिकेशंस हैं उनको देखते हुए इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है। वैसे सरकार का इरादा सारे प्रदेश में जमींदारी को खत्म करने का पहले हो चुका और प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में जमींदारी खत्म भी हो चुकी। लेकिन पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों को देखते हुये अभी उन हिस्सों में जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें जमींदारी के खात्मे का कानून बनने से पहले सर्वे की योजना बहुत जरूरी है और वह सर्वे का काम हो भी रहा है। जितनी कठिनाइयां सर्वे में हो रही हैं पहाड़ी इलाकों में उनको देखते हुए शायद उसमें महीने नहीं वर्ष लगेंगे।

जौनसार बाबर, देहरादून के जिले में एक इलाका है जो हमारे टिनेंसी ला में शेड्यूल्ड इलाका था। वहां के कायदे और कानून हमारे यहां के प्रदेश के और हिस्सों से बिल्कुल भिन्न हैं। वहां कुछ दस्तूर ही ऐसे हैं जिनकी वजह से जो यू० पी० टिनेंसी ऐक्ट और हिस्सों में लागू है इस प्रदेश में वहां वह लागू हो नहीं सकता था। तो उस इलाके की कुछ विशेषताएं तो माननीय मंत्री महोदय ने बतलायीं। किसी जमाने में आर्य सभ्यता का वह अवश्य ही केन्द्र रहा होगा। जहां कि पांडव प्रथा अब भी प्रचलित है। पांडवों ने वहां अवश्य ही निवास किया होगा और इसी जौनसार बाबर के इलाके के पास एक छोटा सा परगना है जहां पर दुर्योधन की पूजा होती है। इस इलाके में पांडव प्रथा लागू है। उसी तरह से दुर्योधन की पूजा होती है, जहां दुर्योधन का रथ किसी विशेष अवसर पर निकाला जाता है। इससे यह आभास मिलता है कि पांडव और कौरव दोनों किसी समय यहां पूजनीय थे। जमींदारियां तो अवश्य ही रही होंगी। अब उन्हीं पांडवों के वंशजों की जमींदारी है या किसी और की जमींदारी बन गयी, यह तो वहां के रहने वाले और जो उस इलाके के सदस्य हैं, उनको शायद ज्यादा जानकारी हो। जौनसार बावर बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां विवाह के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि जै भाई हों उनकी एक ही पत्नी होती है। लेकिन एक विशेषता वहां और है। वहां की आबादी ही नहीं बढ़ती। जितनी आबादी आज से पचास वर्ष पहले थी वही आज भी है। वैसे दुनिया के हर हिस्से में आबादी ऐसे वेग से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जौनसार बाबर के इलाके में आबादी ज्यों की त्यों है। वहां के रहने वाले बहुत ही सीधे सादे और ईमानदार हैं। वे इतने सीधे हैं कि आपस के झगड़ों में झूंठ बहुत कम बोलते हैं। मैंने सुना है, वहां नमक और पानी की कसम, दे दी जाय तो, उठा करके जो बात कह दें वही फैसला मान लिया जाता है। सयाना जैसा नाम है वैसे ही सयानों का वहां आधिपत्य है। सयानों के वहां बहुत अधिकार हैं। मामले मुकदमे और फैसले भी वही कर लेते हैं और मालगुजारी वगैरह वसूल करते हैं। वही वहां के सर्वे सर्वा हैं। बाकी आम जनता बहुत ही गरीब और सीधी-सादी है। कुछ तो ऐसे हैं जिन बेचारों ने एक बार भी अगर किसी कार्यवश कर्ज ले लिया तो उनका कर्ज खतम नहीं होने आता। वह हमेशा सेवा करता रहता है। लेकिन उस सेवा के बदले में जो पैसा लिये रहता है वह पैसा ज्यों का त्यों कर्ज के रूप में बना रहता है, कम नहीं होता।

जिस तरह इधर पुलिस का प्रबन्ध है वैसा वहां नहीं है। मेरे तो सुनने में आया है कि अगर वहां पुलिस की चौकियां कायम करने का प्रस्ताव होता है तो वहां वाले इसे पसन्द ही नहीं करते। वे कहते हैं कि अगर हमारे इलाके में पुलिस पहुंचेगी तो जो बुराइयां उनके अन्दर नहीं हैं वे बुराइयां वहां फैल जायंगीं। वे समझते हैं कि रिश्वत भी फैलेगी। चोरी और दूसरे जरायम भी वहां फैलेंगे। इसलिये वे हमेशा पुलिस की चौकियों का विरोध करते रहे। वैसे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक को कतिपय संशोधनों के साथ वहां लागू करने में बड़ी कठिनाइयां थीं। इस वजह से एक अलग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा। यहां पर जो जमीन के कानून हैं वे तो किसी दस्तूर के मुताबिक बढ़ते जाते हैं, जिनको दस्तूरुलअमल कहते हैं और खात के बारे में कोई परिभाषा देने की जो बात कही गयी, खत या खात मैं समझता हूं कि पहाड़ में जो खड होते हैं, एक तरफ से पहाड़ी नाला गया, दूसरी तरफ से दूसरा पहाड़ी नाला गया, बीच में जो भाग रह गया वह खड है, और कई गांव जो उसके अन्दर पड़े उनको एक मालगुजारी लगा दी गयी। पहाड़ों में इस तरह की नेचुरल बाउंड्रीज हैं, उनके खत हैं। जो वहां मालगुजारी है, उसमें भिन्न-भिन्न जमींदार हैं। उस मालगुजारी का बटवारा करना भी कठिन है। फाटबन्दी होती है तो उसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी ह। जितनी उनकी मालगुजारी है, उसको सोलह गुना प्रतिकर, उनको देने की बात कही गयी है। सीधे सादे ढंग पर जो उनकी थोड़ी सी मालगुजारी से

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

आमदनी होती है। उसी के ऊपर वह प्रतिकर दिया जायगा। वैसे वहां जो गांव सभा के अधीन जमीन है या नौतोड़ जमीन है वह गांव सभा को दी जायगी, जैसा कि हमारे इस प्रदेश में जहां-जहां जमींदारी विनाश कानून लागू किया गया है, वहां भी वही व्यवस्था की जायगी। वहां भी भूमिधर, सीरदार और आसामी होंगे। जो जमींदार हैं वे भूमिधर होंगे। बाकी जो असामी की परिभाषा में नहीं आते हैं वे सभी सम्भवतः सीरदार बन जायगे। तो जमींदारी के कानून की बातें इसमें लागू की गई हैं और हमें इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये। आज वहां बन्दोबस्त करना है और स्थानीय बन्दोवस्त की व्यवस्था भी करनी होगी, लेकिन जो-जो इसमें विधेयक के अन्दर जमींदारी विनाश कानून की धारायें जिस प्रकार से लागू की गयी हैं, और जहां-जहां उनमें (दोनों में) सामजस्य लाने की कोशिश की गई है, मिलाने की कोशिश की गई है उन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है।

इसमें उत्तराधिकार की बात जो कही गई है कि जो वहां का दस्तूर है या जो रिवाज है वही उत्तराधिकार मान लिया गया है। मैं समझता हूं कि वहां कोई रीति रस्म रिवाज के ही अनुसार कोई कोडिफाइड ला नहीं है, वहां फिर रिवाज के अनुसार उत्तराधिकार चलता है अगर हम, जो उनके यहां रिवाज है सकसेशन का, जिस प्रकार उस पर अमल होता है अगर उसको हम निश्चित रूप में कानून की शक्ल दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहां के रस्म रीति रिवाज के मुताबिक मुकदमों में भिन्न-भिन्न तरह से फैसले होते रहते हैं। तो उसका एक निश्चत सकसेशन का हो जाना जरूरी है और उसी के मुताबिक कानून अगर हो जाता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता और वह एक स्पष्ट कानून की शक्ल ले लेता और उसके पालन करने में भी ज्यादा दिक्कत न होती। साथ ही झगड़े भी कम हो जाते। मुझे कुछ ज्यादा इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना है लेकिन जो यहां की जमींदारी के खत्म करने के जो कुछ नतायज होंगे उनको मैंने गौर से देखा और सब मध्यवर्तियों के जब अर्जन किय जायंगे और उसके सिलसिले में काश्तकारों को जो अधिकार मिलेंगे उन अधिकारों में वैसे तो जमींदारी विनाश कानून का ही सामंजस्य है लेकिन जरूरत इस बात की है कि किस प्रकार के कौन-कौन से लोग सीरदार होंगे उनका भी कोई विवेचन स्पष्ट आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आसामी की तो वही रूपरेखा है जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून में जो असामी बनाये गये हैं करीब-करीब वही शक्ल सब असामियों की इसके अन्दर भी दी गई है। तो बाकी और कौन-कौन तरह के काश्तकार होते हैं जो कि सीरदार होंगे गैर मौरूसी या मौरूसी, यह मेरी समझ में पूरे तौर पर नहीं आया कि कौन-कौन से विशेष काश्तकार हैं जो सीरदार बनाये जायंगे, ताकि उनमें कोई कान्फ्लिक्ट न हो असामी और सीरदार के बनने में। शायद कोई काश्तकार यहां भूमिधर नहीं बन पायेगा क्योंकि मैंने देखा कि केवल जमींदार को ही भूमिधर बनने की व्यवस्था है। वैसे हमारे प्रदेश के और इलाकों में कुछ जगहों में कुछ शर्तों के साथ काश्तकार को भी पहले से ही भूमिधर बनने का हक है। शायद वह शर्त वहां न पैदा होती हो। इसमें भी सीरदार को भूमिधर बनने के अधिकार भविष्य के लिए दिए गए हैं। शायद दसगुना जमा करके जो सीरदार होंगे वह भी भूमिधर बन जायंगे। तो जहां तक उसूली बातें हैं, वह तो मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य स्वीकार करेगा। वही उसूल हैं जिनको हमने एक बार ग्रहण किया है और उस उसूल के अन्तर्गत ही हमें जौनसार बावर के इलाके में भी उसी सारे ढांचे को अपनाना है, और वही भूमि व्यवस्था हमें लागू करनी है। मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए समझता हूं कि इसको अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता है और इतनी जल्दी सदन

में विचार नहीं हो सकता, पूरी छानबीन के साथ देखा नहीं जा सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पूर्ण रूप से, ठीक तौर पर संशोधित करने के लिए प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखते हुए आप से क्षमा चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मौर्य जी की बातों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने भी इस अमेंडमेंट को पढ़ा और मुझे जान पड़ता है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं।

एक सदस्य—अमेंडमेंट में या विधेयक में ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—विधेयक में। इसलिए यह आवश्यक है कि एक दफा यह प्रवर समिति में चला जाय और इसमें पूरे तौर से विचार किया जाय, क्योंकि इसका रिफ्रकशन पर्वतीय प्रदेश के और जिलों में भी जो कि जमींदारी कानून बनने वाला है, उसमें अवश्य होगा। इसलिये यह अच्छा है कि इस वक्त ही जब कि एक जिले का जमींदारी कानून बन रहा है उस पर अच्छी तरह विचार हो जाय और उसके ही आधार पर बाद को जो कानून बनेंगे उन पर भी इसका असर पड़ेगा।

इतना ही कह कर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय।

* श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस समय सन् ५२ में जौनसार बावर के सम्बन्ध में, बन्दोवस्त और रिकार्ड के सम्बन्ध में विधेयक आ रहा था, उस समय हमने इस बात की मांग की थी कि जौनसार बावर क्षेत्र में भूमि सुधार होना चाहिये और तीन दिन वहां निरन्तर विवाद रहा, उसमें निरंतर इस बात की हमने मांग की थी कि जब तक वहां पर कोल्टा, बाजगी वगैरह विशिष्ट प्रकार के जनसमुदाय और पिछड़ी हुई श्रेणी के लोग हैं, जब तक उनको हम भूमि सम्बन्धी अधिकार नहीं प्रदान करेंगे तब तक वहां पर कोई भी विधान बनाना एक प्रकार से व्यवहार के रूप में सम्भव नहीं होगा।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो आज अगर माननीय मंत्री जी ने इस सिद्धान्त की स्वीकृति के रूप में आज विधेयक प्रस्तुत किया है, तो वह उचित ही है। अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक की व्यवहार या विवरण की जो बातें हैं, जो परिभाषा इसमें है वह जौनसार की विशेष स्थिति को देखते हुए कहां तक लागू की जा सकती है और वहां पर भूमि सुधार और जमींदारी विनाश का क्या स्वरूप होना चाहिये ? श्रीमन्, मैं इस बात को माने लेता हूं कि मुझे स्वयं इस बात का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं जौनसार बाबर जाकर वहां की भूमि व्यवस्था को समझ सकूं, लेकिन फिर भी इधर-उधर रिपोर्टों के आधार पर जो थोड़ा बहुत वहां की स्थिति को समझ पाया हूं उससे इतना ही कह सकता हूं कि जौनसार बाबर की स्थिति हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति से भी ज्यादा पिछड़ी हुई मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे पर्वतीय प्रदेशों में स्टावेल का मैनुअल मौजूद है, बहुत से कोर्ट्स के फैसले भी मौजूद हैं और बहुत कुछ पुरानी प्रथायें भी लिपि-बद्ध हैं। लेकिन जौनसार बावर के सम्बन्ध में शायद हो एक दो प्रकाशित पुस्तकें या रिपोर्टें हों। इसके अलावा जो रेवेन्यू अफसर वहां जाते होंगे वे साल दो साल तक तो वहां की स्थिति का अध्ययन ही करते होंगे और उसके बाद उनका ट्रान्सफर हो जाता होगा। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अधिकृत रूप से किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी मैं समझता हूं वहां के बारे में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है। वहां के जो निवासी हैं, जिनके हितों की रक्षा के लिये हम यह विधेयक बना रहे हैं उनमें इतनी वर्ग चेतना नहीं है कि वे कोई वर्ग संगठन कर सकें या अपनी आवश्यकताओं को हमारे सम्मुख उचित रूप से प्रस्तुत कर सकें। तो जब हम इतनी कठिनाइयों के मध्य इस भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक पर विवाद करने जा रहे हैं तो अवश्य ही हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा।

अब इस सम्बन्ध में दो-एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने स्वाभाविक रूप से काफी आंकड़े प्रस्तुत किये जैसा कि उनका स्वभाव है। और उन्होंने स्थिति आंकड़ों के रूप में वहां की स्थिति हमारे सामने रखी। उन आंकड़ों से भी यह स्पष्ट होता है और हमारे मंत्री जी के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि वहां पर जो जमींदारी है उसका वह स्वरूप बिल्कुल नहीं है जो मैदान में हमें देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर वहां दो प्रकार के खेतिहर माने गये हैं, मौरूसी और गैरमौरूसी। मौरूसी काश्तकार केवल ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं और गैरमौरूसी काश्तकार भी ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं। यानी हरिजन वर्ग डोम, बाजगी और कोल्टा को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि का अधिकार भी प्राप्त कर सकें। वे गैरमौरूसी भी नहीं हो सकते। और उसमें पेचीदगी यह है कि सयाना को इस बात का अधिकार किन्हीं हालतों में प्राप्त है कि वह किसी गैरमौरूसी काश्तकार को मौरूसी काश्तकार स्वयं बना सकता है और उसकी फीस रखी हुई है, वह ४ रुपये देगा, एक बकरी देगा और इसी प्रकार की तमाम बातें लिखी हुई हैं। अब आप देखें कि जो इसमें परिभाषा दी गयी है यह कितनी अस्पष्ट है। मैं जानता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी ने सभी प्रकार के लोगों को शामिल करने की कोशिश की है लेकिन सब शामिल हो सकते हैं या नहीं इस पर विचार करना है। जो गैरमौरूसी काश्तकार की परिभाषा रखी गयी है उसमें यह बतलाया है कि जो उक्त परगना के दस्तूर-उल-अमल में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसी भूमि में काश्त करता हो, जिसके लिये वह जमींदार को लगान देता हो, जिसका वह, किसी संविदा या अनुबन्ध के न होने की स्थिति में, उसे देनदार होता।

आगे स्पष्टीकरण में है :

"इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास सेवा पैतृक अधिकार के आधार पर कोई भूमि हो, लगान का देनदार समझा जायगा।"

तो इसमें ऐसे व्यक्ति को गैरमौरूसी काश्तकार माना गया है। गैरमौरूसी काश्तकार दो प्रकार के हो सकते हैं विधेयक के अनुसार। एक तो वे जो दस्तूर-उल-अमल में गैरमौरूसी माने गये हों। ऐसे केवल ब्राह्मण और राजपूत हैं।

अब दूसरे ऐसे लोगों को गैरमौरूसी काश्तकार माना गया है जो किसी सर्विस की सेवा के रूप में लगान देने का अधिकारी हो। लेकिन आप देखेंगे कि जौनसार बाबर में सर्विस टैन्योर के जो लोग हैं, उसका अर्थ क्या है यह इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है। सर्विस टैन्योर का अर्थ यह है कि जो कोल्टा, बाजगी जमींदारों के नौकर हैं वे गैर-मौरूसी काश्तकार माने जायंगे। लेकिन वहां पर मोरगेजी की प्रथा भी है यानी आदमी को रेहन रखा जाता है। सर्विस टैन्योर में यह चीज आती है या नहीं, यह विवाद-ग्रस्त विषय है। इसके विषय में मैं केवल एक फैसला पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह १९८ पृष्ठ पर है। यह जे० बी० राबर्टसन का लिखा है और वेबस्टर साहब ने इसको सही किया है।

"A mild form of slavery exists in this Pargana. Koltas mortgage themselves to Zamindars and are ever after their slaves, so to speak, till they

return the mortagage money. It usually happens that this money is paid by some other Zamindar and the services are transferred to him."

इसके माने यह हैं कि हमको सर्विस टैन्योर की परिभाषा को स्पष्ट करना होगा।

इसके अलावा वहां पर कर्जे की बात है। कर्ज के रूप में जो जमाने से चले आ रहे हैं तो जब तक गैरमौरूसी काश्तकार की परिभाषा स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक वहां लोगों को ज्यादा रिलीफ पहुंच पायगी इसमें मुझे सन्देह है। इसके अलावा गैर मौरूसी काश्तकारों को भूमिधरी के अधिकार देने का प्रश्न है तो जैसा कि मौर्य जी ने कहा जमींदारों को दिया गया है। उचित तो यह होता कि सब मौरूसी काश्तकारों को भूमिधर बना दिया जाता। जमींदार का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है। मौरूसी काश्तकार अपनी भूमि का स्वामी नहीं होता है। मौरूसी काश्तकार को भूमिधर बनाया जा सकता था।

इसके अलावा धारा ३२ में तमाम ऐसी बातें रखी गई हैं जो यहां पर लागू नहीं हो सकती हैं। जैसे कि लिखा गया है कि सिंघाड़ा जहां पैदा होता है वहां का जो मालिक है वही काश्तकार असामी माना जायगा। अब सिंघाड़ा वहां होता है या नहीं। मैं समझता हूं कि वहां इसकी कोई गुंजायश नहीं है। शायद आपकी अगली पंचवर्षीय योजना में भले ही इसकी सम्भावना हो। ऐसी ही टोंगिया प्लांटेशन की है जो जंगलात करते हैं और यह जल्दी ही समाप्त की जायगी, क्योंकि यह एक बेगार है। इसमें यह होता है कि लोगों को जमीन दे दी जाती है कि वह छै महीने खेती करें और पेड़ लगाये सरकार की ओर से और जब सारी जमीन में पेड़ लग जाते हैं तो उससे जमीन खाली करा ली जाती है। इसलिये यह बेगार होने की वजह से अवैधानिक भी है। इसलिये ऐसी तमाम चीजों को जो जौनसार बाबर की विशेष स्थितियों में लागू नहीं हो सकती हैं उनको इस विधेयक में स्थान देना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इस विधेयक का पुनर्वीक्षण किया जाय, जिससे यह एक परिवर्तित रूप में लागू हो सके। इसलिये मैं उचित समझूंगा कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाय और यह सिलेक्ट कमेटी या इसकी कोई सब कमेटी जौनसार बाबर यानी चकराता जाकर सब चीजें देखे। मैं यह सुझाव देने की गुजारिश करूंगा। इसमें जरूर थोड़ा सा खर्च है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी कि अगर सेलेक्ट कमेटी की एक सब कमेटी चकराता जा कर वहां के लोगों की राय ले कर कोई विधान बनाने की सिफारिश करे। अगर ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अन्त में जो अध्याय ३ है उसमें इस प्रकार का अधिकार सरकार ने लिया है कि जमींदारी विनाश विधेयक और लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट को वहां प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में वह एडप्टेशन आर्डर वहां दे सकती है। सरकार इमरजेंसी के मौके पर जो विधान बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है तो उसमें हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। सरकार यह अधिकार अभी अपने हाथ में ले और जमींदारी विनाश विधेयक को वहां की विशेष परिस्थितियों में लागू करने के सम्बन्ध में कानून बनाये, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के जो एडाप्टेशन आर्डर्स गवर्नमेंट ने बनाये वे सदन के सामने अवश्य आने चाहिये। जिस प्रकार कि आपने खंड ४१ में रखा है कि अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम विधान मंडल के सामने आयेंगे, उसी प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत दी गई सरकारी आज्ञायें जिनके द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम जौनसार बाबर में लागू किया जाय, वह एडाप्टेशन आर्डर्स भी सदन के सामने आने चाहिये ताकि सदन उन पर अपनी राय दे सके और इस सम्बन्ध में मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि वह डेलीगेटेड लेजिस्लेचर कमेटी का जो कि रूल्स अमेंडमेंट कमेटी ने सुझाव दिया था और जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है, उस सम्बन्ध में भी अगर आप शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे तो इस सम्बन्ध में सारे प्रश्न आसानी से हल हो सकेंगे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चौथी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि जौनसार बाबर में एक परगना है जिसे हरिपुर खास कहते हैं। उसका जो लैण्ड टेन्योर है, उसकी भूमि व्यवस्था जौनसार बाबर की भूमि व्यवस्था से भिन्न है और अधिकतर वह देहरादून और हमारे भाबर इलाकों में जो लैण्ड टैन्योर है उससे मिलती जुलती है। तो मुझे डर है कि वहां शायद हमें दूसरी तरह के एडाप्टेशन आर्डर्स लागू करने पड़ेंगे। सम्भव है कि जो परिभाषायें जौनसार बाबर के लिये दी गई हैं वे भी वहां लागू न हों। तो विधान बनाते समय हमें इस बात का खयाल रखना होगा कि वह हम इस तरह से बनायें कि हरिपुर खास, जिसकी भूमि-व्यवस्था जौनसार बाबर से भिन्न है, उसमें भी वह लागू किया जा सके। इसी तरह से परिभाषाओं के बारे में भी मुझे डर है कि वह वहां के लिये पूरी नहीं मानी जा सकतीं। हमें उसमें सयाने की परिभाषा रखनी पड़ेगी, कोल्टा और बाजगी लोगों की परिभाषा भी उसमें रखनी होगी नहीं तो हो सकता है कि कानून को लागू करने में हमें बहुत कठिनाइयां हों। तो परिभाषाओं के विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की धाराओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिससे जौनसार बाबर में हरिपुर खास की विशेषताओं को देखकर यह कानून वहां लागू किया जा सके। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो हमें दिक्कतें प्रतीत हुई हैं उनको देखते हुए, इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इस सदन को इस बात का मौका देंगे कि यह जौनसार बाबर की विशिष्ट स्थिति को देख कर जो कानून बनाये वह ऐसा हो कि जो सरलतापूर्वक और आसानी से वहां लागू किया जा सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम राम लखन मिश्र है और मैं आपकी आज्ञा से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को लाने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उस पिछड़ी हुई मानवता को वह प्रदेश के आधार पर एक स्तर पर लाने के लिये चेष्टा कर रहे हैं। मैंने उनके प्रारम्भिक भाषण में १८७३, १८८४ और १९४९ के प्रयत्नों को सुना, परन्तु इन प्रयत्नों से इस स्थल पर कोई लिपिबद्ध विचार नहीं बन सके। अभी तक सारी बातें आकाश के अन्तर्गत हैं और यह प्रयत्न बहुत कठिन है। एक यह भी विचारणीय विषय है कि वहां की परम्परा का गुलाम हो कर हमको यहां की भूमि व्यवस्था नहीं करनी है। हमको प्रदेश के आधार पर इस पिछड़े हुए स्थल में मानवता के रस्म रिवाज को लाना है। मैंने यहां पर बहुपतित्व नाम को भी सुना। हमको इन विभिन्न विषयों पर विचार करना होगा, क्योंकि उससे ला हैरिटेन्स के ऊपर असर पड़ता है इसलिये इसकी भी चर्चा की। मैं समझता हूं कि प्रदेश के साथ उनको लाना है। मैं मौर्य जी के इस कथन के साथ कोई संगति नहीं पाता हूं कि यहां पर आर्यों का केन्द्र स्थल रहा है। जैसा कि इस विषय में राजस्व मंत्री जी ने बताया यह एक अपवाद का स्थल हो सकता है। पांडवों और कौरवों के नाम से तो यह उनका स्थल नहीं बन सकता है कि यहां उनका बहुत बिहार स्थल रहा है या यहां पर उनकी संस्कृति फैली है। यह एक अपवाद का स्थल हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि वहां पर एक पिछड़ी हुई मानवता है और वहां पर वे लोग भारत वर्ष या प्रदेश के अन्य लोगों के साथ नहीं आ सकते हैं। वहां पर उस प्रकाश को लाना है। वहां पर भूमि के सुधार के लिये विधान आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जो विधेयक आया है उसके देखने से प्रतीत होता है कि इसके ऊपर सैद्धान्तिक रूप से विचार करना होगा। हम लोग कभी-कभी ऐसा कानून बना देते हैं जिसके अन्तर्गत ग्राम तौर पर तो काश्तकारों की रक्षा मालूम होती है, लेकिन वह जमींदार कानून की आड़ में किसी रूप से उन काश्तकारों को बेदखल कर देते हैं। उनकी रक्षा हमको विशेष रूप से करनी है। जमींदारी विनाश कानून में बहुत सी ऐसी धारायें बनायी गयीं, जिनको स्पष्ट रूप से हमको फिर से विचार करना पड़ा और काश्तकारों के अधिकार की रक्षा

के लिये उनको परिवर्तित करना पड़ा। सारे प्रदेश के काश्तकारों के ऊपर एक प्रकार से ही कानून बना कर उनकी रक्षा के लिये हमको प्रयत्न करना होगा। उनकी पिछड़ी हुई मानवता के जो पिछड़े हुए अधिकार हैं, और उनके जो रीति रिवाज है उन सब पर विचार करना होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाय। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने जैसे उन लोगों के अधिकारों की चर्चा की और उनके रीति,रस्म रिवाज की चर्चा की उसके ऊपर प्रकाश डालना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें सदियों से चली आई हैं उन बातों के ही गुलाम हो कर हम उनकी रक्षा करें। हमको हरिजन, या पिछड़ी हुई जाति के लोग या जो वास्तव मे किसान हैं, जो खेती का काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इसी प्रकार की अनेक बातें हैं जिन पर विचार करना होगा और गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इन कारणों से मैं इस विधेयक का प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव जो मौर्य जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

• **श्री नरदेव शास्त्री** (जिला देहरादून)---देहरादून जिले से निर्वाचित होने के कारण मैं उस जिले का प्रतिनिधि हूं। इसलिये मुझे इस विषय में कुछ कहना चाहिये। राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने विलम्ब के पश्चात् यह विधेयक इस सदन में आ रहा है। अब सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है, इसलिये कि इसमें बड़े पेच आ रहे हैं जिससे यह ठीक कानून नहीं बन सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कलेक्टर उस जिले में रहता है हर एक के लिये यह कार्यवाही होती रही है कि जब वह जाता है तो वह अपने संस्मरण लिखता है और ऐसे ही उस गजेटियर में देहरादून के जितने कलक्टर हुए हैं उसके नोट लिखे हुए हैं। उन्होंने बतलाया कि फलां सन् में क्या रिवाज था और उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए और किस बात में ये लोग आगे बढ़े। इसलिये अब यहां से कोई कमेटी जाय और फिर वह पता लगाये कि उनके क्या चाल चलन हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं और किस प्रकार से वे रहते हैं और उनकी क्या सामाजिक दशा है, इन बातों के लिये कोई डेपुटेशन भेजना ठीक नहीं होगा। चाहे आप कितने ही डेपुटेशन भेजिये कोई वहां के रीति रिवाजों को समझ नहीं सकता है। इसलिये मेरा कथन है कि यह प्रस्ताव चलने देना चाहिये चूंकि देर लगने से उनकी हानि होगी। हमारे शास्त्रों का कहना है कि "क्षिप्रमक्रिय भाणस्य कालः पिबति तद्रसम्।" कोई-कोई बातें ऐसी होती हैं कि उनको शीघ्र न किया जाय तो उनमें रस नही रहता है। ३ बार प्रयत्न किया गया कि जौनसार की प्रथा सुधारी जाय। इस बिल से अब उनका कल्याण होगा। यह विधान सभा ऐसी संस्था तो है नहीं कि यहां समाज सुधार कानून बनाया जाय कि वह कैसे रहते हैं, लड़का कितनों का माना जाय, कोलटे कौन होते हैं। यहां तो खाली जमीदारी प्रथा से सेवकों पर जो अत्याचार होते हैं उनको दूर करने की बात है। मौर्य जी ने तथा एक और व्यक्ति ने कहा कि ये पिछड़ी जाति हैं। परन्तु यह बहुत अच्छी जाति है। पंचायतों की बात लीजिये, जमीन का झगड़ा है तो चौकीदार से कहा गया कि जाओ पंचों से कहो कि फलां पेड़ के नीचे पंचायत होगी, सब महानुभाव पहुंच जावें। सब ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। उस चौकीदार को फी मुकद्दमा १५ सेर गेहूं या १० सेर चावल ऐसा कुछ मिल जाता है। जिसकी शिकायत होती है, पहले वह एक पैर पर खड़ा होकर हाथ जोड़ कर पंचों से अपनी बात कहता है। फिर दूसरा पक्ष इसी प्रकार अपनी बात कहता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम दूर जाकर बैठो। उसके बाद पंच कुछ आपस में सलाह करके फैसला देते हैं कि फलां का दोष है। यह इतना सस्ता फैसला होता है कि आप सुनकर आश्चर्यान्वित होंगे। पंचों को एक-एक पैसा बांटा जाता है। वहां एक शेरसिंह सयाना थे, अब तो वे मर गये हैं, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा कि तुम इतने बड़े जमींदार हो कर एक पैसा क्यों लेते हो तो कहने लगे कि यह इनाम है चाहे एक पैसा या एक हजार रुपये हों। जौनसारी इतने सत्यवादी हैं कि उनको हजारों रुपये दीजिये तो भी वे झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी रही बात रीति रिवाज की, सो ये तो हर देश में बदलते रहते हैं। सोचिये अंग्रेजो के जमाने में हम क्या थे, पहले क्या थे और अब हममें क्या परिवर्तन हो रहा है। समाजवाद

[श्री नरदेव शास्त्री]

की बात लीजिये। हमारा प्राचीन समाजवाद कैसा था? अंग्रेज किस प्रकार से लाना चाहते थे और अब कांग्रेस किस प्रकार से लाना चाहती है? मेरी राय है कि इस बिल को शीघ्र पास करना चाहिये। मैंने आधा जौनसार देखा है। मंसूरी में २ मास रहता हूं। १४ मील पर ही यह इलाका है। कालसी देवबन्द में मैं गया हूं और उन लोगों के रीति रिवाजों को मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में न भेजा जाय बल्कि इसे यहीं पास किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि जिस रूप में विधेयक इस सदन में रक्खा गया है उसे इस स्टेज पर इस रूप में अगर यह सदन पास करने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि वह जौनसार बावर के इलाके के लोगों के कष्टों को दूर करने में अधिक समर्थ होगा। बहुत सी बातें जो यहां कहीं गईं उनका कारण यह है कि लोगों को वहां के रीत रिवाजों के बारे में मालूम नहीं है। जिनको कोलटा कहा जाता है वे एक प्रकार के स्लेव थे, यह कहा गया। मान लिया वे स्लेव थे, लेकिन आज प्रगतिशील संसार में क्या डेमोक्रेसी के नेतृत्व करने वालों का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि उस गुलामी की प्रथा को जल्दी खत्म किया जाय। जमींदारी के नीचे जो गुलाम प्रथा थी उसको बहुत पहले खत्म किया जा चुका है यह हमारी सरकार ने किया है। यह हमारी नाजानकारी है यदि हम यह कहें कि आज भी सारे प्रदेश में वह प्रथा जैसी कि तैसी बनी है। गजेटीयर्स की पुरानी बातें यहां रखने की कोशिश माननीय सदस्यों ने की हैं। मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इस कानून के पास करने में रुकावट डालता हो। जो लोग अपर क्लास की सेवा करते चले आये हैं और उसके बदले में जमीन से पैदा करके खाते थे, तो क्या किसी को इस बात पर इंकार हो सकता है कि उनकी सेवायें इतनी अधिक हो गई हैं कि बैलेंस सेवाओं का क्रैडिट करें तो अपर क्लास के खिलाफ है। उन्होंने इतनी अधिक सेवायें की हैं कि जो जमीन उनके कब्जे में है उसके अलावा उन्हें और जमीन दी जानी चाहिये अगर यह सदन इंसाफ करना चाहता है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि कोई मुआवजा या कम्पेसेन्शन पहाड़ के मामले में नहीं दिया जाना चाहिये अगर ईमानदारी बरती जाती है और उनकी मेहनत मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है। हमारी सरकार इस प्रान्त के जमींदारों को मुआवजा देकर खत्म करने का फैसला कर चुकी है। हम इसे मानते हुए कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आधार रखा है वह बहुत उचित है और उससे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं।

इनहैरीटैन्स के बारे में मैं यह समझता हूं कि उन्होंने विकास के स्तर पर इस बात को उचित समझा है। समाज की बातों को ध्यान में रखते हुए यह मुमकिन ही दिखाई देता है कि उसे इस स्टेज पर टच नहीं करना चाहिये। हमको कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। जहां तक इनहैरीटेंस का मामला है उनको वही राइट्स होने चाहिये जो कि हिन्दू ला के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। अगर भूतकाल में किन्हीं परिस्थितियों के कारण से उन लोगों पर हिन्दू ला लागू नहीं हो सका और क्योंकि वे लोग हिन्दू हैं इसलिये उनको उस कानून की पाबन्दी में लाना चाहिये। मैं समझता हूं अगर इसको छोड़ दिया जाय तो कोई इतनी बड़ी भारी कमी नहीं होगी। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो उस कानून में सुधार किया जा सकता है। इस लिये माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और समझता हूं कि प्रवर समिति में इसके भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे समय का और रुपये का अपव्यय होगा तथा इसके द्वारा हमें एक मौका मिलता है कि हमारा जो कर्त्तव्य हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, उसको दूर हटायें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि यह मसला बहुत ही नाजुक है। उनकी रीति रस्म और रिवाज जैसा मौर्य जी ने बताया उनको उनका पूरा अध्ययन है, वहां पर बहुपति की प्रथा से लेकर ऐसे-ऐसे रीति रस्म हैं कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही मौरूसी काश्तकार हो सकते हैं। इसलिये भूमि पर क्या अधिकार हो और किस प्रकार से हो यह अजीब सा नाजुक मसला है, इसके लिये थोड़ी देर भी हो जाय और थोड़ा सा पैसा भी खर्च हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस मसले को जितनी खूबी से सरकार हल कर सकती है उतना और कोई कर नहीं सकता। पहाड़ों की उतनी ही ज्यादा उन्नति होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी चाहते हैं कि पहाड़ों की उन्नति हो इसलिये हम कोई भी चीज जो उस मार्ग में रोड़ा है, उसको रखना नहीं चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय मौर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मौर्य जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय उसका भी मैं समर्थन करता हूं। अभी माननीय रावत जी ने कहा कि प्रवर समिति में समय और रुपये का अपव्यय होगा और मैं समझता हूं कि यह कहना उचित न होगा। यह तो हम सब लोगों ने माना ही है कि हम उस क्षेत्र के लिये कानून बनाने जा रहे हैं जहां अब भी बहुत पुरानीं प्रथायें लागू हैं जिन को इस समय हम बरदाश्त नहीं कर सकते। परन्तु मौर्य जी की एक बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि बहुपति की प्रथा पांडवों की भांति इस क्षेत्र में भी जारी है और इसलिये वे उस क्षेत्र को आर्यों का क्षेत्र मानते हैं। पाडवों का एक स्त्री से शादी करना एक एक्सेप्शन अपवाद ही था इसे आर्य सभ्यता कहना उचित नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने भ्रम को दूर करें। यह आवश्यक है कि इस कानून को बनाने के लिये जो प्रथाएं हैं, जो नियम और उप नियम हैं, उन पर हम विचार करें। शीघ्रता में, जल्दबाजी में, कोई कानून बना लें तो फिर दूसरी बार उसमें संशोधन लावें, जैसा कि अक्सर हमें संशोधन विधेयक लाने पड़ते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी कानून को बनाने से पहले उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लें। अगर सदन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे तो मुझे आशा है कि वह फिर यहां पर और अच्छे रूप में आयेगा। इस लिये इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा। जो तर्क माननीय रावत जी तथा श्री नरदेव शास्त्री जी द्वारा दिया गया है कि इसमें देर हो जायगी, तो इसमें घबड़ाने की कोई बात नहीं है। अभी जब दूसरी बार सदन बैठेगा तो उस समय फिर यह विधेयक आ सकता है। किसी कानून के बनाने में एक दो महीने की देर हो जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार इस सदन के सामने इस बिल के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं उनसे हम लोग यह महसूस करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जौनसार बावर की कुछ समस्याओं के ऊपर गहरे रूप से विचार किया है और सिद्धान्ततः जो बिल आज वे इस सदन के सामने लाये हैं उसमें एक झलक यह अवश्य दिखलाई दे रही है कि वहां के जो किसान हैं, जो टिलर्स आफ दि लैंड हैं, जो जमीन को जोतते हैं, कमाते हैं, उन जमीन कमाने वाले लोगों को वे कुछ हक देना चाहते हैं ताकि उस जमीन पर उनकी कुछ परमानेंसी रहे, उस जमीन के वे मालिक रहें जिस जमीन पर वे खेती करते हैं, यही उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, जिस सिद्धान्त का बहुत दिनों से इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

में और सारे देश में प्रचार है कि "टिलर आफ दि स्वायल शुड बि मास्टर आफ दि लैंड' (जो भूमि पर खेती करे वही उस भूमि का मालिक होना चाहिये) और मैं समझता हूं कि आज जो उनका भाषण हुआ उससे मैंने यह समझा कि वहां के जो किसान हैं, चाहे उन्हें असामी कहें या पट्टेदार कहें, उनको जमीन पट्टे पर दी गयी हो, हल जोतने के लिये दी गयी हो, किसी कारण से भी कोई जमीन किसी आदमी के पास हो जो उसे कमाता हो वह उस जमीन का मालिक बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां के कुछ खास रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर काफी बहस भी हो चुकी है, पहली मर्तबा भी जौनसार बावर संबंधी एक बिल इस सदन में आया था तो उस वक्त भी इस पर काफी विचार हुआ और ऐसा तो नहीं लेकिन कुछ इसी किस्म के किसानों के हकों का प्रश्न हमारे और पर्वतीय जिलों जैसे, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टेहरी में भी है, तो उनके प्रश्न को भी हमारी सरकार को हल करना चाहिये और वह बिल भी मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में ही इस सदन के सामने आ जायगा। उस बिल की जो रूप रेखा है उसे हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे पर्वतीय प्रदेश के जितने विधान सभा के तथा पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको बुला कर हमारे सामने रखी थी। उससे यह अन्दाजा लग सका कि हमारे यहां के जो खेती करने वाले हैं उनको सरकार आज उनकी जमीन का मालिक बनाने जा रही है। इसलिये जहां तक देर करने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय नरदेव शास्त्री जी तथा श्री चन्द्र सिंह रावत जी से बिलकुल सहमत हूं कि इस मामले में बिलकुल देर नहीं होनी चाहिये, लेकिन साथ में इस बात के लिये भी सहमत हूं कि अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि उसका कुछ असर लोगों के ऊपर पड़ेगा और कमेटी के सदस्य वहां जाकर वहां की हालत देखें, मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर कमेटी के सदस्य वहां जायेंगे भी तो उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो कि इस बिल की मुखालिफत करेंगे। हम उनको देख नहीं सकते, जिन बेचारों के लिए यह कानून बनाया जा रहा है उनके पास जमीन अपनी नहीं है और वास्तव में हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। मैं इस वास्ते इसकी मुखालफत में नहीं हूं कि वहां जा कर देखा जाय। हमें देखना यह है कि किसान जो जमीन जोतता है वह किसान उस जमीन का मालिक बन सकता है या नहीं। अगर कम्पेसेशन देने का सवाल है तो सवाल यह भी है कि किसान मुआवजा दे और उसकी ऐसी हैसियत कहां है कि वह मुआवजा दे सके। यह सरकार उसके बजाय दे, यह एक दूसरा प्रश्न है। जहां तक मैं समझा और उस कमेटी में जिसका कि मैंने जिक्र किया माननीय मंत्री जी ने जो हमें समझाया था उससे हम समझते हैं कि वह अब अपनी जमीन का मालिक बनने वाला है। उसकी थोड़ी सी पेचीदगी अवश्य है और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा और उनके कहने में कुछ तथ्य भी है और उनका कहना यह ठीक है कि इसका असर अवश्य ही वहां पड़ेगा। वहां कल से ही इससे घबराहट पैदा हो जायगी जब यह मालूम होगा कि मालगुजारी का १६ गुना मुआवजा देकर वह जमीन का मालिक हो सकता है।

श्री चरण सिंह--ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट देगी, वह तो केवल सीरदार हो जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं समझता हूं कि यह जौनसार बावर का जो प्रश्न है वह केवल वहां की जमींदारी अबालीशन का ही प्रश्न नहीं है, मैं तो इसको कनफर्मेंट आफ जमींदारी राइट्स आफ टेन्योर कहूंगा, क्योंकि जो सीरदार की हैसियत से खेती करते हैं उन्हीं के राइट को हम कनफर्म कर रहे हैं। उनकी जमीन तो उन्हीं के पास है, लेकिन उस जमीन को जिसे वह नहीं जोतते हैं और दूसरे लोग जोतते हैं उस जमीन के लोगों को भी कोई हक दिया जा रहा है जिस से वह मालिक हो जाय, खेती की तरक्की कर सकें और उनको भी सुविधा मिल सके? अगर यह मन्शा है तो इसको अवश्य स्वीकार किया जाय और हम पर्वतीय प्रदेश

के लोग ऐसी चीजों पर अवश्य विचार प्रकट करते हैं। जहां तक सेलेक्ट कमेटी में इसे भेजने का सवाल है मैं चाहता हूं कि उसको माननीय मंत्री जी मान लें, लेकिन दो मास की बात जो माननीय मौर्य जी ने कही है वह बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही समय है फिर बजट सेशन आ जायगा और कायदा यह है कि बजट के दौरान में ऐसा कोई बिल आ नहीं सकता। वहां के लोग इंतजार में है कि कब वहां का यह प्रश्न हल होगा। इसलिए १५ दिन का समय सिलेक्ट कमेटी के लिए काफी होगा, छोटा सा बिल है एक दो दिन में सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो सकता है। थोड़ी सी बात है मंत्री जी अगर सिलेक्ट कमेटी की बात को मान लें तो मुनासिब है। जब सिलेक्ट कमेटी से लौटकर यह बिल यहां आयेगा। तो हम आसानी से यहां शीघ्र ही इसे पास कर सकेंगे, क्योंकि वहां बहस उस पर जो लोग इन्टरेस्टेड होंगे विचार कर के कर लेंगे, सभी सदन के सदस्य तो उस में दिलचस्पी नहीं रखते। जो पर्वतीय प्रदेश के लोग हैं वह उस पर विचार कर ही चुकेंगे और जिस रूप में बिल आयेगा सदन उसे पास कर देगा और समय भी सदन का नष्ट न होगा। आशा है कि माननीय मंत्री जी को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर एतराज न होगा और वह मौर्य जी के प्रस्ताव को मान लेंगे।

*श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में दो भाग ऐसे हैं कि जहां पर अब तक जो कानून बनते थे उन में एक नुक्ता लगा दिया जाता था। वह एक तो जौनसार बावर का इलाका है और दूसरा मिर्जापुर जिले में कैमूर के दक्षिण का भाग है। दोनों जगहों की वास्तविक हालत को देखने और सुनने के बाद मैं यह समझा कि इन दोनों क्षेत्रों की एक सी हालत है और वह अब भी दुनिया से दूर हैं। कुछ भाइयों ने कहा कि वे पिछड़े हुए हैं, लेकिन ईमानदारी की दृष्टि से वे सचमुच पिछड़े हुए नहीं है। मैं एक दृष्टान्त बतलाता हूं। पारसाल सितम्बर की बात है। एक ठेकेदार का कुछ रुपया गायब हुआ। उसके आदमी ने घी कढाहे में चढ़ाया और कहा कि जिस आदमी ने रुपया लिया होगा वह अगर साहु है तो इसमें हाथ डाले उसका हाथ नहीं जलेगा और अगर उसका हाथ जल गया तो वह चोर होगा। इस तरह से १८ आदमियों ने उसमें हाथ डाल दिये और उन १८ आदमियों के हाथ जल गये। ऐसे भी क्षेत्र इस प्रदेश में मौजूद हैं जहां आज भी भूत या ओझा का नाम ले कर बदन का खून निकाला जाता है, चावल रंगा जाता है और मुर्गी का शिर दांत से कटवाया जाता है और उसको मारा जाता है। और न मालूम क्या-क्या होता रहता है? तो ऐसे भी क्षेत्र आज इस प्रदेश में मौजूद हैं। जौनसार बावर में समझता हूं कि इसी कोटि का एक क्षेत्र है और वहां पर जमींदारी उन्मूलन करने के लिये जो विधेयक माल मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं, और द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जो उसमें प्रवर समिति नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और वह भी अनुभव के आधार पर। एक उदाहरण अनुभव के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं उसी क्षेत्र का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हैफहैजर्ड वे में जमींदारी उन्मूलन लागू कर दिया गया और आज उसका नतीजा यह है कि तीन साल से वहां मुकदमें बाजी हो रही है। वह इलाका गैर पैमाइशी है और उस गैर पैमाइशी इलाके में जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। अगर उसके लिये अलग से कानून बनाया गया होता और कोई प्रवर समिति बना कर सारी समस्याओं का अनुसंधान भली प्रकार करके जमींदारी उन्मूलन किया गया होता तो वहां पर जो हाय-हाय मच रही है वह नहीं होती। इसलिये पिछले अनुभवों के आधार पर जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है और जो यह विधेयक रखा गया है इन दोनों का ही मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह बिधेयक सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। जहां तक देर लगने की बात है तो कभी-कभी जल्दी करना अच्छा नहीं होता और यह अच्छा नहीं है कि जल्दी-जल्दी करके काम खराब कर दिया जाय। जहां इतने दिन देर हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

और भी थोड़ी देर हो जाय, लेकिन पूर्ण रूप से विचार करके तब विधेयक बनाया जाय, क्योंकि मैं यह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं वहां के इलाकों की दशा अपनी आंखों देख कर आया हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल---मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री चरण सिंह**---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी मित्रों का बहुत अहसानमन्द हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उसूलों की आमतौर पर ताईद की है। मुझे एक दो बातें अर्ज करनी हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगाना है और न ज्यादा वक्त मेरे पास है। जैसा कि माननीय रामलखन जी और माननीय व्रजबिहारी जीं ने प्रोटेस्ट किया मैं भी जरूरी समझता हूं कि माननीय मौर्य जी ने जो कहा कि यह आर्यन संस्कृति का प्रतीक है कि प्रोटेस्ट करूं कि मैं भी यह एक गलत बात समझता हूं। आर्यन संस्कृति की प्रतीक इसलिये कि महाभारत में एक घटना घटी। तो अगर वह आम बात होती, और आर्यन संस्कृति के प्रतीक होने का सबूत होता तो फिर हस्तिनापुर, मथुरा या इन्द्रप्रस्थ, जहां कुरुक्षेत्र है, जहां विदुर की कुटिया, जहां द्रोण का आश्रम, जहां महाभारत के क्षेत्र थे उन दोनों-तीनों डिवीजनों में पालीएंड्री दिखाई देती। पर वहां कोई ऐसी बात नहीं है। यह न मालूम किस वजह से एक इस तरह की बात चली आ रही है कि जो इंसान के अच्छे विचार हैं, जो उसकी उच्च भावनायें हैं, बिलकुल उनके खिलाफ पड़ती है कि एक स्त्री के अनेक पति हों।

माननीय नरदेव शास्त्री ने जरा सी गलती की और मैं बिल्कुल उनके जजबात की कद्र कर सकता हूं। उन्हें शिकायत यह है कि जरा देर हुई। इसमें तो अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा यहां रेकार्ड्स नाम मात्र को थे। लिहाजा रेकार्ड आपरेशंस एक्विजक्यूटिव आर्डर्स से करा दिये गये। फिर एक विधेयक ला कर उसे अधिनियम बना कर उन्हें रेगुलराइज किया गया और कानून की शक्ल दी गई। सन् ५२ में इस विधान सभा ने जो कानून पास किया था उसके मातहत जो लोग काश्तकार थे, गैरमौरूसी हों या मौरूसी काश्तकार हों या और कोई उनकी नौअइयत रही हो सबकी बेदखली बन्द कर दी गई। तो इसलिये अगर इसके लाने में देर हुई तो किसी को नुकसान नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि जमींदारी एक इतनी पुरानी व्यवस्था है और हमारे इतने बड़े सूबे में उसके मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं, उनके अधिकारों को लेना और उसकी जगह दूसरी व्यवस्था कायम करना अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी तकलीफ होती है जब कोई माननीय मित्र उन दिक्कतों व मुश्किलात को बिना महसूस किये हुए देर होने का इल्जाम लगाते हैं। हम सबकी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी तरक्की के रास्ते पर चलें, लेकिन साथ ही साथ यह लगा रक्खा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलें तो बड़ी कठिनाई होती है। जो बड़ा काम होता है उसे पहले छुआ जाता है। यहां तो केवल ४८७६ एकड़ जमीन का मसला है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि काश्त होती है। ४०, ५३६ एकड़ कुल जमीन है, जिसमें ३५,००० से ज्यादा खुदकाश्त में है। लिहाजा ४,८७६ एकड़ जमीन कुल ऐसी है जिसमें काश्तकारों के हुकूक का प्रश्न उठता है। लिहाजा मेरे साथ जो काम करने वाले अफसरान हैं वे इस तरफ ध्यान न दे सके। ध्यान नहीं बल्कि इतनी बड़ी-बड़ी फाइलें हो गईं कि गौर करते-करते बिल न ला सके। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्रों से क्या कहूं सिवा इसके कि माफी चाह सकता हूं।

अभी एक बात माननीय व्रजभूषण मिश्र जी ने कही कि दूधी इलाके में हेपहजर्ड वे में जमींदारी ऐक्ट लागू किया गया। हो सकता है कि अगोरी में ऐसा किया गया हो लेकिन रामपुर में तो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट नहीं, बल्कि पट्टेदारी एबालीशन ऐक्ट लागू किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां तो लैंड रेकार्ड्स भी पूरे थे। वहां तो हेपहजर्ड वे में पट्टेदारी एबालीशन ऐक्ट लागू नहीं किया गया, लेकिन डेढ़ साल से लागू नहीं हो सका। मुकदमेबाजी हो रही है। चन्द आदमी हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट से हार गये तो सुप्रीम कोर्ट में चले गये। जहां तक अगोरी का वास्ता है जमींदार हाई कोर्ट में जाकर हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहां भी रिट खारिज होती है तो कमिश्नर के पास जाता है, वहां भी अपील खारिज होती है तो सिविल कोर्ट में जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या गल्ती की। गवर्नमेंट का केस तो बहुत मजबूत है। वे यह कहते हैं कि जो लफ्ज इस्टेट आया है जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में, वहां स्टेट होना चाहिये,। क्योंकि इस्टेट का मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यू पेपर्स में रेकार्ड हो इस बात का कि यह इस शख्स की जमींदारी थी यह जरा सा प्वाइन्ट है। उस प्वाइन्ट के ऊपर चार अदालतों में मुकदमेबाजी हो चुकी है।

एक सदस्य--पैरवी की?

श्री चरण सिंह--तो फिर हेपहजर्ड वे न कहिये। पैरवी के मुताल्लिक जो चाहे कहिये। उसके मुताल्लिक मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कही उससे जरा तकलीफ हुई। जैसा मैंने कहा कि हर आदमी को पूरा अधिकार है इतनी अदालतें खाली हैं कहीं भी वह जा सकता है। एक जगह ६ महीने लगते हैं। वहां से हारता है तो दूसरी जगह चला जाता है, फिर तीसरी जगह और अब चौथी जगह वह गया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुकद्दमा माल से किस जगह पर, किस कदम पर गलती हुई हैपहजर्ड वे में। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है जैसा कि सभी माननीय मित्रों ने इकरार किया कि यहां की एक विशेष परिस्थिति है। मैं १९४६ में दो दिन यहां रह चुका हूं, चकराता में जब कि स्वर्गीय माननीय रफी अहमद किदवाई ने मुझको वहां उनकी हालात का अध्ययन करने के लिये भेजा था। तो थोड़ी सी जो मेरे मन पर छाप पड़ी उससे कि जो एक साहब वहां पहले कलेक्टर रह चुके थे उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी वह और दस्तूरुलअमल जो है वह मैंने पूरा-पूरा पढ़ा नहीं है, दो चार सफे पलट कर देखे हैं, उन सब को देखने से मालूम होता है कि वहां की स्थिति बिलकुल विशेष है। वह एक अलग अपनी स्पेशल फीचर्स रखती है तो इसलिये भी कि किस तरीके का बनायेंगे, क्या करें, उसमें देर होती है। अध्यक्ष महोदय, जब एक आदमी तस्वीर बनाता है, बनाकर लाता है, उस समय उसमें छिद्रान्वेषण बहुत आसान है। लेकिन कोई स्थिति अगर सामने रख दी जाय तब उसका जवाब निकालना और तस्वीर बनाना ओरिजिनली हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। जब एक चीज आ जायगी तब तो यह कह ही दिया जायगा कि यह क्यों, वह क्यों, लेकिन पहले उसको लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिये उसमें देर जरा सी हुई। मैं भी अपने इन सब दोस्तों से सहमत हूं कि जहां जल्दी होनी चाहिये वहां मुनासिब यह है कि जिन लोगों को खास दिलचस्पी हो इस मामले में वे सब इसमें शामिल हों, और दूसरे और लोग भी जो दिलचस्पी रखना चाहते हों वे भी शामिल हों, उनको भी शामिल करके एक सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द इसे कर दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी उसके लिये अगरचे उन्होंने दो महीने का वक्त रखा है, लेकिन वह तो आउट साइड लिमिट है, कोई जरूरी नहीं कि दो महीने ही लगें, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि २६ को मीटिंग कर ली जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो २५ को ही मीटिंग करने को तैयार हूं। लिहाजा मैं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से दरख्वास्त करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इकट्ठा हों और इस पर गौर करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं संशोधन सदन के सामने रख देता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ को प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर दे और जिसके ये निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

१—श्री चतुर्भुज शर्मा
२—श्री मदन मोहन उपाध्याय
३—श्री नारायण दत्त तिवारी
४—श्री गोवर्धन तिवारी
५—श्री नरदेव शास्त्री
६—श्री शांति प्रपन्न शर्मा
७—श्री अब्दुल मुईज खां
८—श्री व्रजभूषण मिश्र
९—श्री खुशी राम
१०—श्री रामदास (फैजाबाद)
११—श्री केशभान राय
१२—श्री इर्तजा हुसैन (बुलन्दशहर)
१३—श्री वीरेंद्रपति यादव
१४—श्री वसी नक़वी (रायबरेली)
१५—श्री सत्य सिंह राणा
१६—श्री चन्द्र सिंह रावत
१७—श्री बेनी सिंह अवस्थी
१८—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (बरेली)
१९—श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर)
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

और इसके नियम के अनुसार एक सभापति होंगे, वे माल मंत्री होंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२१ नवम्बर, १९५५।

मिटठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

प्रश्न संख्या ४ से संलग्न सूची

१—नदियों के नाम जिनमें जुलाई १९५५ के तृतीय सप्ताह में बाढ़ आई :—

१—घाघरा
२—टोंस
३—मुझई
४—कुवर
५—सिलनी
६—छोटी सरजू
७—क्यार
८—सुकसुई
९—हा हा
१०—लोनी
११—मैसहो
१२—मगई
१३—वेसो
१४—दोना
१५—उदान्ती
१६—गांगो
१७—नरही
१८—लेडुही
१९—बघाड़ी
२०—ओरा
२१—आंगरी
२२—झरही
२३—मिकिया

२—फसल को हानि—लगभग ४,००,००० एकड़

३—क्षति ग्रस्त घरों की संख्या २९,२००

४—मनुष्य तथा पशुओं की हानि

मनुष्य	२
पशु	४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची

तहसील का नाम	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनमें हानि रुपये में १६ आने है।
१—सदर ..	.. २५,७३५	१०३
२—अमेठी ..	.. ६,८३०	३६३
३—कादीपुर ..	.. ९,८११	५६
४—मुसाफिरखाना	.. ११,२८६	१३०

नोट:—इसके अतिरिक्त नदी से दूर तथा ऊपरी स्थान के ६५३ ऐसे गांव है जिनमें फसल को रुपये में ४ आने से १४ आने तक हानि हुई है।

सहायता

नाम तहसील	अहेतुक सहायता रु०	गृह निर्माण के लिये अनुदान रु०	तकावी बिना ब्याज के रु०
१—सदर ..	३४,३५०	३९,०००	२,७५,०००
२—अमेठी ..	२७,८००	१६,५००	१,५४,०००
३—कादीपुर ..	१५,२००	२३,०००	१,६६,०००
४—मुसाफिर खाना ..	२५,७००	२६,०००	१,४०,०००

इसके अतिरिक्त सस्ते गल्ले का प्रबन्ध, पशुओं के चारे का प्रबन्ध तथा लोगों की चिकित्सा आदि का प्रबन्ध किया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सेंट्रल डेयरी फार्म का वार्षिक लाभ तथा हानि का ब्योरा

(१ नवम्बर, सन् १९४८ से ३१ मार्च, १९५५ तक)

वर्ष		ब्योरा रु०	आ०	पा०	
१९४८–४९	..	८६,३४०	१५	०	लाभ
१९४९–५०	..	५,४३२	६	६	लाभ
१९५०–५१	..	१३,४६६	६	६	लाभ
१९५१–५२	..	१,५५,३३१	९	५	हानि
१९५२–५३	..	१,८२,४८६	३	४	हानि
१९५३–५४	..	६,८२९	०	५	लाभ
१९५४–५५	..	२३,५६९	७	६	लाभ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न संख्या १ से संबंधित सूची

फैजाबाद तहसील—

१—इलाहाबाद–फैजाबाद सड़क मील नं० ९१ से ९९ तक।
२—फैजाबाद–आजमगढ़ सड़क मील १ से २२ तक ।
३—लखनऊ–गोरखपुर सड़क मील ५८ से ७२ तक ।
४—गोसाई गंज–रनौवा सड़क मील १ से ४ तक।
५—देवकाली–जेल रोड मील १ से २ तक।
६—फैजाबाद–रायबरेली सड़क मील २ से १० तक।
७—मसौदा–सुचता गंज मील १ से ४ तक।

बीकापुर तहसील—

१—इलाहाबाद–फैजाबाद सड़क मील ७८ से ९० तक।
२—फैजाबाद–रायबरेली सड़क मील ११ से २७ तक।

अकबरपुर तहसील—

१—फैजाबाद–आजमगढ़ सड़क मील २३ से ४६ तक ।
२—टांडा–अकबरपुर सड़क मील ७ से ११ तक।
३—जौनपुर–अकबरपुर सड़क मील ३१ से ५१ तक।

टांडा तहसील—

१—फैजाबाद–आजमगढ़ सड़क मील ४७ से ५९ तक।
२—टांडा–अकबरपुर सड़क मील १ से ६ तक।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

वाराणसीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का

विधेयक

बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और उसमें ऐसे कृत्यों को निहित करना आवश्यक है, जिनका निर्वहन सम्प्रति गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा राजकीय बोर्ड (State Board of Sanskrit Education) द्वारा किया जाता :

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारंभ ।

१—(१) यह अधिनियम वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "संबद्ध कालेज" (affiliated college) का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो ;

(ख) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम तथा परिनियमों (Statutes) के उपबन्धों के अनुसार संधारित (maintained) किसी संबद्ध कालेज के विद्यार्थियों के लिये रहने के किसी स्थान से है ;

(ग) "प्रबन्धक" (management) का तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा अन्य संस्था से है जिसे किसी संबद्ध कालेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) किसी छात्रावास के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया (charged with) हो ;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी संविधि (Statute) द्वारा नियत से है ;

(ङ) "आचार्य (principal) का तात्पर्य किसी संबद्ध कालेज के अध्यक्ष (head) से है ;

(च) "अभिज्ञात" (recognize) का उसकी सजातीय पदावलियों (cognate expressions) सहित, तात्पर्य इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों (Act, Statutes and Ordinances) के उपबन्धों के अनुसार अभिज्ञात से है;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम और संविधियों के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में पंजीकृत (registered) हुआ हो ;

(ज) "संविधियों' अध्यादेशों और विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य तत्समय प्रचलित विश्वविद्यालय को क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों (Statutes, Ordinances and Regulations) से है ;

(झ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा अथवा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distnction) प्राप्त करने के लिये किसी पाठ्यक्रम को लेने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय में भरती हुआ हो;

(ञ) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय को किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान कार्यों (research) के संचालन अथवा निर्देशन (conducting or supervising) के लिये विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज द्वारा नियोजित (employed) किया गया हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में नियोजित तो न हुआ हो किन्तु विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये अभ्यर्थियों (candidates) को तैयार तथा प्रस्तुत (preparing and presenting) करने के लिये परिनियमों द्वारा नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) हो ;

(ट) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे विश्वविद्यालय से वेतन मिलता हो,

(ठ) "संबद्ध कालेज का अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो किसी संबद्ध कालेज द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे उस कालेज से वेतन मिलता हो, और

(ड) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय

३—विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा उप-कुलपति और विश्वविद्यालय की संसद, कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के प्रथम सदस्यगण और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी अथवा सदस्य बनें, उस समय तक के लिये जब तक कि वे उक्त पद पर अथवा सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय के अधिकार।

४—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन नियत की जाय, विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात्-

(१) संस्कृत विद्या तथा संबद्ध विषयों में उपाधियां, डिप्लोमे तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टतायें स्थापित करना

(institute) और ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों अथवा विशिष्टताओं के लिये शिक्षण की व्यवस्था तथा परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमें और विशिष्टतायें प्रदान अथवा संप्रदान करना (confer or award) जो नियत शर्तों को पूरा करते हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को [महिला अथवा एतदर्थ अभिज्ञात (recognize) किसी संस्था के ऐसे अध्यापक को छोड़ कर, जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरी करता हो] तब तक कोई उपाधि न दी जायगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज अथवा अभिज्ञात अध्यापक द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाय ;

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट परीक्षाओं से भिन्न ऐसी परीक्षायें स्थापित करना (institute), जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और उन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनका आयोजन करना तथा उनके परीक्षाफल के आधार पर प्रमाण-पत्र (certificates) देना ;

(३) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से, स्वीकृत (approved) व्यक्तियों को सामान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(४) दान अथवा न्यास (gift or trust) के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्ति अथवा निधियां ग्रहण करना जो उसे दी जायं, तथा दान अथवा न्यास की शर्तों के अनुसार उन पर कब्जा रखना, उनका प्रयोग करना तथा उनका हिसाब-किताब रखना, (hold, use and keep account of) ;

(५) ऐसे शुल्कों (fees) की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत किये जायं ;

(६) सरस्वती भवन पुस्तकालय (Saraswati Bhavan Library) का संधारण और संस्कृत तथा संबद्ध विषयों की ग्रंथ सूची (bibliography) रखना ;

(७) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) का स्थापित करना (institute) तथा इन पदों पर नियुक्तियां करना ;

(८) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार पुरस्कार (award) तथा फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पारितोषिक (prizes) तथा पदक (medals) स्थापित करना,

(९) विश्वविद्यालय के छात्रों के रहने के लिये छात्रावासों का संधारण तथा विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों के विद्यार्थियों के रहने के लिये ऐसे छात्रावासों को अभिज्ञात (recognized) करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों ;

(१०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से सहयोग करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे तथा अन्य समस्त ऐसी बातें और कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के प्रयोजन से अपेक्षित हों।

कालेजों को संबद्ध करना ।

५—विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी भाग में स्थित संस्थाओं को संबद्ध कर सकता है और भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों (candidates) को अपनी परीक्षाओं के लिये अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई संस्था किसी राज्य की सरकार द्वारा, संधारित हो तो उस सरकार की सहमति बिना विश्वविद्यालय उस संस्था में नियोजित किसी अध्यापक को अभिज्ञात (recognize) न करेगा।

पाठ्यक्रम

६—विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों तथा प्रमाण-पत्रों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम (courses of study) अध्यादेशों द्वारा और उनके अधीन रहते हुये विनियमों (regulations) द्वारा नियत किये जायेंगे।

निरीक्षण

७—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों (museums), वेधशालाओं (observatories) इत्यादि का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन-कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है ;

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यावय को अपना एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा ;

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकती है तथा कुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दे, संसद तथा कार्यकारिणी सभा को ज्ञापित करेगा ;

(४) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी सभा द्वारा की गयी अथवा प्रस्थापित कार्यवाही का प्रतिवेदन (report) और उस प्रतिवेदन पर यदि संसद ने कोई मत व्यक्त किया हो, तो उसे भी राज्य सरकार के पास भेज देगा.

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण, उचित अवधि के भीतर, राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते तो ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण दें, विचार करने के पश्चात् वह ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण ऐसे आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

संबद्ध कालेजों का निरीक्षण।

८—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा की सिपारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दें, किसी भी संबद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन कार्य का निरीक्षण और कालेज से संबंधित किसी विषय में उक्त रीति से जांच करवा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई (to be present and be heard) का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि उन व्यक्तियों में भी सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों ;

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय ;

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करते तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।

९—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

(१) कुलपति (Chancellor),
(२) उप-कुलति (Vice-Chancellor),
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer),
(४) प्रस्तोता (Registrar),
(५) ग्रन्थाध्यक्ष, (Librarian)
(६) छात्राध्यक्ष (Dean of Student of Welfare)
(७) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

१०—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षाविद् (educationist) अथवा संस्कृत या इंडोलाजी (Indology) कुलपति के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा ;

(२) कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो।

(३) कुलपति के पद की आकस्मिक रिक्ति में उसके पद के कर्त्तव्यों का संपादन, उस पद की पूर्ति किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे ;

(४) कुलपति अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा संसद का सभापति (President) होगा और वह, उपस्थित रहने पर, संसद के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह (Convocation) का सभापतित्व करेगा ;

(५) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं ;

उपकुलपति

११—(१) उप-कुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति यदि वह उचित समझे इन नामों को अपनी आलोचनाओं (observations) के साथ समिति को वापस भेज सकता है तथा और नाम मंगवा सकता है और सब समिति उन नामों में ऐसे परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों को फिर भेज सकेगी।

(२) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिसमें से एक-एक व्यक्ति कार्यकारिणी सभा, शिक्षा सभा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह उचित समझे, कुलपति को उप-कुलपति की नियुक्ति के लिये तीन व्यक्तियों से अन्यून (not less than) नामों की सिफारिश करेगी जो संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान की अच्छी विद्वता रखते हों ;

(३) उपधारा (२) के अधीन सिफारिश किये गये नामों के साथ साथ समिति कुलपति को एक ऐसा संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी जिसमें उसके द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यतायें तथा अन्य विशिष्टतायें (distinctions) दिखायी गयी हों ;

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी (Whole-time officer) होगा। उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिये सज्जित आवासित भवन (furnished residence) की भी व्यवस्था की जायेगी। उप कुलपति के सेवा की अन्य शर्तें नियत की जायंगी और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(५) उप-कुलपति पांच वर्ष के लिये पदासीन रहेगा और उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो ;

(६) उप-कुलपति किसी भी समय, कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि त्याग-पत्र, उस दिनांक से जब से वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले भेजना चाहिये ।

(७) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय

या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्त एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति उसे उस रीति से भरेगा जिसकी उपधारा (१) में व्यवस्था की गयी है। अन्य दशाओं में कार्यकारिणी सभा, कुलपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, या तो उप-कुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे।

(८) जब तक कि उपधारा (१) या (७) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक प्रस्तोता उप कुलपति के पद के साम्प्रतिक (current) कर्त्तव्यों का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य।

१२—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में संसद के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा ;

(२) उप-कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करले कि अधिनयम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३७ के अधीन उप-कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों ;

(३) उप-कुलपति को संसद, कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकता है ।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और उनमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(५) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और जहां कहीं आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है। यदि उप कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार—

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emcluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे, उसकी जांच करेगा।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उप-कुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी सभा को

प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उप-कुलपति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली सिपारिशों के संबंध में कोई मतभेद हो, तो सिपारिशें बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायंगी। कार्यकारिणी सभा प्रतिवेदन (report) में की गयी सिपारिशों के अनुसार--यदि वह उनसे असहमत नहीं है- आज्ञा देगी। असहमत मत होने की दशा में कार्यकारिणी सभा अपनी सिपारिशों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेगा जिसे वह उचित और आवश्यक समझे ;

(७) किसी ऐसे आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ;

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, १५ दिन के भीतर कार्यकारिणी सभा के समक्ष अपील कर सकता है ;

(९) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी सभा द्वारा दी गयी आज्ञाओं को, पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा ;

(१०) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

कोषाध्यक्ष

१३--(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :--

(क) कार्यकारिणी सभा यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी ।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी सभा में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो सभा इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी ; किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो सभा इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा चुनेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी सभा द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

(२) कोषाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपने पद का कार्यभार संभाल न लें। यदि कोषाध्यक्ष अपने कार्य काल की समाप्ति के पहले ही पद त्याग करना चाहे तो वह उस दिनांक से जिस पर वह कार्य-भार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले कुलपति के पास अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(३) कोषाध्यक्ष की पदावधि की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा नियत की जायंगी, जिनमें उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(४) यदि कोषाध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय या यदि किसी अप्रत्याशित (unforeseen) कारण से उक्त पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाय तो प्रस्तोता उक्त पद के सांप्रतिक (current) कर्त्तव्यों का संपादन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि कोई नियुक्ति न हो जाय। यदि रिक्ति छः मास से कम की हो या उसके छः मास से कम की होने की संभावना हो, तो कार्यकारिणी सभा कुलपति द्वारा पुष्टीकरण के अधीन रहते हुये, स्थानापन्न नियुक्ति (Officiating appointment) कर सकेगी। यदि रिक्त स्थायी हो या उनके छः मास से अधिक की अवधि के लिये होने की संभावना हो, तो नियुक्ति उपधारा (१) में उल्लिखित रीति से की जायगी।

(५) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी सभा का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा लगायी हुई धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देगा। वह बजट तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा--

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (धन लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में) कोई ऐसा व्यय न किया जाये जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबंधों का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो किन्तु की न गई हो।

प्रस्तोता।

१४--(१) प्रस्तोता विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और परिनियमों में उल्लिखित रीति से संगठित निर्धारण समिति की सिपारिश पर कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) प्रस्तोता की उपलब्धियां (emoluments) अध्यादेशों द्वारा नियत की जायंगी।

(३) प्रस्तोता विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह संसद, कार्यकारिणी सभा, शिक्षा सभा, निर्धारण समितियों तथा परामर्श समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्यसंपादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं अथवा समय समय पर कार्यकारिणी सभा अथवा उप-कुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संसक्त समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रस्तोता को विश्वविद्यालय में या अन्यत्र किये गये किसी कार्य के लिये ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

ग्रन्थाध्यक्ष। १५—ग्रन्थाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संस्कृत तथा अन्य संबद्ध विषयों की ग्रंथ सूची (bibliography) रखे।

पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य। १६—विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, उस दशा के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गई हो, नियमों और अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी। १७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(१) संसद (Senate)।
(२) कार्यकारिणी सभा (Executive Council)।
(३) शिक्षा सभा (Academic Council)।
(४) परामर्श सभा (Committee of Reference)।
(५) निर्धारण समिति (Selection Committee)।
(६) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

१८—(१) संसद निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

प्रथम श्रेणी-पदेन सदस्य (ex-officio members)

(१) कुलपति।
(२) उपकुलपति।
(३) कोषाध्यक्ष।
(४) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री।
(५) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश।
(६) उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक।
(७) प्रस्तोता।
(८) ग्रंथाध्यक्ष।
(९) कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के सदस्य जो अन्यथा संसद के सदस्य न हों।
(१०) विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों (Departments of Teaching) के समस्त अध्यक्ष (Heads)।

नत्थियां

(११) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण विभागों के अध्यक्ष।

(१२) ऐसे अन्य व्यक्ति, उन पदों के संबंध में जिन पर वे आसीन हों, जो नियत किये जायं।

द्वितीय श्रेणी—आजीवन सदस्य (life members)

(१२-क) बनारस के महाराजा अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति।

(१३) ऐसे व्यक्ति, जिनकी संख्या किसी भी समय पांच से अधिक न होगी, जिन्हें संस्कृत के विद्वान होने के नाते अथवा संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के कारण, कुलपति, संसद की सिफारिश से, नियुक्त करे।

(१४) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजन के लिये २५,००० रुपये से अन्यून मूल्य के दान (donations) किये हों।

तृतीय श्रेणी—अन्य सदस्य

(१५) राज्य विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य।

(१६) राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य।

(१७) पंजीकृत स्नातकों (Registered Graduates) के ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास आचार्य से कम की उपाधि न हो।

(१८) ऐसे संगठनों (associations), व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की ऐसी संस्थाओं द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि जो नियत की जाय दान (donations) अथवा वार्षिक चन्दों (annual subscriptions) के रूप में देती हों, की जाय।

(१९) उपर्युक्त संख्या (१४) तथा (१८) में निर्दिष्ट दान दाताओं (donors) से भिन्न दान दाताओं (donors) के प्रतिनिधि।

(२०) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी के सदस्यों में सम्मिलित अध्यापकों से भिन्न) तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कार्य संचालकों (functionaries) के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

(२१) संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखने वाली ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

(२२) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले सात से अनधिक सदस्य, जिनमें से चार सम्बद्ध कालेजों (affiliated colleges) के अध्यापक अथवा उनके प्रबन्धकों के सदस्य (members of the managements) होंगे।

(२) सदस्यों की कुल संख्या पदेन सदस्यों (ex officio members) को सम्मिलित तथा आजीवन सदस्यों को अपवर्जित करके—१०० से अधिक न होगी।

(३) उपधारा (१) की मद (items) (१७) से लेकर (२१) तक में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति निर्वाचन तथा नाम निर्देशन की रीति और उनका कार्यकाल, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित रीति को छोड़कर वही होगा जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय।

(४) संसद पदेन अथवा आजीवन सदस्यों से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है जो बिना पर्याप्त कारण के लगातार उसके तीन अधिवेशनों (meetings) में अनुपस्थित रहा हो।

संसद का अधिवेशन।

१९--(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप कुलपति निश्चित करेगा, संसद का एक अधिवेशन होगा, जो संसद का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उपकुलपति जब भी उचित समझे संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर संसद के ४० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह ऐसा अवश्य करेगा।

संसद के अधिकार और कर्त्तव्य।

२०--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संसद निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्

(क) परिनियम (Statutes) बनाना ;

(ख) अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना।

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report) वार्षिक लेखा, बजट तथा विश्वविद्यालय से संसक्त सामान्य नीति संबंधी किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना ;

(२) संसद ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जायं अथवा उस पर आरोपित (imposed) किये जायं।

कार्यकारिणी सभा।

२१--कार्यकारिणी सभा विश्वविद्यालय की कार्यपालिका संस्था (executive body) होगी इसका संगठन तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि परिनियमों (Statutes) द्वारा निश्चित की जायंगी।

कार्यकारिणी सभा के अधिकार और कर्त्तव्य।

२२--(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी सभा के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति, धर्मस्वों (endowments) तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके विषय में सामान्य आदेश (general directives) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों (assets and funds) के समुचित लेखे (accounts) रखना;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administer);

(ङ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(च) संबद्ध परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप (fellowships), छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्र वृत्तियां (bursaries) पदक (medals) तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन;

(झ) संबद्ध कालेजों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन;

(ट) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से तथा शर्तों के अनुसार कालेजों को संबद्ध करने की स्वीकृति देना अथवा ऐसी सम्बद्धता (affiliature) को वापस लेना;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine);

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा दिये गये अथवा आरोपित किये गये हों ।

(२) कार्यकारिणी सभा विश्वविद्यालय के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(३) कार्यकारिणी सभा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्तक (recurring and non-recurring) व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय न करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों ।

(४) शिक्षा सभा के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी सभा अध्यापकों की संख्या योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

(५) कार्यकारिणी सभा संसद् के संकल्पों पर यथोचित् विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना संसद् को देगी । यदि किसी दशा में कार्यकारिणी सभा किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह संसद् को उसके कारणों के संबंध में सूचित करेगी ।

शिक्षा सभा ।

२३—(१) शिक्षा सभा विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (academic body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों

के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये गये हों उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (all academic matters) पर कार्यकारिणी सभा को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(२) शिक्षा सभा का संगठन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्य-काल परिनियमों द्वारा नियत किया जायगा ।

परामर्श समिति ।

२४—(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

(१) उपकुलपति,

(२) कोषाध्यक्ष,

(३) संसद के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी सभा के सदस्य अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज (affiliated college) अथवा छात्रावास के कर्मचारी (employees) न हों तथा जिन्हें संसद एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करे,

(४) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति ।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति तथा प्रस्तोता सचिव होगा ।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं ।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से (जो अभिलिखित किया जायगा) वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो ।

शिक्षण-पाठ्यक्रम विभाग तथा पाठ्यक्रमों की समितियां ।

२५—(१) विश्वविद्यालय शिक्षण के ऐसे विषयों के पाठ्य-क्रम नियत करेगा तथा उनमें परीक्षायें लेगा जो अध्यादेशों में उल्लिखित हों ।

(२) विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण विभाग होंगे । परिनियमों तथा अध्यादेशों में क्रमशः शिक्षण विभागों के नाम तथा प्रत्येक विभाग के लिये निर्धारित अध्ययन के विषय या विषयों का उल्लेख होगा ।

(३) विभाग के अध्यक्षों (Heads) की नियुक्ति की रीति, उनके कर्त्तव्य अधिकार तथा कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी ।

(४) अध्ययन के एक या एकाधिक विषयों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण समितियां (committees of courses and studies) स्थापित की जायंगी। समितियों के संगठन की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी ।

२६—(१) विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबन्धों की देख रेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिये एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा। छात्र—कल्याण परिषद्।

(२) परिषद् के संगठन (eonstitution) तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(३) छात्राध्यक्ष परिषद् का सभापति (Chairman) होगा।

२७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषत. निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जायगी— परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका अपने पद पर बना रहना, तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त अधिकारियों से सम्बद्ध अन्य सभी विषय;

(ग) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वेधशालाओं, संस्थाओं तथा छात्रावासों का स्थापन एवं संधारण (institution and maintenance);

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation), भरती की रीति, अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी भरती की रीति;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि (provident fund) का संगठन तथा बीमा योजना की स्थापना;

(छ) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापन;

(ज) सम्मान उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(ञ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज सम्बद्ध (affiliated) किये जा सकते हैं अथवा अध्यापकों को अभिज्ञात किया जा सकता है, अथवा उक्त सम्बद्धता (affiliation) या अभिज्ञा (recognition) को वापस लिया जा सकता है ;

(ट) पंजीकृत स्नातकों की पंजी का रखा जाना ;

(ठ) दीक्षान्त समारोह (convocation) का आयोजन ;

(ड) फेलोशिप, छात्र वृतियों निर्धन-छात्र वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों का स्थापन, तथा

(ढ) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो।

संविधियों का बनाया जाना।

२८—(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे तथा उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक रखा जायगा, और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन प्रभावशील होगी जो विधान मंडल उनमें करे।

(२) परिनियम, आगे दी हुयी रीति से संसद द्वारा निर्मित परिनियमों द्वारा संशोधित, निरस्त (repealed) अथवा परिवर्द्धित किये जा सकते हैं,

(३) संसद स्वतः किसी परिनियम के पांडुलेख पर विचार कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) ऐसे परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर पड़ता हो, परिनियम का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और यदि राज्य सरकार उस पर आपत्ति करे तो वह परिनियम संविधि नहीं बनाया जायगा, तथा

(ख) ऐसे परिनियम को दशा में जिसका प्रभाव किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा बोर्ड के अधिकारों या कर्त्तव्यों पर पड़ता हो, संसद् कार्यकारिणी सभा के मत तथा संबद्ध व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिवेदन (report) पर विचार करेगा ।

(४) कार्यकारिणी सभा संसद द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी परिनियम का पांडुलेख संसद् को प्रस्तावित कर सकती है । संसद अपने अगले अधिवेशन में ऐसे पांडुलेख पर विचार करेगी । संसद ऐसे पांडुलेख अनुमोदित कर सकती है, और परिनियम को पारित कर सकती है, अथवा उसे अस्वीकृत कर सकती है या कार्यकारिणी सभा को पुनः विचार के लिये पूरे पांडुलेख को या उसके किसी भाग को, ऐसे संशोधनों के साथ जिनका संसद् सुझाव दे, वापस कर सकती है । संसद् द्वारा सुझाये गये (suggested) संशोधनों सहित इस प्रकार वापस किये गये पांडुलेख पर कार्यकारिणी सभा द्वारा और अधिक विचार कर लिये जाने पर उसे कार्यकारिणी सभा के प्रतिवेदन के साथ संसद के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायगा । तब संसद् उस पांडुलेख पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

(५) यदि कोई परिनियम संसद् द्वारा पारित किया गया हो अथवा परिनियम का पांडुलेख संसद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा । कुलपति परिनियम अथवा पांडुलेख को और अधिक विचार के लिये संसद् के पास वापस भेज सकता है या यदि संसद् उस परिनियम को पुनः पारित कर दे तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति रोक सकता है ।

(६) संसद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस समय तक वैध न होगा जब तक उस पर कुलपति अपनी स्वीकृति न दे दे ।

(७) कार्यकारिणी सभा के किसी ऐसे परिनियम की पांडुलिपि अथवा परिनियम के संशोधन की पांडुलिपि का प्रस्ताव, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय और व्यय पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक कि उसका पांडुलेख

राज्य सरकार को प्रस्तुत न किया जा चुका हो, और राज्य सरकार ने उस पर अपनी सहमति न दे दी हो, अथवा ऐसे परिनियम के पांडुलेख का प्रस्ताव जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की स्थिति (status) अधिकार अथवा संगठन (constitution) पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक उक्त प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर ऐसे प्राधिकारी को न दे दिया जाय। इस प्रकार प्रकट की हुई राय लिखित रूप में होगी, उस पर संसद् विचार करेगी तथा वह कुलपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्यादेश

२९—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुमति इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की, जिसके लिये कार्यकारिणी सभा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolments) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन उपाधि (degree) डिप्लोमा तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे इस बात के पात्र समझे जायेंगे कि उन्हें उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान किये जा सकें;

(घ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों में आवास के लिये शुल्कों का लगाया जाना;

(ङ) विद्यार्थियों के लिये ऐसे छात्रावासों तथा अन्य आवासिक स्थानों की अभिज्ञा (recognition) जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हतायें (qualifications) उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत निवृत्ति की वय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार किया जाना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके।

(ज) विश्वविद्यालय में शिक्षण-विभागों का खोला जाना तथा उनके लिये अध्ययन के विषय निर्धारित किया जाना;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderaters) की नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को जायंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति (scholarships), विद्यार्थी वृत्ति (studentships) निर्धन-छात्र वृत्ति, पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनको इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय ।

अध्यादेश कैसे बनाये जायंगे ।

३०—(१) सिवाय उस दशा के जब इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, अध्यादेश कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे सभा निर्दिष्ट करे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडु लेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो ;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये पाठ्यक्रम या परीक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित अर्हताओं को निर्धारित करे या उन पर प्रभाव डाले, या जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की रीति या उनके कर्तव्यों पर अथवा किसी परीक्षा के संचालन अथवा स्तर (standard) पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख शिक्षा सभा ने प्रस्तावित या पहले ही अनुमोदित न किया हो;

(२) कार्यकारिणी सभा को शिक्षा सभा द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार न होगा किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी सभा सुझाव दे, शिक्षा सभा के पास पुनर्विचार के लिये लौटा सकती है ।

(३) कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश यथासंभव शीघ्र, कुलपति और संसद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और संसद् उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगी। संसद् को संकल्प द्वारा जो उक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से शून्य (void) हो जायगा ।

(४) कुलपति संसद् द्वारा, किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय संसद् तथा कार्यकारिणी सभा को यह सूचना दे सकता है कि उसने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और प्रस्तोता द्वारा उक्त अनुज्ञा

के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायगा ।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्त्तन (operation) उस समय तक निलम्बित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय । इस उपधारा के अधीन निलम्बन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या संसद् द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायगी ।

(६) यदि कार्यकारिणी सभा ने शिक्षा सभा द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो कार्यकारिणी सभा संसद् के समक्ष अपील कर सकती है और संसद् कार्यकारिणी सभा के विचार प्राप्त करने के पश्चात् यदि वह पांडुलेख को अनुमोदित करे, अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकती है । यदि कुलपति अध्यादेश पर अनुमति देता है तो प्रस्तोता को ऐसी अनुमति प्राप्त होने के दिनांक से वह अध्यादेश प्रभावी हो जायगा ।

३१—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी तथा परिषद इस अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (Regulations) बना सकती है, जिनमें— विनियम

(क) उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जायगी;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जायगी, जो इन अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा नियत किये जाने वाले हों; और

(ग) किसी अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था की जायगी जो केवल उक्त प्राधिकारी या परिषद् से सम्बन्ध रखता हो और जिसके लिये इस अधिनियम, परिनियमों, अथवा अध्यादेशों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो ।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा, जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का, जिन पर अधिवेशन होंगे, और उस कार्य का जिस पर अधिवेशन में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अधिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी ।

(३) कार्यकारिणी सभा, संसद् से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम को उस रीति से संशोधित किये जाने का आदेश दे सकती है जिसे वह निर्दिष्ट करे अथवा उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्राधिकारी या परिषद् जो उक्त किसी आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकती है और इस विषय में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा ।

(४) कार्यकारिणी सभा विनियम बनायेगी, जिनमें विश्वविद्यालय की विभिन्न परिक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे किन्तु कोई ऐसा विनियम तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि शिक्षा सभा ने उसके पांडुलेख

को प्रस्तावित या पहले से अनुमोदित न कर लिया हो। कार्यकारिणी सभा शिक्षा सभा से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती। किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या अपने सुझावों सहित उसे शिक्षा सभा को और अधिक विचार करने के लिये लौटा सकती है।

(५) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कोई विनियम नहीं बनाया जायगा, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था की जाने वाली है।

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

३२—(१) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने का पात्र न होगा जब तक कि उसने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा या ऐसी परीक्षा पास न कर ली हो, जिसे विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उस मध्यमा परीक्षा के समकक्ष स्थापित या अभिज्ञात कर लिया हो और वह ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें (यदि कोई हों) न रखता हो जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, जो किसी उपाधि के निमित्त पाठ्यक्रम अपनाने के लिये विश्वविद्यालय में नामांकित (enrolled) हुआ हो, जब तक उपकुलपति द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो, छात्रावास में या छात्रों के रहने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात किसी अन्य आवास में रहेगा।

परीक्षाएं

३३—(१) परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी सभा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में सामान्य आदेश (directions) जारी कर सकती है तथा वह उसके लिये परीक्षक तथा अन्य कार्य संचालक (functionaries) नियुक्त करेगी।

(२) यदि कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त कोई परीक्षक किसी कारण से उक्त कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति ऐसी रिक्ति को भरेगा।

(३) विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के निमित्त अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त किये गये परीक्षकों की यथासम्भव लगभग आधी संख्या उन व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी कालेज की सेवा में न हों।

३४—(१) कार्यकारिणी सभा प्रति वर्ष विश्वविद्यालय के कार्य संचालन का एक प्रतिवेदन (report) तैयार करवायेगी जिसमें नियत किये जाने वाले अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित के सम्बन्ध में भी सूचना दी जायगी—

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रमों को लेने के लिये विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालेजों में उस वर्ष भर्ती किये गये छात्रों की संख्या;

(ख) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों (candidates) की संख्या और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या; और

(ग) छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुशासन से सामान्यतः सम्बद्ध कार्यवाहियां।

(२) उस दिनांक को या उसके पूर्व जो नियत किया जाय संसद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत किया जायगा और तत्पश्चात् संसद् अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। उसके संबंध में संसद् जो भी संकल्प पारित करेगी वह कार्यकारिणी सभा को भेज दिया जायगा और कार्यकारिणी सभा, जब तक वह संसद् को अन्यथा सूचित न करे, उसमें वांछित कार्यवाही करेगी ।

(३) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि और संसद् का संकल्प यदि कोई हो, तथा उस पर कार्यकारिणी सभा का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

वार्षिक लेखे और बजट ।

३५—(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (annual accounts) और आय-व्यय का विवरण (balance-sheet) कार्यकारिणी सभा के आदेश (direction) के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्व-विद्यालय को प्राप्य (accruing) या प्राप्त हुयी समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायेंगी ।

(२) लेखे और आय-व्यय के विवरण की एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि (high standing) के लेखा परीक्षकों (auditors) द्वारा उसकी लेखा परीक्षा करायेगी ।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी सभा द्वारा संसद् और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी ।

(४) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये (in violation of) कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की भरपाई (reimburse) करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी ।

(५) कार्यकारिणी सभा ३१ अगस्त या किसी अन्य दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष के वित्तीय अनुमानों (financial estimates) को भी जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है, तैयार करेगी ।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो परिनियमों द्वारा नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे बजट में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी सभा द्वारा परामर्श समिति को अभिदिष्ट (referred) की जायगी, जो उसके संबंध में अपनी सिपारिशें कर सकेगी ।

(७) परामर्श समिति की सिपारिशों पर (यदि कोई हों) विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी सभा बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन सिपारिशों सहित संसद् को प्रस्तुत करेगी ।

(८) वार्षिक लेखे और बजट पर संसद् अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और इसके संबंध में संसद् संकल्प पारित कर सकेगी और उसकी सूचना कार्यकारिणी सभा को दे सकेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के संबंध में कार्यकारिणी सभा और परामर्श समिति में मतभेद हो, तो उसके संबंध में संसद् का निर्णय अंतिम होगा ।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी सभा के लिये यह बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना ।

३६—(१) संसद्, कार्यकारिणी सभा के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की सिपारिश पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातक पंजी (register of graduates) में से हटा सकती है ।

(२) संसद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या परिषद् की सदस्यता से किसी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष (convicted) हुआ है जो संसद् के मतानुसार नैतिक पतन (moral turpitude) संबंधी कोई गंभीर अपराध है या वह अपवादजनक आचरण (scandalous conduct) का दोषी है अथवा उसने किसी ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है । संसद् इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय या संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स बनारस के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र भी वापस ले सकती है ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के संगठन के संबंध में विवाद ।

३७—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य संस्था का यथावत् सदस्य निर्वाचित, नियुक्त अथवा अनुमेलित (co-opted) हुआ है या नहीं, या वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय का अथवा उसके किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ।

३८—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी (authority) अथवा अन्य संस्था के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) के पदों के संबंध में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सुविधानुसार यथासंभव शीघ्र उस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ है नियुक्त निर्वाचित अथवा अनेमेलित किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या अनुमेलित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा संस्था का उस कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य बना रहेगा, जिसके लिये पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता ।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का किसी अन्य संस्था के, चाहे वह विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहर की, प्रतिनिधि

के रुप में सदस्य हो तब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के पद पर बना रहेगा, जब तक वह उस संस्था का सदस्य रहे, जिसके द्वारा वह नियुक्त अथवा निर्वाचित किया गया था और तत्पश्चात् उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथावत् नियुक्त न हो जाये ।

कुछ दशाओं में विश्वविद्यालय की संस्थाओं की कार्यवाहियों का अवैध न किया जाना ।

३९—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य संस्था का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसी कारण से अवैध न होगी कि उसके सदस्यों के स्थानों में कोई रिक्ति थी या इस कारण से भी अवैध न होगी कि कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया था जिसके संबंध में बाद में यह पता चला कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था ।

अध्यापक

४०—(१) विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कालेजों के अध्यापक नियत किये जाने वाली रीति से नियुक्त किये जायेंगे, तथा नियत की जाने वाली रीति से तथा शर्तों पर पदासीन रहेंगे । विश्वविद्यालय अध्यापकों को परिनियमों में उल्लिखित रीति से अभिज्ञात करेगा ।

पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें ।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दे दी जायगी ।

(३) विश्वविद्यालय तथा उसके किसी अधिकारी अथवा अध्यापक के बीच किये गये संविदे के संबंध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, संबद्ध अध्यापक अथवा अधिकारी की प्रार्थना पर अथवा विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ, न्यायाधिकरण (tribunal of Arbitration) को अभिदिष्ट किया जायगा, जो कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक निर्णता (umpire) से मिलकर बना होगा और ऐसे न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि ।

४१—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग (clerical staff) तथा सेवकों के लाभ के लिये ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति-वेतन (pension), बीमे तथा भविष्य निधि (provident fund) का संगठन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(२) यदि उक्त किसी योजना अथवा भविष्य निधि का पूर्वोक्त प्रकार से संगठन किया गया हो अथवा यदि उस योजना अथवा भविष्य निधि का संगठन किसी सम्बद्ध कालेज ने, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन, किया हो तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५, के उपबन्ध ऐसी निधि पर उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि (provident fund) हो ।

सम्बद्ध कालेज

४२—(१) सम्बद्ध कालेज वे होंगे जिनके नामों का उल्लेख परिनियमों में किया जाय ।

(२) किसी सम्बद्ध कालेज के लिये यह वैध होगा कि वह उसी स्थान में स्थित अन्य किसी सम्बद्ध कालेज अथवा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण-कार्य में सहयोग करने का प्रबन्ध कर ले ।

(३) किसी सम्बद्ध कालेज की सम्बद्धता (affiliation) की शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं अथवा जो कार्यकारिणी सभा द्वारा आरोपित की जायं ।

(४) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर सम्बद्ध कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों का प्रबन्ध करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये स्वाधीन होंगे तथा उसके संधारण तथा सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे । प्रत्येक ऐसे कालेज का आचार्य (principal) उसमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) किसी संम्बद्ध कालेज का समय समय पर (at intervals) नियत रीति से निरीक्षण किया जायगा तथा उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन कार्यकारिणी सभा को दिया जायगा ।

(६) कार्यकारिणी सभा, राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से किसी संबद्ध कालेज की संबद्धता (affiliation) वापस ले सकती है यदि प्रबन्धकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसको संतोष हो जाय कि कालेज ने अपनी संबद्धता (affiliation) की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने अथवा अपने कार्यों के संबंध में कार्यकारिणी सभा द्वारा बतायी गयी त्रुटियां दूर करने में बराबर चूक करता रहता है ।

सरकारी पदाधिकारियों के प्रति अभिदेश का अर्थ, उनके पद-नाम (Designation) के परिवर्तित होने की दशा में इस प्रकार लगाया जायगा मानों वह अभिदेश तदनुरूप (corresponding) पदाधिकारियों के लिए हों ।

४३—यदि इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी उपबन्ध में किसी सरकारी अधिकारी का अभिदेश (reference) उसके पद-नाम से किया गया हो, तो उस पद नाम के परिवर्तित हो जाने अथवा उस पद के तोड़ दिये जाने की दशा में उक्त अभिदेश का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उक्त अभिदेश परिवर्तित पद-नाम के लिये अथवा यथा स्थिति, ऐसे तदनुरूप (corresponding) अधिकारी के लिये हो, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

४४—इस अधिनियम, नियमों तथा अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस अथवा अगवर्नमेंट संस्कृत कालेज की परीक्षाओं के लिये अभिज्ञात किसी अन्य कालेज के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उक्त संस्कृत कालेज की आचार्य या शास्त्री परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा हो या उनमें बैठने का पात्र हो, उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी और विश्वविद्यालय उक्त परीक्षाओं के निमित्त अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित रही हो ऐसे छात्रों की परीक्षा के लिये व्यवस्था करेगा ।

४५---गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय सहित विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित तथा उसमें विलीन हो जायगा।

प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति।

४६---इस अधिनियम या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिये वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त करे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कुल तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे और वह इस अधिनियम के अधीन उप-कुलपति के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द की प्रथम नियुक्ति।

४७--(१) उस समय जब तक विश्वविद्यालय के एतदर्थ अधिकृत प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जायं और जब तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा अध्यापक नियुक्त न कर लिये हों--

(क) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स का रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का प्रस्तोता होगा;

(ख) सरस्वती भवन पुस्तकालय का लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय का ग्रन्थाध्यक्ष होगा;

(ग) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे; और

(घ) कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष होगा।

कठिनाइयों का निवारण।

४८--राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति या संगठन में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारण के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में (by way of modification, addition or omission) जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावी होगा और वह ऐसी किसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अठारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

इस प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। तीन वर्ष पूर्व बनारस में हुये संस्कृत-विश्व-परिषद् के प्रथम अधिवेशन में इसके लिये आवाज उठाई गई थी, तथा अभी हाल ही में लखनऊ में हुये उसके द्वितीय अधिवेशन में भी यह आशा व्यक्त की गयी थी कि बनारस में प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय अगले वर्ष जुलाई से अपना कार्यारम्भ कर देगा।

हमारे राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राजभाषा हिन्दी की जननी, दोनों ही रूपों में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है। देश की राष्ट्रभाषा होने के नाते हिन्दी को अनेकानेक नये प्रयोजनों की पूर्ति करनी है। फलतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दी को अपना शब्द भांडार भरने के निमित्त बहुत काल तक संस्कृत का आश्रय लेना होगा। संस्कृत के वाङ्मय एवं साहित्य में ज्ञान की अमूल्य रत्न राशियां बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से अधिकांश की तो अभी तक शोध ही नहीं हो पायी है। आधुनिक ढंग पर उनका अनुसंधान होना शेष है। संस्कृत शिक्षा की ओर से लोगों की रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है और इस प्रवृत्ति को रोकना तथा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति सर्वाधिक विश्वविद्यालय द्वारा ही हो सकती है।

संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं में गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस का स्थान प्रमुख रहा है। देश के सभी भागों के अभ्यर्थी इसकी परीक्षाओं में बैठते हैं तथा इसकी उपाधियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सरकार का विचार है कि इसके स्तर को ऊंचा उठाकर इसे एक शिक्षक तथा संबद्धक (affiliating) विश्वविद्यालय बना दिया जाय, जिसे अपने कार्यों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें नियोजित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहे। विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके कुलपति तथा उपकुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों, जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परानुगत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके।

अतएव वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

हरगोविंद सिंह,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

१—(१) यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा :

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ के प्रीऐम्बुल का संशोधन।

२—यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रीएम्बुल में—

(क) शब्द "medicine" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द " and to control the sale of medicinal herbs and drugs " निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ में कुछ शब्दों को स्थानापन्न रूप में रखना (Substitution)

३—मूल अधिनियम में :—

(क) लम्बे शीर्षक में, प्रीऐम्बुल में अथवा धारा १ और ४ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा में, जहां जहां भी शब्द " Indian medicine " अथवा "Indian systems of medicine" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" रख दिये जायं;

(ख) शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं;

(ग) जहां कहीं भी शब्द "Chairman" आया है उसके स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय ; और

(घ) जहां कहीं भी शब्द "Surgeon" "Surgeons" "mid-wife" या "Mid-wives" आये हैं उन्हें निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २ में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (iii-*a*) तथा (iii-*b*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(iii-*a*) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

"(iii-*b*) "Faulty" means "Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" constituted under section 36-A:

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President)— Constitution of the Board.

(i) a President to be nominated by the State Government;

(ii) five members to be nominated by the State Government;

(iii) one member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine ;

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board ;

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board; and

(vi) nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims, respectively, of Uttar Pradesh.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १० का संशोधन :

६—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १२ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"12. (1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Board. Resignation of a member of President.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation, when accepted, shall be published in the Official *Gazette* and shall take effect from the date notified therein."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय। — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १८ का संशोधन।

"18. The quorum of the Board shall be 8 members, but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Quorum for a meeting of the Board.

Provided that at an adjourned meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum may be transacted if not less than five members are present."

११—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २१ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) से शब्द "not exceeding the allowances payable to the members of the State Legislature" निकाल दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और "Vaidyas" शब्द के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय। — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २५ का संशोधन।

१४—वर्तमान धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २७ का संशोधन।

27. (1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be prescribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the Register. When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

Persons entitled to be registered.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the Register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

(3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(4) The Board may, on it own motion or on the application of any person, cancel or alter any entry in the Register or order any entry in the Register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained, or an application was wrongly refused."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २८ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा २८ के खंड (*a*) में शब्द "medicine, surgery or mid-wifery or" के स्थान पर शब्द "Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३० का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और शब्द "Vaidyas" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "With fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३६ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Powers and duties of the Board.

36. The Board shall have the following powers and duties, namely,—

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine including research and post-graduate education;

(2) to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational institutions of the State on the recommendations of the Faculty;

(3) to publish the results of the examinations conducted by the Faculty;

(4) to grant degrees or diplomas to candidates who are successful at the Board's examination;

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Board's examinations;

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties ;

(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Education as may be consistent with the provisions of the Act; and

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act."

१९—मूल अधिनियम की धारा ३६ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 36-A, 36-B तथा 36-C के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ में नयी धारायें 36-A, 36-B तथा 36-C का बढ़ाया जाना।

"Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine

36-A. (1) For the proper discharge of its duties the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine and functions as a teaching and examining body in the Board shall apoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following—

(i) the President of the Board who shall be *ex officio* Chairman of the Faculty; and

(ii) members of the Board elected under clause (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty.

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than three members for a specified duration and a specific purpose.

(3) The Faculty shall elect a Vice-Chairman from amongst its members.

(4) A person shall cease to be member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board.

"Powers and duties of the Faculty.

36-B. The Faculty shall have the following powers and duties :

(*a*) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in educational institutions affiliated to the Board;

(*b*) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board;

(*c*) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;

(*d*) to appoint examiners;

(*e*) to cause inspections of affiliated institutions of the Board; and

(*f*) to make recommendations to the Board for the affiliation or recognition or for suspension or withdrawal of recognition or affiliation of Ayurvedic and Unani Institutions.

"Disagreement between the Faculty and the Board.

36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to Ayurvedic or Unani Education a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३७ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

(१) शब्द "may" और "frame" के बीच शब्द "after previous publication" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त के "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय; और तत्पश्चात द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"Provided further that no regulation shall be framed under any of the clauses (*a*) to (*g*) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty."

(३) उपधारा (३) में शब्द "*Gazette*" के बाद शब्द "and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government" बढ़ा दिये जायं; तथा

(४) उपधारा (४) में शब्द "cancel" के स्थान पर शब्द "cancel or modify" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३८ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा ३८ के शब्द "and licensing of firms for sale of Indian drugs" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५३ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "Part III" के स्थान पर शब्द "Part III or any section therein" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५४ का निकाला जाना।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५४ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५५ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५५ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "to practice" के स्थान पर शब्द "in or otherwise entitled to practice" रख दिये जायं; तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "With fine which may extend to five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment not exceeding six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both" तथा शब्द "with fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर "with imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

२५—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची का अनुच्छेद ४ निकाल दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की अनुसूची का संशोधन।

२६—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व कार्यरत (functioning) बोर्ड मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा ५ के अधीन कोई बोर्ड विधिवत् संगठित नहीं हो जाता, तथा ऐसा बोर्ड इस बात के होते हुए भी कि मूल अधिनियम के अधीन इसका कार्यकाल अन्यथा समाप्त हो गया है, तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार नया बोर्ड संगठित नहीं हो जाता। अस्थायी तथा अन्तःकालीन उपबन्ध।

(२) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों, मुख्यतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से उक्त ऐक्ट के, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्धों में संक्रमण के बारे में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आज्ञा द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल ऐक्ट, जैसा कि वह पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार संशोधित हुआ है, ऐसे परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा लोपों (modifications, additions or omissions) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, ६ महीनों तक की कालावधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायगी, प्रभावी होगा।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट सन् १९३९ ई० में विधायित हुआ था। सन् १९४७ ई० में राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के सम्बन्ध में सिफारिशें देने के निमित्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति पुनस्संगठन समिति की नियुक्ति की थी। विगत कुछ वर्षों में उक्त ऐक्ट की कार्यान्विति तथा उक्त समिति द्वारा की गयी कतिपय सिफारिशों से यह पता चला कि ऐक्ट में विशेषतः बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के संगठन के सम्बन्ध में कुछ संशोधन करने आवश्यक हैं। चिकित्सा की दोनों पद्धतियों को संगठित करने की दृष्टि से एक फैकल्टी की, जिसे पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षायें आयोजित करने के अधिकार हों, आवश्यकता का अनुभव हुआ है। फलतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाली संस्थाओं के श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था करने का

विधेयक

प्रस्तावना

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाले अनाथालयों तथा अन्य संस्थाओं का श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा उन संस्थाओं में रहने वालों की समुचित अभिरक्षा (custody) और देख-रेख और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—(१) विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित प्रशासकीय बोर्ड (Aministrative Board) से है;

(२) "बालक" (child) का तात्पर्य किसी ऐसे लड़के से अथवा लड़की से है जिसने १८ वर्ष की वय न प्राप्त की हो;

(३) "उपयुक्त व्यक्ति" (fit person) के अन्तर्गत कोई संस्था, संगठन (association) अथवा व्यक्तियों के ऐसे समुदाय (body of individuals) जो चाहे वे निगमित (incorporated) हुये हों या न हुये हों, महिलाओं अथवा बालकों को ग्रहण करने (reception) अथवा उनकी सुरक्षा करने अथवा बालकों के प्रति निर्दयता (cruelty) का, अथवा महिलाओं को अनैतिक प्रयोजनों के लिये शोषित करने (exploitation) का व्यवहार रोकने के लिये अथवा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित किये गये हों तथा जो उनकी देख-रेख (care) में सौंपी गयी किसी महिला अथवा बालक को उसके धर्म के अनुसार

प्रशिक्षण देने और उसका पुनर्वास या पालन-पोषण करने, अथवा उसे प्रशिक्षण या पुनर्वास या पालन-पोषण की सुविधायें देने का भार ग्रहण करें;

(४) "संस्था", इसे चाहे जो भी नाम दिया जाय, का तात्पर्य अनाथालय, विधवाश्रम, निरीक्षण-गृह (Vigilence Home), उद्धार-गृह (Rescue Home), विवाह कार्यालय (Marriage Bureau) से है, तथा इसके अन्तर्गत इसी प्रकार की कोई ऐसी संस्था, शरणस्थल अथवा स्थान या संगठन भी है जो देख-रेख के लिये पांच या पांच से अधिक महिलाओं अथवा बालकों को अथवा दोनों को, स्वीकार करे अथवा जो इस प्रकार संगठित अथव प्रशासित हो कि उसकी सेवा वास्तव में संस्थाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप हो (institutional in character) उसमें रहने वालों की संख्या जिनकी देख-रेख की जाय, चाहे कुछ भी हो;

(५) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" (Liscensing Authority) का तात्पर्य किसी जिले के जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) अथवा किसी ऐसे विशेष अधिकारी से है जिसे जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी ओर से अनुज्ञप्त प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया हो;

(६) "अनुज्ञप्त संस्था" (licensed institutions) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी संस्था से है;

(७) "प्रबन्धक" (manager) का तात्पर्य तथा अन्तर्भाव किसी स्वामी तथा ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संस्था की देख-रेख या उसका प्रबन्ध करता हो अथवा एतदर्थ कार्य करता हो। इसमें उस संस्था की प्रबन्धक समिति के सदस्य भी सम्मिलित है;

(८) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(१०) "महिला" का तात्पर्य किसी ऐसी महिला से है जिसकी वय १८ वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

२--इस अधिनियम में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित, परन्तु कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में पारिभाषित शब्दों तथा पदों का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त कोड में किया गया है।

अन्य विधायनों पर प्रभाव।

३--इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी संस्थाओं से, जिनके संबंध में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, संबद्ध अथवा उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके प्रतिकूल, सिवाय उस स्थिति के जबकि वे उपबन्ध स्पष्टरूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त (repeal) होते हों।

अपवाद

४--यह अधिनियम ऐसी किसी संस्था पर, जो राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित (maintained) हो अथवा किसी अभिज्ञात (recognized) शिक्षा संस्था से संलग्न (attached) किसी गृह (home) अथवा छात्रावास पर, प्रवृत्त नहीं होगा।

अध्याय २

प्रशासकीय व्यवस्था

प्रशासकीय बोर्ड।

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार एक प्रशासकीय बोर्ड स्थापित करेगी।

(२) यह बोर्ड एक निगमित संस्था (Body Corporate) होगा जिसे सतत् अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा(common seal) होगी और वह उपर्युक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

बोर्ड का संगठन

६--(१) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:--

(क) एक सभापति (chairman), जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ख) दो सदस्य, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(ग) एक सदस्य, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(घ) दस अन्य सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(ङ) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश (Director of Social Welfare, U. P.) अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति।

(२) खंड (घ) के अधीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हों अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों, जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों और जहां तक संभव हो ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी।

(३) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति बोर्ड का पदेन (*ex officio*) सचिव (Secretary) होगा।

बोर्ड तथा सदस्यों की पदावधि।

७--(१) बोर्ड की पदावधि ५ वर्षों की होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक काल के लिये बढ़ा सकती है;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) अथवा (ग) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य, विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य, जैसी भी दशा हो, नहीं रह जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि तक के लिये ही रहेगा।

(३) कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को संबोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु वह उस समय तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी गजट में विज्ञप्ति न हो जाय।

किसी सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति।

८--यदि कोई सदस्य अपनी अशक्तता (infirmity) के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उसकी नियुक्ति की रिक्ति अन्तर्गस्त न हो, छुट्टी के कारण या अन्य किसी प्रकार से अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति काल में उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

बोर्ड की बैठक

९--बोर्ड की बैठकें ऐसे समय में तथा ऐसे स्थानों पर होंगी और वह अपनी बैठकों में कार्य संपादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया विषयक ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं।

सदस्यों के स्थानों की रिक्तियों अथवा संगठन संबंधी किसी दोष से बोर्ड के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अमान्य न होना।

१०--बोर्ड का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य न समझी जायगी कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन (Constitution) में कोई दोष रह गया था।

उपसमिति की नियुक्ति।

११--ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुये जिन्हें राज्य सरकार जारी करे, बोर्ड--

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजन से एक अथवा एकाधिक समितियों अथवा उप-समितियों को नियुक्ति कर सकता है।

स्थानीय समितियां

१२--धारा ११ के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप-समिति का संगठन और उसके अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य तथा ऐसी समिति अथवा उप-समिति द्वारा उसके कार्य-संपादन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

विशेष प्रयोजनों के लिये बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संबंध (Temporary Association)

१३--(१) बोर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता अथवा परामर्श उसे इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये वांछनीय हों, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, अपने से संबद्ध (associate) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी प्रयोजन के लिये बोर्ड से सम्बद्ध (associated) किसी भी व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत (relevant) चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे बोर्ड की बैठक में मत देने का अधिकार न होगा तथा वह अन्य किसी प्रयोजन के लिये सदस्य न होगा।

बोर्ड के कर्मचारी

१४—उन नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा एतद्‌र्थ बनाये जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन कुशलतापूर्वक अपने कृत्यों का सम्पादन करने अथवा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजन से ऐसे अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और वह उनके कृत्यों तथा सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकता है ।

बोर्ड के अधिकार और कृत्य।

१५—बोर्ड —

(क) संस्थाओं को अनुज्ञप्ति (license) देने और उनका संधारण (maintenance) एवं संचालन करने से संबद्ध विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगा;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रबन्ध से सम्बद्ध सभी विषयों का सामान्यतया निरीक्षण (supervision), संचालन (direction) तथा नियंत्रण (control) करेगा; और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का संपादन तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायं।

राज्य सरकार के अधिकार।

१६—राज्य सरकार बोर्ड को समय-समय पर ऐसे आदेश (direction) जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो तथा बोर्ड और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इन आदेशों का तुरन्त पालन करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

१७—राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड को ऐसी धनराशि दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के संपादन के लिये आवश्यक समझे।

बोर्ड की निधि

१८—(१) बोर्ड की अपनी निजी निधि होगी, उसमें ऐसी समस्त धनराशियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी जायं, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त समस्त दान और चन्दे (donations and subscrptions) तथा बोर्ड की अन्य समस्त प्राप्तियां जमा की जायंगी और बोर्ड द्वारा सभी भुगतान इस निधि से किये जायेंगे ।

(२) बोर्ड ऐसी धनराशियों को व्यय कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिये उचित समझे और ये धनराशियां बोर्ड की निधि में से देय व्यय के रूप में समझी जायंगी।

बजट

१९—(१) बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसे रूप में तथा ऐसे समय, जो नियत किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष का बजट एक तैयार करेगा जिसमें अनुमानित (estimated) प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे ।

(२) बजट राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये नियत रीति से उसको प्रस्तुत किया जायगा और राज्य सरकार उसमें ऐसे परिष्कार कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

वार्षिक रिपोर्ट

२०—बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय में, जो नियत किया जाय, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्वगामी वर्ष के उसके कार्यों का सच्चा और पूरा ब्योरा दिया जायगा। इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भेजी जायंगी।

लेखे और लेखा परीक्षा।

२१--(१) बोर्ड अपने लेखे (accounts) के सम्बन्ध में ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, बहियां (books of accounts) तथा अन्य लेखा पुस्तकें (books) रखवायेगा।

(२) बोर्ड के लेखों (accounts) का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, परीक्षण (audit) किया जायेगा।

विवरणियां

२२--बोर्ड अपनी निधि अथवा कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे विवरण (returns), आंकड़े (statistics), लेखे तथा अन्य सूचनायें देगा जिनको राज्य सरकार समय-समय पर मांगे।

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)।

२३--बोर्ड सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा, जो लिखित रूप में होगी, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं (limitations), यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जांय, के अधीन रहते हुये अपने सभापति (Chairman) अथवा अन्य किसी सदस्य या पदाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कृत्यों का प्रतिनिधान कर सकता है, जिन्हें वह बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के कुशल संचालन के लिये आवश्यक समझे।

अध्याय ३

अनुज्ञप्ति (license) देने की व्यवस्था

संस्थाएं स्थापित करने और उनके संधारण के लिये अनुज्ञप्ति।

२४--धारा ३४ में दी गयी व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था का न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसे स्थापित, संधारित अथवा संचालित करेगा।

अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र।

२५--(१) महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था के निमित्त अनुज्ञप्ति का लिखित प्रार्थना-पत्र उस संस्था के प्रबंधक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को नियत रूप (form) में दिया जायेगा।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र सब तरह से ठीक (in order) है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करायेगा जो नियत की जाय और जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति।

२६--यदि धारा २५ के अधीन की गयी जांच के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि--

(क) अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिये, तो वह नियत रूप में अनुज्ञप्ति देगा;

(ख) अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिये तो वह प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देगा तथा प्रार्थी को तदनुसार सूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील।

२७--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २६ के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह अनुज्ञप्ति के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र की अस्वीकृति आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है।

(२) उक्त अपील पर बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी तथा उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

२८—(१) अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी :

(क) अनुज्ञप्ति (licensed) संस्था का नाम और ठिकाना (location);

(ख) प्रबंधक का नाम;

(ग) संस्था का स्वरूप (nature), संस्था महिलाओं के लिये हैं अथवा बालकों के लिये अथवा दोनों के लिये;

(घ) संस्था द्वारा लिये जाने वाले बालकों या महिलाओं की संख्या; और

(ङ) अन्य कोई शर्तें या विवरण, जो निर्दिष्ट किये जायं।

(२) कोई भी अनुज्ञप्त संस्था, जब तक कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उसे एतदर्थ अधिकृत न किया गया हो, आठ वर्ष से अधिक की वय के विपरीत लिंगीय (of different sex) व्यक्तियों को भर्ती न करेगी।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी भी अनुज्ञप्त संस्था को विपरीत लिंगीय व्यक्तियों को भर्ती करने की सामान्यतया अनुज्ञा न देगा परन्तु वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, जो जनहित के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों, ऐसा कर सकता है।

संस्था के ठिकाने में परिवर्तन।

२९—कोई भी अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट अपने ठिकाने में परिवर्तन नहीं करेगी और न अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी सेवा के सम्पादन में ही कोई परिवर्तन करेगी।

आवधिक प्रमाणन (periodical attestation)।

३०—(१) किसी अनुज्ञप्ति संस्था का प्रबंधक अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष अपनी अनुज्ञप्ति को प्रमाणन तथा पृष्ठांकन (attestation and endorsement) के लिये प्रस्तुत करेगा।

(२) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणित तथा पृष्ठांकित करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी (licensee) को यह आदेश दे सकता है कि वह अनुज्ञप्त संस्था के विगत दो वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में सूचना दे और अनुज्ञप्त संस्था के प्रबंधक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जहां तक उसकी शक्ति में हो, अपेक्षित सूचना दे।

(३) यदि प्रबंधक अपेक्षित सूचना नहीं देता अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हों कि संस्था अथवा उसके प्रबंधक धारा ३१ की उपधारा (१) में उल्लिखित कार्य या कार्यों के लिये उत्तरदायी है तो वह जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा वह अन्यथा निश्चय न करे अनुज्ञप्तिधारी को आदेश देगा कि वह उन कारणों को बताये कि उसकी अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय और तत्पश्चात् धारा ३१ और ३२ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा ३१ के अधीन किया गया कोई अधिग्रहण (requisition) हो।

(४) जब कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उपर्युक्त सूचना नहीं चाहता तो वह अनुज्ञप्ति को प्रमाणित और पृष्ठांकित करेगा परन्तु ऐसा करते समय वह ऐसी नयी शर्तें भी लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी कोई नई शर्त लगाये तो अनुज्ञप्ति तद्नुसार परिष्कृत हो जायेगी।

अनुज्ञप्ति का रद्द करना।

३१—(१) यदि बोर्ड से परामर्श करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समाधान हो जाय कि—

(क) अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है; अथवा

(ख) अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्ध (management) संस्थावासियों के नैतिक और शारीरिक उत्कर्ष के लिये निरन्तर असन्तोषजनक अथवा बाधक रहा है; अथवा

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के मत में अनुज्ञप्त संस्था ने अपने को अन्य किसी प्रकार से अनुपयुक्त कर लिया है, तो वह नोटिस द्वारा अनुज्ञप्त संस्था के प्रबंधक को आदेश दे सकता है कि वह एक उचित अवधि के भीतर, जो निर्दिष्ट कर दी जायगी, इस बात का कारण बताये कि अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय।

(२) यदि किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबंधक उपधारा (१) में दिये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता अथवा यदि उपस्थित होने पर कारण नहीं बता पाता तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ऐसी और जांच कर लेने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे—

(क) या तो अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है और उस दशा में संस्था बन्द कर दी जायेगी और ऐसे दिनांक से, जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निश्चित करे, वह अपना कार्य करना समाप्त कर देगी ; या

(ख) अनुज्ञप्ति रद्द करने के बजाय, संस्था में ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह निश्चित करे, यथास्थिति, महिलाओं और बालकों का प्रवेश प्रतिषिद्ध कर सकता है।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) कोई व्यक्ति आज्ञा प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(४) ऐसी अपील पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रभाव।

३२—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्त संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द कर देने के पश्चात् बोर्ड के परामर्श से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी महिला अथवा बालक जो उक्त संस्था का वासी है—

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्त संस्था को, जहां कहीं ऐसी संस्था हों, स्थानान्तरित कर दिया जाय; अथवा

(ख) यथास्थिति उसके माता, पिता, पति अथवा अभिभावक की अभिरक्षा में वापस दे दिया जाय ; अथवा

(ग) किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देख-रेख में दे दिया जाय।

वर्तमान संस्थाओं के लिये अनुज्ञप्ति का प्रार्थना-पत्र।

३३—किसी ऐसी संस्था के लिये जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर पहले से ही सम्बद्ध क्षेत्र में वर्तमान हो, अनुज्ञप्ति का प्रार्थना-पत्र उक्त दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, दिया जायगा और तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति के प्रार्थना-पत्र

सम्बन्धी इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे प्रार्थना-पत्र के देने और उसकी सुनवाई के सम्बन्ध में लागू होंगे।

वर्तमान संस्थाओं का जारी रहना।

३४—(१) धारा ३३ में अभिदिष्ट (referred to) कोई संस्था धारा २४ में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण (disposal) होने तक, पूर्ववत् संधारित और संचालित (maintained and conducted) होती रहेगी।

(२) यदि ऐसी संस्था को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति जो उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, उस संस्था को तुरन्त बन्द कर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अभिदिष्ट दिनांक से पूर्व उसे बन्द करने के लिये बाध्य होगा।

किसी वर्तमान संस्था के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र न दिये जाने की दशा में नोटिस।

३५—(१) यदि धारा ३३ के अनुसार उसमें अभिदिष्ट किसी संस्था के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को, जो भी उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, इस आशय का नोटिस भेजेगा कि वह ऐसे कारण बताये कि उस संस्था के बारे में यह क्यों न समझा जाय कि वह संस्था के लिये पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही उसका स्वामी था अथवा उसे संधारित या संचालित करता था।

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील हो गयी हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित होता है और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सकने के पर्याप्त कारण थे और वह तत्काल प्रार्थना-पत्र दे देता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नोटिस को रद्द कर देगा और उसके प्रार्थना-पत्र को ले लेगा तथा उस पर इस प्रकार से विचार करेगा मानों वह धारा ३३ के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त प्रार्थना-पत्र हो।

(३) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित न हो, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यह आज्ञा देगा कि उस संस्था को ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बन्द कर दिया जाय। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील करेगा जो उस संस्था का स्वामी है अथवा उसे संधारित या संचालित करता है।

(४) यदि वह संस्था जिसके बारे में उपधारा (३) के अधीन कोई आज्ञा दी जा चुकी है आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् कार्य करती रहती है तो यह समझा जायगा कि वह संस्था पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही स्वामित्व में रही है अथवा स्थापित, संधारित अथवा संचालित रही है।

अनुज्ञप्ति का संक्रामण।

३६—इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञप्ति संक्राम्य (transferable) न होगी।

बिना अनुज्ञप्ति के कार्य करने पर दण्ड।

३७—(१) यदि कोई व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण करता है अथवा उसे संधारित, स्थापित या संचालित करता है, चाहे प्रबंधक के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में अथवा अन्य किसी प्रशासकीय हैसियत से अथवा उस संस्था के संधारण, स्थापन या संचालन में, अथवा इस

अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (४) में निर्दिष्ट किसी सेवा के संपादन में सहायता करता है तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जिसके लिये ५०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है।

(२) ऐसी किसी भी संस्था के वासियों को वहां से हटाया जा सकेगा तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्त संस्था में रक्खा जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति का अर्पण (Surrender) तथा उसका प्रभाव।

३८—(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबंधक संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है परन्तु उसे ऐसा करने के निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में छः मास का नोटिस देना होगा यदि इस समय के पूर्व नोटिस वापस न ले लिया जाय तो नोटिस के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर अनुज्ञप्ति तदनुसार रद्द हो जायगी और संस्था कार्य करना बन्द कर देगी।

(२) अनुज्ञप्ति रद्द करने के नोटिस के दिनांक के पश्चात् अनुज्ञप्त संस्था में कोई भी महिला अथवा बालक ग्रहण न किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द होने तक की छः मास के अवधि में संस्थावासियों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने (to teach, train, lodge, clothe and feed) का प्रबंधक का कर्त्तव्य यथावत् बना रहेगा।

अध्याय ४

अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्ध

प्रबन्ध समिति

३९—(१) प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध की अवधायक (incharge of) एक प्रबन्ध समिति होगी जिसके सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था के प्रबन्धक समझे जायेंगे।

(२) प्रबन्ध समिति के अधिकार और कृत्य तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था ऐसी संस्था से सम्बद्ध विधान में की जाय।

संबद्ध सदस्य (associate members)।

४०—(१) जिले में प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था की प्रबन्ध समिति के पदेन सम्बद्ध सदस्य (*ex officio* associate member) निम्नलिखित समझे जायेंगे:—

(क) बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) सिविल सर्जन; और

(घ) स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर।

(२) संबद्ध सदस्य (associate members) को प्रबन्ध समिति की कार्यवाहियों में भाषण करने तथा उनमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुये भी, उसे उनमें मतदान करने का अधिकार न होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था का प्रबन्धक न समझा जायगा।

प्रबन्ध संबंधी नियमों में संशोधन करने तथा प्रबन्ध समिति के पुनस्संगठन करने के बोर्ड के अधिकार।

४१—जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, बोर्ड उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे (recorded), यह आज्ञा दे सकता है कि —

(क) अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध से सम्बद्ध विधान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जायगा और संशोधित किया गया समझा जायगा; अथवा

(ख) प्रबन्ध समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संगठित अथवा पुनस्संगठित की जाय ; अथवा

(ग) कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा।

अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक प्रत्येक संस्थावासी को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिये बाध्य होगा।

४२—(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला अथवा बालक को तब तक शिक्षा देने, प्रशिक्षण (training) देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने को बाध्य होगा, जब तक कि महिला का पुनर्वास नहीं किया जाता, अथवा बालक १८ वर्ष की वय नहीं प्राप्त कर लेता, अथवा जब तक कि वे संस्था से हटा नहीं लिये जाते, अथवा संस्था समाप्त नहीं हो जाती।

(२) यदि किसी संस्थावासी महिला का खर्च उठाने वाला कोई ऐसा अभिभावक है जैसा धारा ४३ के खंड (छ) में उल्लिखित है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह संस्था उस महिला के पुनर्वास के लिये उत्तरदायी ठहरायी जाय।

अभिलेखों का रजिस्टर।

४३—प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक नियत रूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला और बालक के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :—

(क) संस्थावासी का नाम;

(ख) वय, धर्म और स्त्री है या पुरुष;

(ग) भर्ती के समय उसके स्वास्थ्य की दशा;

(घ) अन्तिम पता;

(ङ) निकटतम संबंधी;

(च) माता-पिता के नाम और वे जीवित हैं या नहीं (विवाहित महिला के संबंध में पति का नाम) ;

(छ) उसकी देख-रेख के लिये उत्तरदायी व्यक्ति;

(ज) धनराशि , यदि कोई उसकी देख-रेख के लिये दी गयी हो;

(झ) उस व्यक्ति या अभिकरण (agency) का नाम, जो उस महिला अथवा बालक को भर्ती कराना चाहता हो;

(ञ) भर्ती के कारण;

(ट) भर्ती के निबन्धन (terms) और शर्तें;

(ठ) मामले (case) का संक्षिप्त इतिहास, और

(ड) ऐसे अन्य विवरण जो समय-समय पर नियत किये जायं।

प्रबन्धक रजिस्टर की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

४४—अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक ऐसे कालान्तरों (intervals) पर, जो नियत किये जायं, बोर्ड के समक्ष उक्त रजिस्टर की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

संस्थावासियों की मृत्यु अथवा उनके कर्मचारियों (personnel) में परिवर्तन।

४५—किसी अनुज्ञप्त संस्था के वासी की मृत्यु होने पर अथवा उसकी प्रबन्ध समिति में कोई परिवर्तन होने पर, संस्था का प्रबन्धक ४८ घंटों के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी तथा बोर्ड को उसकी लिखित सूचना देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्थावासी की अकस्मात् (sudden) मृत्यु होने की सूचना तत्काल दी जायेगी।

परीक्षित लेखों (audited accounts) का प्रस्तुत करना।

४६—किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक अपने द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गयी समस्त धनराशियों के समुचित लेखे (accounts) रक्खेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण, जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो नियत किया जाय, परीक्षित (audited) होगा, बोर्ड को भी प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण

४७—बोर्ड का कोई सदस्य अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सामान्यतया अथवा विशेषतया प्राधिकृत किया हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, नियत रीति से किसी अनुज्ञप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

सामान्य आदेश (directions) जारी करने के बोर्ड के अधिकार।

४८—बोर्ड अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्धक को ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों और प्रबन्धक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन आदेशों का तत्काल पालन करे।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नियोजन (employment)

४९—प्रत्यक अनुज्ञप्त संस्था, जिस समय और जैसे बोर्ड अपेक्षा करे उस समय और वैसे राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात अथवा संधारित (recognized or maintained) प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियोजत करेगी।

संस्थाओं के नाम

५०—किसी अनुज्ञप्त संस्था को वही नाम दिया जायगा जिसे बोर्ड अनुमोदित करे।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

पदाधिकारियों की सुरक्षा।

५१—किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के संपादन करने का अधिकार दिया गया हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सद्भाव के साथ किया हो अथवा ऐसा करना उसे अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजना (prosecution) अथवा अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सरकारी कर्मचारी (public servant)

५२—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकार दिया गया हो, इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के अर्थ में सरकारी कर्मचारी (Public servant) समझा जायगा।

जुर्माने

५३—इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ द्वारा नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

नियम बनाने के अधिकार।

५४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है :

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और वेतन तथा उनके भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ख) बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) वह रूप जिसमें तथा अवधि जिसके भीतर, बोर्ड का बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाय और राज्य सरकार को भेजी जाय ;

(घ) वह रूप जिसमें और रीति जिससे बोर्ड के लेखे (accounts) रक्खे जायं तथा वह समय जब और रीति जिससे इन लेखों की परीक्षा की जाय;

(ङ) विवरण और सूचनाएं जिन्हें राज्य सरकार को भेजने के लिये बोर्ड से अपेक्षा की जाय ;

(च) बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के निबन्धन तथा शर्तें (terms and conditions);

(छ) बोर्ड की बैठकें तथा उनमें कार्य-संचालन की प्रक्रिया (manner);

(ज) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये उपसमितियां और स्थानीय समितियां नियुक्त की जा सकती हैं;

(झ) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये धारा १३ के अधीन बोर्ड के साथ व्यक्तियों को संबद्ध किया जा सकता है ;

(ञ) उपसमितियों और स्थानीय समितियों के सदस्यों तथा धारा १३ के अधीन बोर्ड से सम्बद्ध व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध के निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण (supervision, direction and control) से सम्बद्ध विषय;

(ठ) धारा २६ के अधीन अनुज्ञप्ति देने या न देने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ड) धारा ३० के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रमाणन से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ढ) धारा ३१ के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ण) धारा २७ अथवा ३१ के अधीन अपीलें प्रस्तुत करने और उनका निस्तारण करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(त) धारा ३२ के अधीन एक संस्था के वासियों के दूसरी संस्था में स्थानान्तरण करने से सम्बद्ध विषय ;

(थ) धारा ३४ के अधीन वर्तमान संस्थाओं को बन्द करने से सम्बद्ध विषय ;

(द) धारा ३५ के अधीन नोटिस की सुनवाई से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ध) वे विषय जिनका संबंध अनुज्ञप्त संस्थाओं के प्रबन्ध तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने से हो; और

(न) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में बहुत से विधवाश्रम तथा अनाथालय हैं, जिनके संधारण पर लाखों रुपये की संपत्ति धर्मस्व लगी हुई है। इन संस्थाओं के कुप्रबंध के संबंध में सरकार के पास समय-समय पर शिकायतें आती रही हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार इन संस्थाओं के कुशल-संचालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनाथालयों और विधवाश्रामों में सुधार संबंधी प्रश्न पर जांच करने के लिये एक समिति की भी नियुक्ति की थी, जिसने प्रदेश में वर्तमान संस्थाओं का सर्वेक्षण किया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनमें से अधिकांश संस्थाओं का प्रबंध संतोष से बहुत परे है। समिति ने इन संस्थाओं के प्रबन्ध पर प्रभावी नियंत्रण (control) रखने के संबंध में भी अनेक सिफारिशें कीं।

प्रस्तावित विधेयक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है।

जुगुल किशोर,
समाज कल्याण मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू०—पी० ए०—पी० १३५ एल० ए०—१९५६—७९६।